द्वितीय माला, खण्ड ५४—अंक ४७

मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६१
२८ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५४ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

द्वितीय माला खण्ड ५४—अंक ४१ से ५०—११ से २१ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र से १ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ४१—मंगलवार, ११ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३ से १४३६, १४३८ से १४४१, १४४४ से १४४७ और १४५१ से १४५४ . . ४८३५–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३७, १४४२, १४४३, १४४८, १४४९ और १४५५ से १४५८ . ४८६२–६८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३६ से ३०७१ . . . ४८६८–८३

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को पकड़ लेने के बारे में सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४८८३–८४

४८८४

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पचीसवा प्रतिवेदन . . ४८८४

वित्त विधेयक, १९६१, के बारे में याचिका . ४८८४

अनुदानों की मांगें ४८८५–४९२३

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ४८८५–९४

प्रतिरक्षा मंत्रालय . ४८९५–४९२३

कृषि आयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४९२३–२६

दैनिक संक्षेपिका ४९२७–३०

अंक ४२—बुधवार, १२ अप्रैल, १९६१/२२ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४५९ से १४६२, १४६५ से १४७६ १४७० से १४७७ . . . . . ४९३१–५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६३, १४६४, १४६८, १४६९ और १४७८ से १४८१ . . ४९५५–५८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७२ से ३१४४ और ३१४६ से ३२१७ ४९५८–५०२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

एस० एस० दारा जहाज में आग . ५०२७–२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५०२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

ब्यासीवां प्रतिवेदन ५०२८

प्राक्कलन समिति––

एकसौ सत्ताइसवां तथा एक सौ इकतीसवां प्रतिवेदन ५०२९

अनुदानों की मांगें ५०२९–६९

प्रतिरक्षा मंत्रालय ५०२९–५९

सामुदायिक विकास तथा सहकार-मंत्रालय . ५०५९–६९

उड़ीसा-भूमि सुधार अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५०७०–७१

दैनिक संक्षेपिका ५०७२–७८

अंक ४३––गुरुवार, १३ अप्रैल, १९६१ /२३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ––

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १४९०, १४९२ और १४९४ . ५०७९–५१०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १४९१, १४९३, और १४९५ से १५१८ ५१०२–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१८ से ३२९३ . ५११४–४६

दिनांक ९-३-६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२२ में शुद्धि

निधन संबंधी उल्लेख . ५१४६–४७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

कोलार की राष्ट्रीयकृत सोने की खानों के बंद हो जाने की संभावना ५१४७–४८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५१४८–४९

प्राक्कलन समिति––

एक सौ उन्तीसवां और एक सौ बत्तीसवां प्रतिवेदन . . ५१४९–५००

पृष्ठ

समिति के लिए निर्वाचन--

विश्व-भारती . . ५०१०

अनुदानों की मांगें ५१५०–९४

सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ५१५०–९४

कार्य मंत्रणा समिति . ५१९५

त्रेसठवां प्रतिवेदन . ५१९६–५२०२

दैनिक संक्षेपिका

अंक ४४—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६१/२४ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२१ से १५२५, १५२८, १५३० से १५३५ और १५३७ ५२०३–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५२०, १५२६, १५२७, १५२९, १५३६ और १५३८ से १५५२ ५२२९–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३४५ . ५२३७–५८

स्थगन प्रस्ताव—

१३ अप्रैल, १९६१ को दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का भंग हो जाना । ५२५८–५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५२५९–६०

प्राक्कलन समिति--

एक सौ चौथा और एक सौ अठारहवां प्रतिवेदन ५२६०

कार्य मंत्रणा समिति--

त्रैसठवां प्रतिवेदन ५२६१

अनुदानों की मांगें ५२६१–७७

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

व्यासीवां प्रतिवेदन . . . ५२७८

कोयला खानों के राष्ट्रीकरण के बारे में संकल्प--अस्वीकृत . ५२७८–८६

धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प . ५२८६–९४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५९–५३००

पृष्ठ

अंक ४५—शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१ / २५ चैत्र, १८८३ (शक)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५३०१–०२

सभा का कार्य . ५३०२–०३

अनुदानों की मांगें . ५३०३–६३

इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय ५३०३–४५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ५३४५–६३

पूर्वोत्तर रेलवे पर खतरे की जंजीरों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५३६३–६९

दैनिक संक्षेपिका ५३७०–७१

अंक ४६—सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१ / २७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ से १५५५, १५५८, १५५९, १५६२ से १५६७, १५६९, १५७०, और १५७२ से १५७५ ५३७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५६, १५५७, १५६०, १५६१, १५६८, १५७१ और १५७६ ५३९९–५४०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४६ से ३४१६ और ३४१८ से ३४२० ५४०२–३६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५४३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५४३७

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौतीसवां प्रतिवेदन ५४३७

अनुदानों की मांगें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५४३८–९१

केरल राज्य में नारियल की फसल को क्षति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५४९१–९३

दैनिक संक्षेपिका ५४९४–९८

अंक ४७—मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६१ / २८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७७ से १५८०, १५८२, से १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१, १५९३ से १५९५ और १५९९ से १६०२ ५४९९–५५२५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८१, १५८६, १५९०, १५९२, १५९६ से १५९८ और १६०३ से १६१० . . . ५९१५–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२१ से ३४९१, ३४९३ से ३५०२ और ३५०४ से ३५१३ ५५३१–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . ५५७१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५५७१–७२

अनुदानों की मांगें . . . ५५७२–५६२४

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५५७२–८५

वित्त मंत्रालय ५५८५–५६२४

डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रमों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५६२४–२७

दैनिक संक्षेपिका . . . ५६२८–३३

अंक ४८—बुधवार, १९ अप्रैल, १९६१ / २९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्य १६११ से १६१५, १६१८, १६२०, १६२१ और १६२३ से १६२९ . ५६३५–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६१७, १६१९, १६२२ और १६३० से १६३५ . . . . . ५६५९–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५१४ से ३५२३, ३५२५ से ३५५८ और और ३५६० से ३५७१ . ५६६४–९१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५६९२

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ५६९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरासीवां प्रतिवेदन ५६९२

अनुदानों की मांगें ५६९३–५७३०

वित्त मंत्रालय ५६९३–५७२७

अणु-शक्ति-विभाग . ५७२८

संसद् कार्य विभाग . . ५७२८–३०

विनियोग (संख्या २) विधेयक--पुरस्थापित ५७३०

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ५७३०–३३

दैनिक संक्षेपिका . . . ५७३४–३८

अंक ४६—गुरुवार, २० अप्रैल, १९६१ /३० चैत्र, १८८३ (शक)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६४०, १६४२ से १६४६ और १६४९ से १६५४ . ५७३९—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४१, १६४७, १६४८, १६५५ और १६५६ . . . . . ५७६३—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७२ से ३६३८ . . ५७६६—९३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ५७९३—९४

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . ५७९४—९५

स्थगन प्रस्ताव—

प्रोटावा में भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव की गोली लगने से मृत्यु . . . . . ५७९५—९६

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सिलीगुडी के निकट रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

श्री शाहनवाज खां . . . . . ५७९६—९७

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५७९७—९८

खण्ड २, ३ और १ . ५७९८

पारित करने का प्रस्ताव ५७९८

वित्त विधेयक—

विचार कर ने का प्रस्ताव . . . ५७९९—५८३२

सभा का कार्य . ५८३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५८३३—३७

अंक ५०—शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९६१ /१ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५७ से १६५९, १६६१ से १६७५ और १६७५—क . ५८३९—६९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० और १६७६ से १६८३ . ५८६६—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३६, से ३७०१ ३७०३ से ३७२५ ५८७२—५६०५

स्थगन प्रस्ताव

बेला रोड पर डेरी किशनचंद में आग लग जाना . . ५६०५—०७

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य—

क्यूबा की स्थिति . . . . ५६०७—०६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५६०६—११

वित्त विधेयक, १६६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५६११—६१

दैनिक संक्षेपिका . . ५६६२—६७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—543 (Ai) LS—23-6-31—126

लोक-सभा

मंगलवार, १८ अप्रैल १९६१

२८ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत के सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून में अग्निकाण्ड

\+

*१५७७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री पांगरकर :
श्री स० मो० बनर्जी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून स्थित भारत के सर्वेक्षण कार्यालय में लगी आग की पुलिस द्वारा जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुलिस जांच के निष्कर्षों और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री भक्त दर्शन : पिछली बार उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री जी ने बताया था कि विभाग की रिपोर्ट तो आ चुकी, केवल पुलिस की रिपोर्ट आने में कुछ देरी है। क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि आखिर पुलिस के काम में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

†**डा० म० मो० दास** : मेरे लिये यह बताना कठिन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की खुफिया पुलिस इतना समय क्यों लगा रही है ।

श्री भक्त दर्शन: पिछली बार यह बताया गया था कि आठ अफसरों को इस बारे में मुअत्तिल किया गया है, सस्पेंड किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे अब भी मुअत्तिल हैं, या और भी कार्यवाही की गई है, या उन्हें री-इन्सटेट कर दिया गया है ?

†**डा० म० मो० दास** : उन्हें अभी पुनर्नियुक्त नहीं किया गया है । वे अभी तक मुअत्तिल हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच का कार्य अक्टूबर, १९६०में पूरा हो गया था, और चतुर्थ श्रेणी की जांच का कार्य दिसम्बर, १९६० में पूरा हो गया था ? तो जांच कार्य पूरा हो जाने के बाद भी वे अभी तक मुअत्तिल कैसे हैं और क्या इस अवधि में उन्हें कोई वेतन और भत्ते दिये जा रहे हैं ?

†**डा० म० मो० दास:** नियमों के अनुसार उन्हें जो कुछ दिया जाना चाहिये, वह उन्हें दिया जा रहा है । मेरा ख्याल है कि जांच का कार्य तो पूरा हो गया है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : इस अग्निकाण्ड से लगभग कितना नुकसान हुआ है ?

†**डा० म० मो० दास** : लगभग ५ लाख रुपये ।

श्री भक्त दर्शन : क्या पुलिस विभाग ने इस मन्त्रालय को कोई सूचना दी है कि कब तक वह कार्य समाप्त करेगा और कब तक इसकी रिपोर्ट आ जायेगी ?

†**डा० म० मो० दास** : जी, नहीं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह बताया था कि उस डिपो में ५,७४, ४४२ रुपयों की कीमत की वस्तुएं थीं जबकि बिक्री में केवल ९०,००० रुपये दिखाये गये थे । क्या इसी कमी को छिपाने के लिये यह अग्निकाण्ड किया गया था ?

†**डा० म० मो० दास** : इसका उत्तर देना कठिन है । जब तक पुलिस की जांच का उत्तर न आ जाये । तब तक इसका जवाब देना कठिन है ।

†**श्री गोरे** : क्या यह सच है कि स्वर्गीय श्रीमती राय ने इस अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में सरकार को कुछ जानकारी देने का यत्न किया था ? यदि हां तो उसने क्या जानकारी दी थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: हमने इस बारे में समाचार-पत्रों में पढ़ा था, श्रीमती राय से हमें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और युवक कल्याण सम्बन्धी समन्वय समिति

\+

†*१५७८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मन्त्री २३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और युवक कल्याण की सभी योजनाओं का समन्वय करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हमारा विचार था कि वह समिति इसी मास के अन्त तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, परन्तु दुर्भाग्य है वह ऐसा कर नहीं सकी । उसका अनुमान है वह अब इस मास के अन्त तक उसकी एक बैठक होगी और उसमें इन योजनाओं को तय किया जायेगा ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या समिति ने यह बताया है कि वह मार्च के अन्त तक अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं पेश कर सकी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं समझता हूं कि उसका एक कारण है और वह यह है कि इस समिति में जो संसद्-सदस्य हैं वे किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहे हैं । परन्तु इस मास के अन्त में समिति की बैठक हो रही है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या समिति ने इस सम्बन्ध में अन्य स्थानों का दौरा किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समिति ने अनेक स्थानों का दौरा किया है ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और स्वयं राष्ट्रपति जी ने अभी परसों, १६ अप्रैल, को, सिरस्का जाने के बाद वक्तव्य दिया है कि इस विषय में सभी तरह की योजनाओं का समन्वय, कोआर्डिनेशन किया जाये, इसलिये इस रिपोर्ट के आने के बाद गवर्नमेंट कोई फैसला करे, उससे पहले क्या इस सदन को इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया जायगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह रिपोर्ट आ जाये, तो उस के बाद हम विचार करेंगे कि इस पर क्या कार्यवाही की जाये । मैं माननीय सदस्य को इस वक्त इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बारे में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की जायगी, जिससे साधारणतः किसी को असन्तोष हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें सभी लोग दिलचस्पी लेते हैं और यह कोशिश की जायगी कि जहां तक हो सके, इस काम को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जा सके और इसका ठीक तरह से समन्वय हो सके ।

†**श्री वें० प० नायर** : उस समिति के सदस्यों में से कौन कौन से सदस्य शारीरिक शिक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं और कौन कौन मनो जन का और कौन कौन युवक कल्याण का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस प्रकार का अलग अलग प्रतिनिधित्व तो उसमें नहीं है । उस समिति में कुछ संसद्-सदस्य हैं । वे हैं—श्री महावीर त्यागी, श्री अशोक मेहता, पण्डित हृदय नाथ कुंजरू, और श्रीमती अम्मु स्वामीनाथन । इसके अतिरिक्त समिति में श्री जी० डी० सोंधी, श्री पी० एम० जोसेफ और श्री फायजी तथा कुछ अन्य लोग हैं । ये सभी लोग विभिन्न प्रकार के का में रुचि लेते हैं । परन्तु वे किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना सम्बन्धी विस्तार और इस तरह के और कामों के बारे में इस समिति में विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो कहां तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : इन सारी बातों पर यह कमेटी विचार करेगी । उस की टर्म्ज़ आफ़ रेफरेंस ये हैं :--

(क) शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, शिक्षा संस्थाओं में चरित्र निर्माण तथा अनुशासन सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के लाभों का मूल्यांकन करना और उन योजनाओं को परिभाषित करना ।

(अतः राष्ट्रीय अनुशासन इसी के अन्तर्गत आ जाता है ।)

(ख) दोहरेपन और संसाधनों के व्यर्थ जाने से होने वाले नुकसान से बचत करने के लिये विभिन्न योजनाओं में उपयुक्त समन्वय उत्पन्न करने के लिये सिफ़ारिशें करना ।

(ग) विद्यार्थियों में शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, चरित्र निर्माण और अनुशासन बढ़ाने के लिये अत्यधिक लाभदायक योजनाओं के विकास के लिये उपाय खोजने ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने देश के अच्छे अच्छे रेसलर्ज़, पहलवानों, को सहायता और राहत देने का विचार किया है और इस के अलावा क्या उन बड़े बड़े प्रोफ़ेसर्ज़ आदि से इस विषय में सलाह ली जायेगी, जिन को नैतिकता और चरित्र के बारे में ज्ञान है।

डा० का० ला० श्रीमाली : अखाड़ों को आर्थिक सहायता दी जाती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को आगे बढ़ाया जाये । हमारे जो रेसलर हैं, उन को अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भी भेजा जाता है ।

†**श्री वें० प० नायर :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान सर्कसों से शारिक शिक्षा, मनोरंजन आदि का विकास किया जा सकता है, क्या सरकार ने सर्कसों के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट तैयार करने के लिये समिति से कहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में मुझे लिखा है और हम इस बारे में विचार कर रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि इस समाचार में कहां तक सत्यता है कि कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने में इस लिये देरी हो रही है कि इस के सदस्यों के दृष्टिकोण में बड़ा भारी मतभेद है, बड़ा गहरा अन्तर है । क्या इस बारे में प्रकाश डाला जा सकेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मुझे पता नहीं कि माननीय सदस्य किस मतभेद की बात कह रहे हैं ।

लौह अयस्क

+

†*१५७९. { **श्री नवबाने :**
श्री मुरारका : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा खनन निगम द्वारा उत्पादित लौह अयस्क का रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य क्या है;

(ख) खानों के मुख्य द्वार (पिटहैड्स) और निकटतम रेलवे स्टेशन के बीच कितना फासला है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अन्य खानों में उत्पादित लौह-अयस्क की कीमतों की तुलना में यह कीमत कितनी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)**: (क) रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य विभिन्न स्टेशनों पर अलग अलग है और यह खान से स्टेशन की दूरी और विश्लेषण के बाद मूल्यांकित अयस्क के ग्रेड पर निर्भर करता है। यह जानकारी देना व्यापारिक दृष्टि से निगम के हित में नहीं है।

(ख) मुख्य द्वार और स्टेशन के बीच का फासला निम्नलिखित है :—

१. महाराजपुर . . .	१३ मील
२. खण्ड डेरा . . .	६ मील
३. सकदीही	२० मील
४. तुंगायेसुनी	२८ मील

(ग) लोहे की रेल पर्यन्त निःशुल्क लागत भी प्रत्येक खान की अलग अलग है और वह ग्रेड पर निर्भर करती है और इसलिये अन्य खानों में उत्पादित लौह अयस्कों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती।

†**श्री नथवानी** : मुख्य द्वार से स्टेशन तक परिवहन का साधन क्या है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : अन्य खनन उद्योगों के समान ही यहां भी सड़क के द्वारा ही परिवहन किया जाता है।

†**श्री नथवानी** : परिवहन पर प्रति मील प्रति टन कितना खर्च आता है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मेरे पास इस समय ये आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री नथवानी** : क्या यह अयस्क किसी हमारे इस्पात कारखाने को संभरित किया गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : हम लगभग १,५०० टन प्रति मास उत्पादन कर रहे थे। अब उत्पादन बढ़ गया है और वह ६०,००० टन तक पहुंच गया है। परन्तु क्योंकि लौह अयस्क राज्य व्यापार निगम के द्वारा संभरित किया जाता है, इसलिये मुझे यह ज्ञात नहीं है कि क्या यह अयस्क किसी इस्पात कारखाने को संभरित किया गया है या नहीं।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या यह निगम सरकार का है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इस पर भारत सरकार और उड़ीसा सरकार का बराबर बराबर अधिकार है।

†**श्री मुरारका** : एक और प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया था कि खनन पर १०.३० रुपये प्रति टन की लागत आती है और अब यह ज्ञात हुआ है कि रेलें पर्यन्त निःशुल्क कीमत १७ रुपये टन से भी अधिक है। तो क्या परिवहन पर ६ या ७ रुपये प्रति टन खर्च आ जाता है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसकी कीमत रेलवे स्टेशन से विभिन्न मुख्य द्वारों तक अलग अलग होती है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को ये आंकड़े कहां से प्राप्त हुए हैं कि कुल १७ रुपये प्रति टन खर्च आता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुरारका : माननीय सभा-सचिव ने बताया है कि खनन की लागत १० रुपये प्रति टन है और रेल पर्यन्त निःशुल्क लागत १७ रुपये है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि मुख्य द्वार से स्टेशन अधिक से अधिक ३० मील की दूरी पर भी हो तो भी क्या एक टन के सड़क द्वारा परिवहन पर ७ रुपये का खर्च आ सकता है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं इस बारे में निश्चित आंकड़े नहीं बता सकता क्योंकि वह तो प्रत्येक खान की दूरी पर निर्भर करता है।

†उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि यदि अधिकतम दूरी ३० मील भी हुई तो भी क्या उस पर इतना अधिक खर्च आ जाता है ?

†खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): यह बताना कठिन है कि क्या उसका विक्रय मूल्य १७ रुपये है जिसमें ३ रुपये सड़क द्वारा परिवहन का खर्च सम्मिलित है।

†श्री आचार : उड़ीसा की खानों से लौह अयस्क की कीमत मैसूर की खानों की कीमत की तुलना में कैसी हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : उड़ीसा खनन निगम की कीमत प्राइवेट खानों की तुलना में कम है।

खेतरी में तांबा गलाने का संयंत्र

+

†*१५८०. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में खेतरी नामक स्थान में तांबा गलाने का संयंत्र स्थापित करने के बारे में बातचीत पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ग) यह संयंत्र कब तक स्थापित हो जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेंद्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) यह परियोजना राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सौंप दी गयी है जो कि इस समय परामर्श सम्बन्धी संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) १९६४ तक निर्धारित रूप से चालू कर देने का विचार है।

†श्री मुरारका : खेतरी में स्थापित किये जा रहे इस कारखाने के लिये किस किस देश से बातचीत की जा रही है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : प्रारम्भ में पोलैण्ड सरकार से कुछ बातचीत की गयी थी। उसके बाद हमने कुछ और बड़ी फर्मों से भी सम्पर्क स्थापित किया और ८ या ९ फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वे विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : क्या यह प्रस्ताव केवल स्मेल्टिंग प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में है या कि खनन के लिये भी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : यह प्रस्ताव केवल परामर्श सम्बन्धी सेवाओं के लिये है। वे हमें परियोजना के सम्बन्ध में मंत्रणा भी देंगे और कारखाने के निर्माण की देखभाल भी करेंगे। हमें कुल आठ या नौ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और फिलहाल तीन या चार को चुन लिया गया है। शेष अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

†**श्री कासलीवाल** : इस कारखाने की कितनी क्षमता होगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : वर्तमान अनुमान के अनुसार इसकी क्षमता कम से कम १०,००० टन तांबा पिघलाने की होगी।

†**श्री नथवानी** : क्या केवल १०,००० टन की क्षमता मितव्ययी समझी जा सकती है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, हां।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या यह बातचीत केवल परामर्श सेवाओं के लिये ही है या कि विदेशी मुद्रा तथा विदेशी उधार के सम्बन्ध में भी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कोई बातचीत चल नहीं रही है। हमने तो विभिन्न फर्मों से परामर्श सेवाओं और परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने के बारे में प्रस्ताव मांगे हैं। लगभग ९ फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कुछ एक पर विचार किया जा रहा है। उनमें से हम एक को चुनेंगे और वही फर्म हमारी परामर्शदाता होगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि वहां पर उपलब्ध तांबे की मात्रा बहुत अधिक होगी। अतः क्या वहां कोई बड़ा कारखाना नहीं लगाया जाना चाहिये ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं भी यही चाहता था कि इससे दुगनी क्षमता होनी चाहिये। परन्तु फिलहाल तो १०,००० टन की क्षमता का कारखाना लगाया जा रहा है। उसके बाद क्षमता बढ़ायी जा सकेगी।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : उस कारखाने की स्थापना पर कितनी लागत आयेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : लगभग १० करोड़ रुपये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा में उस परियोजना को उस सूची में सम्मिलित किया गया है जिनके लिये विदेशी ऋण की व्यवस्था कर ली गयी है। क्या इसके लिये विदेशी ऋण की व्यवस्था कर ली गयी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह मामला माननीय वित्त मंत्री का है। मैंने तो केवल धन खर्च करना है। हमें इस परियोजना के लिये अनुमति दे दी गयी है और हम इस कार्य को आगे बढ़ाने का विचार रखते हैं।

†**श्री मुरारका** : इस स्थान खेतरी को रेलवे लाइन से मिलाने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय :** खानों तक एक रेलवे लाइन बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय द्वारा इस पर विचार किया जा रहा था। यदि रेल न भी बनी तो भी हम सामान को सड़क से ला या ले जा सकते हैं।

†**श्री मुरारका :** एक प्रश्न के उत्तर में रेलवे मंत्री ने यह बताया था कि उन्हें इस प्रकार का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है और न ही इस स्थान का रेलवे लाइन से कोई सम्बन्ध स्थापित किया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री ने रेलवे मंत्रालय को इस प्रकार का कोई सुझाव भेजा था या नहीं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस प्रश्न पर दोनों मंत्रालयों द्वारा विचार किया गया था। परन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि हमें अपना प्रबन्ध स्वयं करना पड़ेगा। मैं कह नहीं सकता कि क्या यह सुझाव औपचारिक रूप से रेलवे मंत्रालय के पास भेजा गया था या नहीं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग के एक सदस्य श्री त्रिवेदी हाल ही में उस स्थान पर गये थे, और यदि हां, तो उनका वहां जाने का उद्देश्य क्या था ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मुझे इसके लिये पूर्व सूचना की जरूरत है।

बेघर लोगों की जनगणना

*१५८२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस जनगणना में बेघर लोगों की भी गणना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बेघर लोगों की गणना अखिल भारतीय आधार पर की गई है;

(ग) इस विषय में कहां तक सफलता मिली है; और

(घ) किसी व्यक्ति को किस आधार पर बेघर माना गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) गणना के सही होने का पता और जांच के बाद लगेगा।

(घ) बेघर उस व्यक्ति को माना जाता है जो साधारणतः रात को किसी मकान या छत वाले किसी कमरे में नहीं रहता है।

†**श्री विभूति मिश्र :** क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि भारत में कितने बेघर लोग हैं

†**श्रीमती आल्वा :** उनकी गणना तो अभी अभी की गयी है।

†**श्री विभूति मिश्र :** माननीया गृह-कार्य उपमंत्री ने अभी अभी भारत की कुल आबादी बतायी है। क्या सरकार के पास बेघर लोगों के कोई अनुमानतः आंकड़े हैं ?

†**श्रीमती आल्वा :** इस बारे में अभी और अधिक जांच की जरूरत है

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान से प्राकृतिक गैस

+

†*१५८३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री आसर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ चल रही बातचीत समाप्त हो चुकी है;

(ख) क्या भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में अग्रेतर बातचीत हुई है;

(ग) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कुछ बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो ये बातें क्या हैं और इनका स्पष्टीकरण हो चुका है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) गैस की रचना, किस्म, मात्रा, मूल्य, पहुंचाने की व्यवस्था, संभरण की शर्तें तथा उसके उपयोग में मितव्ययता सम्बन्धी अन्य आवश्यक ब्योरों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गयी थी । वहां से एक उत्तर प्राप्त हो गया है जिसमें उक्त बातों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी है । पाकिस्तान सरकार ने भी कुछ एक बातें पूछी हैं । जब पाकिस्तान से प्रतिनिधिमण्डल भारत आयेगा तो उस समय उसके साथ इन सभी बातों के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया जायेगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या पाकिस्तान ने ही सब से पहले गैस को बेचने के लिये भारत से प्रस्ताव किया था या कि भारत ने प्रस्ताव किया था ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या इसका उत्तर जानने से कोई विशेष लाभ होगा ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** पाकिस्तान से कितनी गैस खरीदने का विचार है और वह किस मूल्य पर खरीदी जायेगी और कि प्रयोजन के लिये उसे इस्तेमाल किया जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** उसकी मात्रा के सम्बन्ध में अभी तक तय नहीं किया गया है । पाकिस्तान से गैस खरीदने के सिद्धान्त के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है ।

†**श्री आसर :** क्या यह सच है कि पाकिस्तान की प्राकृतिक गैस की कीमत बहुत अधिक है और वह व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध नहीं होगी और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में और अधिक बातचीत क्यों की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : यदि इसके दाम बहुत अधिक हुए तो भारत सरकार उसे नहीं खरीदेगी ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : उस प्रतिनिधिमण्डल से जो बातचीत की जायेगी, क्या वह प्रारम्भिक बातचीत होगी या कि विचार विमर्श सम्बन्धी होगी ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : दोनों प्रकार की ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस सम्बन्ध में दोनों देशों की मितव्ययता के सम्बन्ध कैसे स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैंने यह तो नहीं कहा है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में सम्बन्ध स्थापित करने का हमारा कोई विचार है । मैंने तो केवल यही कहा था कि दोनों देशों ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि यदि वे हमें प्राकृतिक गैस संभरित करेंगे तो हम ले लेंगे क्योंकि वह हमारे लिये लाभदायक है ।

†**श्री गोरे** : क्या इस बातचीत के दौरान इस करार के सामरिक महत्व को भी ध्यान में रखा जायेगा ? यदि हम पाकिस्तान से गैस खरीदेंगे तो पाकिस्तान किसी भी समय उस गैस का संभरण बन्द कर सकता है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इन सभी बातों पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री कासलीवाल** : राजस्थान सरकार ने पाकिस्तान से इस गैस को लेने से इन्कार कर दिया है तो और किस राज्य सरकार ने इसे लेना स्वीकार किया है और किस किस परियोजना के लिये ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे ज्ञात नहीं है कि क्या राजस्थान सरकार ने इसे लेने से पक्का इन्कार कर दिया है । परन्तु अन्य राज्य भी तो हैं । जिन्होंने इन्कार नहीं किया है । इसके सम्बन्ध में विचार करना तो भारत सरकार का काम है ।

श्री रघुनाथ सिंह : जैसा कि मंत्री जी ने कहा, राजस्थान की उनको खबर नहीं है । उसके अतिरिक्त दो ही राज्य पाकिस्तान की सीमा पर और हैं यानी सौराष्ट्र और गुजरात और पंजाब । तो क्या पंजाब सरकार ने या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि उनको अपनी प्रोजेक्ट्स के लिए गैस की आवश्यकता है ?

श्री के० दे० मालवीय : मैं ने यह तो नहीं कहा कि मुझे राजस्थान की खबर नहीं है । मैं ने तो यह कहा था कि मुझे यह नहीं मालूम है कि राजस्थान ने इन्कार कर दिया है कि हमको गैस की जरूरत नहीं है । मैं यह कह रहा था कि हमको उद्योगों के लिए बिजली बढ़ाने की जरूरत है । इसलिये पूरे तौर से सारे देश के लाभ को सामने रखते हुए विचार करेंगे, चाहे वह गुजरात की जरूरत हो, या राजस्थान की हो या पंजाब या किसी और प्रदेश की जरूरत हो ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन मांगने का यत्न किया है कि पाकिस्तान किसी भी राजनीतिक हित को बाधा नहीं बनने देगा ताकि इस गैस के सम्बन्ध में हम निश्चिंत होकर दीर्घकालीन करार कर सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, नहीं अभी तक तो हमने इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे हैं । आशा है कि कोई उपयुक्त अवसर आने पर दोनों ओर के व्यक्ति बैठेंगे और उन सभी बातों पर विचार करेंगे। हमने पाकिस्तान को वह तिथि बता दी है जब वह यहां आयेंगे । संभवत: इस मास के अन्त तक वे पहुंच जायेंगे ।

†**श्री गोरे :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह गैस सीमा के पार से उपलब्ध होगी, क्या सरकार इस बारे में अन्तिम निर्णय करने से पहले इस बात को जानने का यत्न करेगी कि क्या अपने देश में ही यह गैस उपलब्ध हो सकती है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हम यत्न कर रहे हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के कौन कौन से राज्य की सरकारों ने यह गैस लेने के वास्ते अपनी सहमति दी है, और क्या केन्द्रीय सरकार ने हिन्दुस्तान की राज्य सरकारों से इस बारे में कोई सलाह की है कि उनकी क्या आवश्यकता है ?

श्री के० दे० मालवीय : जी हां, उनसे पूछताछ की गयी है और की जा रही है । मुझे यह ब्यौरा तो मालूम नहीं है कि किस राज्य ने गैस लेने के लिये कहा है और किस ने ना कहा है । लेकिन मैं यह जानता हूं कि सबसे सलाह मशविरा किया जा रहा है ।

†**श्री कासलीवाल :** यह गैस किस किस परियोजना में इस्तैमाल की जायेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं उन सभी परियोजनाओं की गणना नहीं कर सकता जिनके लिये यह गैस इस्तैमाल की जायेगी । परन्तु मुख्य रूप से विद्युत् उत्पादन, उर्वरक आदि की परियोजनाओं में उसे इस्तैमाल किया जायेगा ।

कच्चे तेल का शोधन

†*१५८४. { +**श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हेम बरुआ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टैण्डर्ड वैक्युम और बर्मा शैल नामक दो तेल कम्पनियों ने एक संयुक्त वक्तव्य में खान और तेल मन्त्री द्वारा लोक सभा में गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा भारत में उत्पन्न कच्चे तेल के उपयोग सम्बन्धी बातचीत की मन्द प्रगति के बारे में दिये गये वक्तव्य पर आश्चर्य प्रकट किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) प्रैस में इस सम्बन्ध में कुछ समाचार पढ़े हैं ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और भारत स्थित विदेशी तेल कम्पनियों में बातचीत चल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या इन दो कम्पनियों ने अंकलेश्वर क्षेत्र से प्राप्त होने वाले अशोधित तेल को शोधित करना स्वीकार कर लिया है, और यदि हां, तो किन किन शर्तों पर ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, हां। सिद्धान्ततः एक करार कर लिया गया है कि उन दो कम्पनियों द्वारा बम्बई में अंकलेश्वर के तेल को इस्तेमाल किया जायेगा।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि विदेशी कम्पनियों से किये गये मूल करार के अधीन वे इस देश में पैदा होने वाले तेल को शोधित करने के लिये बाध्य है और यदि हां, तो सरकार इसके लिये नयी बातचीत क्यों कर रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, हां कुछ शर्तों के अधीन।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** उक्त दोनों कम्पनियों के जेनरल मैनेजरों ने सभा में माननीय मन्त्री द्वारा कही गयी बातों का स्पष्टतया निराकरण किया है और यह कहा है कि बातचीत का निर्णय करना तो मन्त्रालय पर निर्भर करता है। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इन सभी प्रश्नों को फिर से उठाने का कोई लाभ नहीं है। यह सच है कि मैं निराश हो गया था और मैंने यह कहा था कि हो सकता है कि इसका कोई असर पड़े। परन्तु उसके बाद बातचीत ठीक प्रकार से चल रही है। सिद्धान्त के रूप में करार भी कर लिया गया है और ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

†**श्री बासप्पा :** अंकलेश्वर के तेल को बम्बई तक लाने की अपेक्षा वहीं पर तेल शोधक कारखाना लगाने के बारे में क्या कोई योजना है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हम दोनों काम करेंगे अर्थात् तेल बम्बई भी भेजेंगे और गुजरात में तेल शोधक कारखाना भी स्थापित करेंगे।

युद्ध के खतरे के लिये जहाजों का बीमा

†*१५८५. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध के खतरे के लिये जहाजों का बीमा कराने के बारे में भारत सरकार के विचारार्थ एक प्रस्थापना प्रस्तुत की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक प्रस्थापना क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) जी, हां।

(ख) प्रस्थापना यह है कि सरकार युद्ध के खतरे की दृष्टि से भारतीय जहाजों के बीमे पर विचार करे।

(ग) प्रस्थापना पर आने वाले वित्तीय खर्च अन्य बातों पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस सम्बन्ध में किन किन बातों पर विचार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जैसा कि मैंने कहा है सम्पूर्ण योजना पर विचार किया जा रहा है। जब तक उसके ब्यौरों पर विचार न कर लिया जाये तब तक मैं कुछ भी नहीं बता सकती।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं निश्चित रूप नहीं बता सकती।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या ईस्टर्न और वेस्टर्न कारपोरेशनों के जहाजों का बीमा भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा किया जाता है या कि विदेशी बीमाकर्ताओं द्वारा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जहां तक युद्ध के खतरे का सम्बन्ध है, उनका बीमा भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा नहीं किया जाता। उनका बीमा केवल ब्रिटिश बीमाकर्ताओं द्वारा किया जाता है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हिन्दुस्तानी जहाज हैं उनका कितना परसेंट इंश्योरेंस हिन्दुस्तान में होता है और कितना बाहर होता है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जहां तक वार रिस्क्स इंश्योरेंस का सवाल है यह हिन्दुस्तान में नहीं होता है। यह इंश्योरेंस यूनाइटेड किंगडम में होता है। हिन्दुस्तान में तो फायर और कुछ दूसरे ऐक्सीडेंट्स के वास्ते इंश्योरेंस होता है। वहां यूनाइटेड किंगडम में इंश्योरेंस दो तरह का होता है। एक इंश्योरेंस तो वार रिस्क क्लब्स के द्वारा किया जाता है और दूसरा ओपेन मार्केट के द्वारा किया जाता है।

†**श्री मुरारका** : भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा इस बीमे के प्रीमियम के रूप में ब्रिटिश कम्पनियों को कितनी राशि अदा की जाती है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : भारतीय जहाजों द्वारा इस समय शान्तिकाल के आधार पर लगभग १४ लाख रुपये अदा किये जाते हैं।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : अभी मंत्राणी महोदया ने फरमाया कि वार रिस्क्स इंश्योरेंस यहां हिन्दुस्तान में नहीं होता है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होता और उसके यहां पर न होने की क्या वजह है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उसी के बारे में तो यह सारा सवाल है। उसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है।

अभिलेख विधान[1] सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

+

†*१५८७. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **शिक्षा** मन्त्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित अभिलेख विधान के बारे में सलाह देने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Archiral Lesgislation.

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) और (ग). इस समय तक प्रतिवेदन गोपनीय पत्र है और केवल सरकारी उपयोग के लिये है और सम्बद्ध केन्द्रीय मन्त्रालयों एवं भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के परामर्श से इस का परीक्षण किया जा रहा है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या कोई विधेयक बनाया जा रहा है और यदि हां तो यह कब पेश किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मामला विचाराधीन है । जैसा मैंने कहा, समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जिनमें से एक यह है कि केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय अभिलेखागार के लिये एक केन्द्रीय विधान बनाना चाहिये और राज्य अभिलेखागारों के लिये राज्य सरकारों को भी ऐसा ही विधान तैयार करना चाहिये । इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : वर्तमान अभिलेख विधान में क्या त्रुटि पाई गई है जिसके कारण इस समिति की नियुक्ति तथा नया विधान बनाने की जरूरत पड़ी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस समय कोई विधान नहीं है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरे लिये इस समय यह बताना सम्भव नहीं है । हम इस मामले का परीक्षण कर रहे हैं ।

इस्पात संयंत्रों में विदेशी विशेषज्ञ

†*१५८८. **श्री अजित सिंह सरहदी**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में स्थित इस्पात कारखानों में इस समय कुल कितने विदेशी विशेषज्ञ और प्रविधि कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) उनके स्थान पर भारतीयों के कब तक रखे जाने की आशा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

३१ मार्च, १९६१ को तीन इस्पात संयंत्रों में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञों और शिल्पिकों की संख्या इस प्रकार थी :—

	रूरकेला		भिलाई		दुर्गापुर	
	निर्माण	संचालन	निर्माण	संचालन	निर्माण	संचालन
के द्वारा नियोजित किये गये						
(१) ठेकेदारों	४०५	९३	—	—	१५८	—
(२) सलाहकारों	१८	—	—	७१	११	—
(३) परियोजना	१	—	१७३	१२६	—	८०

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण कार्य पर विशेषज्ञ निश्चित कामों पर निश्चित अवधि के लिये लाये गये हैं और ज्योंही वह काम, जिस पर वह लगे होते हैं, पूरा हो जाता है, वे अपने देशों को लौट जाते हैं। संचालन कार्य पर जो विशेषज्ञ हैं, उनके स्थानों पर उपयुक्त भारतीय विशेषज्ञों को लगा दिया जाएगा जब उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : विवरण से पता चलता है कि रूरकेला संयंत्र में निर्माण कार्य में लगे हुए ठेकेदारों ने ४०५ विदेशी विशेषज्ञ काम पर लगा रखे हैं। क्या ठेकेदारों द्वारा नियुक्त इन विदेशी विशेषज्ञों को बदलना भारत सरकार के हाथ में है या ठेकेदारों के हाथ में? क्या ठेकेदारों की फर्में विदेशी हैं या भारतीय ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जिस व्यक्ति का ठेकेदारों को निर्माण कार्य के लिए जरूरत हो, उसे लाना उनकी जिम्मेदारी है। हम उनके मार्ग में बाधा नहीं बनते क्योंकि हमतो विशिष्ट ब्यौरा के अनुसार बना हुआ संयंत्र स्थानीय कारखाना चाहते हैं। किसी विदेशी को लाना या न लाना यह उन ठेकेदारों का काम है, जिन पर काम की जिम्मेदारी है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या रूरकेला में लगे हुए ये ठेकेदार, जिन्होंने ४०५ विदेशी विशेषज्ञ काम पर लगा रखे हैं और भिलाई के ठेकेदार विदेशी फर्में हैं या भारतीय फर्में हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं मा० सदस्य को सतर्क करना चाहता हूं कि तुलना सर्वथा उचित नहीं होगी क्योंकि भिलाई का निर्माण कार्य प्रायः पूरा हो चुका है जब कि रूरकेला में बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है।

†**श्री च० द० पांडे** : दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के निर्माण क्षेत्र में सब से बाद आया, किन्तु वहां भिलाई और रूरकेला की अपेक्षा कम विदेशी विशेषज्ञ हैं। इसका कारण क्या है और क्या शेष संयंत्र भी दुर्गापुर के बराबर स्तर तक विदेशी विशेषज्ञों की संख्या घटा सकते हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सच है कि निर्माण कार्य में साधारणतया, दुर्गापुर में विदेशी विशेषज्ञों और शिल्पिकों की तुलनात्मक संख्या बहुत कम है। इसका अंशतः कारण यह है कि ब्रिटेन के फर्मों को भारतीय हालात का अधिक अनुभव था और वे अधिक अनुपात में भारतीय कर्मचारियों की भर्ती कर सके हैं।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : क्या ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किये गये विदेशी लोगों को जिनकी संख्या ४०५ के लगभग है, वेतन आदि विदेशी मुद्रा में दिया जाता है, और यदि हां, तो क्या सरकार ठेकेदारों को यह सलाह देने की वांछनीयता पर विचार करेगी कि वे विदेशी लोगों को काम पर न लगा कर भारतीय लोगों के साथ अपना काम करे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हम ठेकेदारों के कर्मचारियों को विदेशी मुद्रा नहीं देते।

†**श्री कोडियान** : संचालन कार्य में कब तक विदेशी विशेषज्ञों के स्थान पर पूर्णतया भारतीय कर्मचारी नियुक्त हो जाएंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जब निर्माण पूरा हो जाएगा निर्माण करने वाले लोग चले जाएंगे।

†**श्री बासप्पा** : क्या किन्हीं भारतीय लोगों को इस विशेषज्ञता वाले कामों के लिये विदेश में प्रशिक्षित किया जा रहा है और यदि हां तो उनकी संख्या कितनी है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह पहले ही विवरण में बताया गया है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** उन्हें विदेश में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है निर्माण और संचालन दोनों का ।

†**श्री मुरारका :** विवरण से प्रतीत होता है कि रूरकेला में ५१७ से अधिक विदेशी विशेषज्ञ हैं और फिर भी जर्मनी के समाचार पत्रों ने कहा है कि विदेशी विशेषज्ञों की कमी के कारण रूरकेला का भविष्य सुरक्षित नहीं है और उन्होंने इस बात की जांच करने के लिये एक दल की सिफारिश की है । क्या सरकार एक वर्ग का इसके आस-पास रूरकेला में इन ५१७ लोगों को रखने का विचार रखती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** परियोजना प्राधिकारों का स्पष्टत: निर्माण स्तर पर लाये गये लोगों की संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है । हम उनको वेतन देने के लिय जिम्मेवार नहीं हैं और यह वास्तव में उन लोगों का काम है जो निर्माण के प्रभारी है कि वे यथासंभव उत्तम प्रबन्ध करें । मा० सदस्य ने देखा होगा कि अधिकतर संख्या 'निर्माण' शीर्षक के अन्तर्गत है । संचालन की ओर सुझाव दिये गये हैं कि अधिक जर्मन शिल्पियों की जरूरत होगी । इस मामले पर हिन्दुस्तान इस्पात समवाय के प्रविधिक विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं और यदि आवश्यक हुआ तो उनमें से कुछ एक के स्थान पर दूसरे लगाये जायेंगे या कुछ अधिक को विदेशों से मंगवाया जाएगा ।

टोकियो में विश्वसंगीत सम्मेलन

१५८९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, १९६१ में टोकियो में पूर्व-पश्चिम संगीत प्रतियोगिता, विश्व संगीत सम्मेलन और संगीत समारोह का आयोजन होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उसमें भाग लेने का निश्चय किया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) और (ख). हां, श्रीमान् ।

(ग) भारतीय संगीत सीखते वालों, नृत्यकारों और संगीतज्ञों का एक सांस्कृतिक शिष्ट-मण्डल १७ अप्रैल, १९६१ से आरम्भ होने वाले विश्व संगीत सम्मेलन एवं उत्सव में भाग लेने के लिये भेजा गया है ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान:** उन देशों के नाम क्या है जिनके सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है और भारतीय दल भारतीय संगीत की किस शाखा को पेश करेगी, क्या यह शास्त्रीय संगीत होगा या हलका संगीत या वाद्य संगीत ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** हमने सम्मेलन का आयोजन नहीं किया इसलिये हमें उन सब देशों के नाम मालूम नहीं हैं जिन्हें निमंत्रित किया गया है । किन्तु जहां तक भारत का सम्बन्ध है मख्यतया शास्त्रीय संगीत पेश किया जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी:** भारतीय दल में कौन-कौन लोग हैं, क्या इसमें केवल शास्त्रीय संगीतज्ञ शामिल होंगे और यदि हां, तो संगीतज्ञों की संख्या क्या होगी और उनके नाम क्या हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** जैसा मैंने कहा इसमें संगीत के विद्वान हैं और उसमें वाद्य तथा गायन दोनों संगीत की चीजें होंगी और नृत्य भारतनाट्यम तथा कथाकली होगा। भारत के सर्व श्रेष्ठ कलाकार इसमें भाग लेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** वे कैसे चुने गये हैं ? क्या कलाकार एक तालिका के द्वारा चुने गये थे ? उन्हें किसने चुना हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** कलाकारों के चुनाव के लिये एक तरीका निर्धारित है। हमारी एक विशेष समिति है जिसमें विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि भी उसमें हैं और एक मेरे मंत्रालय का प्रतिनिधि है और वे चुनते हैं। परन्तु इस मामले में आयोजकों ने कुछ बहुत प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों और भाग लेने वालों के लिये अपना अधिमान भी बनाया था।

†**श्री डी० चं० शर्मा :** क्या इस सम्मेलन में केवल संगीत के तत्वों के बारे में ही बातचीत होगी या इसमें वास्तविक संगीत का प्रदर्शन भी होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इसमें दोनों चीजें होंगी।

†**श्री हेम बरुआ :** भारतीय दल का नेता कौन होगा और उसने विदेश और वास्तविक संगीत के लिये क्या किया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** हमने आकाशवाणी के चीफ प्रोडयूसर ठाकुर जयदेव सिंह को नेता चुना है जिसका नाम सिद्धान्तों तथा प्रदर्शनों के लिये बहुत प्रसिद्ध है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** गायन संगीत का प्रतिनिधि कौन होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मेरे पास चार नाम हैं—डगर भाई और श्री पुरुषोत्तम दास.

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** टोकियो में होने वाले विश्व संगीत सम्मेलन के लिये कितने लोग भेजे गये हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** ३० लोग चुने गये थे किन्तु उनमें से एक व्यक्ति जा नहीं सका।

प्रधान मंत्री की यात्रा के लिये विमान

†१५९१. **श्री कुम्भार :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले विमानों में आवश्यक फालतू पुर्जे और औजारों की पेटी रखने का कोई स्थान होता है ताकि आपात काल में उनका इस्तेमाल किया जा सके जैसा कि अभी हाल में काहिरा में हुआ था जब कि प्रधान मंत्री लन्दन से भारत वापस लौट रहे थे ; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये अन्य क्या सावधानी बरती जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है

विवरण

भारत में या विदेशों में प्रधान मंत्री को उन की यात्रा में ले जाने के लिये भारतीय विमान बल के जो जहाज उपयोग में लाये जाते हैं, उनमें हमेशा उपयुक्त ग्राउंड क्रू, आवश्यक प्रविधिक उपकरण और बाहर के स्थानों पर विमान की सर्विस करने के लिये सीमित पुर्जे होते हैं ।

२. प्रधान मंत्री द्वारा एयर इंडिया के विमानों में जो यात्रा की गई थी, उनमें वायु में उड़ सकने की योग्यता के दृष्टिकोण से निम्न पूर्वोपाय किये गये थे :

(१) भारत से विमान विदा होने से पूर्व जो काम किया जाता है उसके लिये निगम का एक बहुत वरिष्ठ इंजनियर समूचे काम का दोहरा निरीक्षण करने के लिये नियुक्त किया जाता है ।

(२) एक वरिष्ठ इंजनियर, हो सकने वाले संभावित किसी प्रविधिक विलम्ब को कम से कम करने की दृष्टि से बाहर के स्थानों पर किसी प्रकार की प्रविधिक मंत्रणा देने के लिये उड़ान में साथ भेजा जाता है ।

(३) भारत से बाहर प्रधान मंत्री की उड़ान के लिये, हमेशा यह प्रथा रही है कि दूसरा विमान पूर्णतया तैयार खड़ा रहता है जब कभी विमान स्थिति ऐसी होती है ।

†**श्री कुम्भार:** प्रधान मंत्री की यात्रा के लिये कितने विमान रखे जाते हैं, वे कितने पुराने हैं और इस लम्बी लन्दन यात्रा में किस का उपयोग किया गया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : यह दूसरा प्रश्न है । इस का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : जो कुछ पूर्वोपाय किये गये थे उनके बावजूद, जैसा कि विवरण में बताया गया है, प्रधान मंत्री की इस यात्रा के अवसर पर विमान ने अच्छा काम नहीं किया । क्या इससे यह पता नहीं चलता कि व्यवस्था खराब है कि पूर्वोपाय भी ठीक नहीं रहते ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस प्रश्न का दो मंत्रालयों से सम्बन्ध है । अभी मेरी मेरे माननीय साथी, परिवहन तथा संचार मंत्री से बात हुई थी । काहिरा में विलम्ब की इस घटना विशेष के मामले में एयर इंडिया इन्टरनेशनल का विमान था । इंजन ईंधन हीटर खराब हो गया था । यह विशिष्ट पुर्जा कभी खराब नहीं होता । यह बहुत विरला उदाहरण है । किसी विमान में, किसी चीज के खराब हो जाने की आशंका को दूर करने के लिये सब जगह प्रत्येक पुर्जा ले जाना सम्भव नहीं होता । यदि इंजन ईंधन हीटर उस स्थान पर होता तो विलम्ब चार घंटों का होता । चूंकि यह वहां नहीं था, इसे बम्बई से मंगवाना पड़ा ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह बताया गया है कि एक इंजनियर जो विशेषज्ञ माना जाता है, विमान के देश से चलने से पहले इस का परीक्षण करता है । जब विमान घर की ओर अपनी वापिसी यात्रा पर था तो क्या यह परीक्षण किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : विमान के चलने से पहले इंजीनियर इस का परीक्षण करता है । जब विमान आकाश में होता है तो ये चीजें हो जाती हैं ।

भारत सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्र दलों के कर्मचारियों को चोटें

†*१५९३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्र-दलों में काम करने वाले कितने कर्मचारी घायल हुए और चिन्ताजनक रूप से रोगग्रस्त हुए;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मर गये और कितने व्यक्तियों की मृत्यु रोगग्रस्त होने के कारण हुई;

(ग) यदि कोई मुआविजा दिया गया हो, तो इन में से प्रत्येक व्यक्ति के आश्रितों को कितना मुआविजा दिया गया; और

(घ) कितने मामले विचाराधीन हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**:(क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरे पास पूरी सूचना है । इन पिछले दो वर्षों में एक सर्वेयर श्री सुरेन्द्रनाथ मर गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल सरकार से सूचना प्राप्त करने के लिये है और सरकार को सूचना देने के लिये नहीं होता ।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : औचित्य प्रश्न के रूप में मैं कहूंगा कि यदि उनके पास सूचना है तो वे प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

†**श्री वाजपेयी** : वह इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यही तो मैं कह रहा था कि उन्हें सूचना प्राप्त करनी चाहिये और सूचना देनी नहीं चाहिये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में एक सर्वेयर मर गया, एक सहायक सर्वेयर के बाजू की हड्डी में कम्पाउंड फ्रैक्चर हुआ तथा दो कलासियों, एक ड्राइवर एवं दो कुलियों की मृत्यु नेपाल, राजस्थान और दूसरे स्थानों में हुई ?

†**डा म० मो० दास** : जब मेरे पास सब तथ्य उपलब्ध होंगे तो मैं उत्तर दे सकता हूं । जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है, सूचना एकत्रित की जा रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : औचित्य प्रश्न के रूप में मैं पूछता हूं कि जब सरकार उत्तर देने में असमर्थ है तो क्या इस सभा के एक सदस्य को, चाहे वह सरकारी दल का हो या विरोधी दल का, यह अनुमति नहीं है कि वह सूचना दे सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल के बीच में नहीं। माननीय सदस्य वह सूचना अपने पास रख सकते हैं और तब प्रश्न पूछ सकते हैं जैसा कि उन्होंने अब किया है अर्थात् क्या अमुक बात सच्ची है या नहीं और तब सरकार उत्तर देगी। परन्तु, माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते कि 'मैं सूचना दूंगा जो मेरे पास है और सरकार को मुझे कुछ समय के लिये सुनना चाहिये और सभापति को भी ध्यान से सुनना चाहिये।'

†**श्री वाजपेयी** : माननीय सदस्य ने जिन कुछ दुर्घटनाओं का उल्लेख किया है वह दो वर्ष पूर्व हुई हैं। यह क्या बात है कि उन के पास इन विषयों के बारे में कोई सूचना नहीं है?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उल्लेख करूंगा जिसमें यह उल्लेख है कि :

> "भारत के सर्वेक्षण विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय दलों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, जिनको १ जनवरी, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि में घाव आये और जो बहुत अधिक बीमार हो गये।"

दो वर्षों की पूरी सूचना मांगी गई है। हमने यह कहा है कि हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब यह प्राप्त हो जाये तो माननीय सदस्य को दे दी जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि दल का प्रमुख अफसर या निदेशक ने उन क्षेत्रों का लगातार दौरा किया जहां क्षेत्रीय अफसर काम करते थे?

†**डा० म० मो० दास** : हां, कड़ा नियंत्रण किया जा रहा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि १९६० के दौरान, सर्वेयर, सहायक सर्वेयर आदि को इन सब दुर्घटनाओं के बाद भी, कोई अफसर उन क्षेत्रों में नहीं गया और उनको वहां छोड़ दिया गया है कि वे स्वयं अपनी रक्षा करें?

†**डा० म० मो० दास** : मुझे इसकी जांच करनी होगी।

भाखड़ा बिजलीघर परियोजना और नंगल उर्वरक कारखाने के लिये साज सामान

†*१५९४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा बिजली घर परियोजना और नंगल उर्वरक कारखाने के लिए फालतू कलपुर्जों को छुड़ाने में सीमा-शुल्क सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण काफी देर और हानि हुई है;

(ख) इस प्रकार होने वाले विलम्ब तथा हानि को रोकने के लिए यदि सरकार ने कोई हिदायतें जारी की हों अथवा जारी करने का विचार हो, तो वे क्या हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्पर्क स्थापित किया है और उनकी कठिनाइयों का पता लगाया है ताकि उन्हें दूर किया जा सके?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). सूचना मांगी जा रही है और जब प्राप्त हो जायेगी तो सभा पटल पर यथाशीघ्र रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं समझ सकता हूं कि (ग) के बारे में सूचना मांगी जा रही है। (क) और (ख) में उल्लिखित निश्चित शिकायतके बारे में जिसकी सूचना हमें तब मिली जब हम हाल में भाखड़ा-नांगल गये, उसके बारे में मंत्रालय को मालूम होना चाहिये। क्या उन्होंने उन सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों से पूछा है कि उन को क्या कठिनाइयां हैं और उन्हें दूर किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि वे किस से पूछताछ कर रहे हैं।

†**श्री ब० रा० भगत** : विभिन्न स्थानों, सम्बद्ध मन्त्रालयों, सम्बद्ध सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं और विभिन्न कार्यालयों से जिनके अन्दर वे आते हैं, पूछताछ करनी पड़ती है। अतः सूचना केवल दिल्ली से ही एकत्र नहीं करनी पड़ती अपितु विभिन्न स्थानों से एकत्र करनी पड़ती है, अतः इसमें समय लगता है। जब यह प्राप्त हो जाएगी तो सभा पटल पर रख दी जाएगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या लोगों की कठिनाइयों और शिकायतों का पता लगाने के लिये जिनका सीमा शुल्क प्राधिकारियों से सम्पर्क आता है मन्त्रालयों में कोई नीरक्षण कर्मचारी रखने का स्थायी प्रबन्ध है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हां, है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वह प्रबन्ध क्या है और उन निरीक्षक कर्मचारियों की रिपोर्टों के बारे में मन्त्रालय का क्या अनुमान है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं उत्तर दूंगा।

मयूरभंज राज्य बैंक का विलय

†*१५९५. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मयूरभंज राज्य बैंक का स्टेट बैंक आफ इण्डिया में विलय किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ;

(ग) विलय के पश्चात् मयूरभंज राज्य बैंक के कर्मचारियों की क्या स्थिति होगी ; और

(घ) यदि कुछ कर्मचारी फालतू हो गये तो उनकी क्या वकल्पिक रोजगार प्रदान किया जायगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) हां श्रीमान।

(ख) ६ मई, १९६१।

(ग) से (ङ). अफसरों समेत बैंक कर्मचारियों की वतमान संख्या ३१ है। स्टेट बैंक आफ इण्डिया उन कर्मचारियों को नौकरी देगा जो उड़ीसा सरकार की जरूरत से फालतू होंगे और उपयुक्त समझे जायेंगे। ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें स्टेट बैंक नहीं लेता, वैकल्पिक नौकरियां देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचार करने का है।

†**डा० सामन्त सिंहार** : इस विलय के क्या कारण हैं और क्या यह कार्रवाई किये जाने से पहले उड़ीसा सरकार का विचार पूछा गया था और यदि हां, तो उसका क्या मत था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वास्तव में ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति ने इस बैंक को स्टेट बैंक के साथ मिलाने की सिफारिश की थी। विलय की इस योजना को उड़ीसा की सरकार, इस बैंक के निदेशक मण्डल तथा स्टेट बैंक ने अनुमोदित किया।

रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्रों में रस्सों के मार्ग

†*१५९९. श्री कमल सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्रों में रेत की ढुलाई के लिये रस्सों के मार्गों की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्यौरा है और कार्य कब तक पूरा हो जायगा; और

(ग) इस समय देश में ऐसे कितने मार्ग हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्रप्रसाद सिन्हा) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) १९६०-६१ के लिये खान और ईंधन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अध्याय १ की कंडिकाओं ४६ और ४७ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी प्रतियां सदस्यों में पहले ही परिचालित की जा चुकी हैं। अब तक सब रज्जुपथों के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जा चुके हैं और सात में से छः रज्जुपथों के लिये विश्वजनीन टेंडर मांगे गये हैं। कोयला बोर्ड इन सब रज्जु पथों का निर्माण करवाएगा।

(ग) इस समय छः रज्जुपथ हैं जिनकी कुल क्षमता ५९० टन प्रति घण्टा या लगभग २० लाख टन प्रति वर्ष है। ये सब गैर-सरकारी स्वामित्व में हैं।

†श्री कमल सिंह : सरकार को विश्व जनीन टडर और प्राक्कलन प्राप्त करने में कितना समय लग जाएगा।

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : उत्तर में बताया गया है कि सब रज्जुपथों के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जा चुके हैं। सात में से छः रज्जुपथों के लिये विश्व जनीन टेंडर मांगे गय हैं। टेंडर प्राप्त होने में साधारणतया पांच या छः महीने लग जाते हैं।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार यह रज्जुपथ का निर्माण कर रही है। गैर-सरकारी कोयला खानों को यदि अर्थ-सहायता दी जा रही है क्या वह 'स्टोइंग' कार्य के लिये जारी रहेगी ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : उस रूप में नहीं।

†श्री मुरारका : इस रज्जु पथ की कुल लागत क्या होगी और सरकार कितनी विदेशी मुद्रा या विदेशी सहायता की आशा रखती है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं इसका अनुमान लगाने का प्रयत्न नहीं करूंगा, विशेषकर जबकि डर मांगे गये हैं।

टें†मूल अंग्रेजी में

जोश मलीहाबादी

+

†*१६००. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री अंसार हरवानी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी कवि जोश मलीहाबादी ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाय ;

(ख) यदि हां; तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कवि को भारत आने के लिये एक महीने में दो बार 'बीसा' दिय गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार अनुमति प्रदान करने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). उसे केवल एक बीसा दिया गया है ताकि वह दिल्ली के मुशायरे में आ सकें और लखनऊ तथा बम्बई जा सकें ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि जोश मलीहाबादी के पास किस किस्म का बीसा है—क, ख, ग किस श्रणी का बीसा दिया गया है ?

†**श्री दातार** : श्रेणी 'ग' का बीसा ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : पिछले दो महीनों में जोश मलीहाबादी कितनी बार भारत आये ?

†**श्री दातार** : प्रश्न उनकी वतमान यात्रा के बारे में है । यह तीन महीनों की अवधि के लिये है । मुझे उनकी पुरानी यात्राओं का पता नहीं है ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या सरकार को यह पता है कि जब जोश मलीहाबाद सदा के लिये इस देश को छोड़ कर गये और पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार की, तो उन्होंने ऐसा इस धारण पर किया कि उनके और उनके परिवार के लिये इस देश में कोई भविष्य नहीं था ? और जब वह पाकिस्तान गये तो उन्होंने भारत के विरुद्ध कविताए लिखीं । ऐसी स्थिति में सरकार ऐसे लोगों को जो भारत विरोधी हैं, बीसा कैसे देती है ?

†**श्री दातार** : वह भारत के बीसा के साथ पाकिस्तानी राष्ट्रजन के नाते यहां आये थे । वह आकस्मिक यात्री के रूप में आये थे ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मन्त्री जी को मालूम है कि जोश साहब जब से हिन्दुस्तान से पाकिस्तान गए हैं, हिन्दुस्तान के खिलाफ आग उगल रहे हैं और हर प्रकार से हिन्दुस्तान के खिलाफ प्रापेगण्डा कर रहे हैं ? यदि यह उनको मालूम है, तो उनको क्यों बीसा दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । श्री दी० चं० शर्मा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मन्त्री ने बताया है कि उन्हें तीन महीने के लिये बीसा दिया गया है । उन्हें इतनी लम्बी अवधि के लिये बीसा क्यों दिया गया है ?

†**श्री दातार** : उनको दिल्ली, लखनऊ और बम्बई जाना था । इसलिये तीन महीनों का बीसा दिया गया है ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या यह सच नहीं है कि भारत आने के लिये पाकिस्तानी राष्ट्रजन को बीसा देते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि वह वांछित व्यक्ति है ?

†**श्री दातार** : वह पाकिस्तानी राष्ट्रजन है और उसे दिल्ली में मुशायरे में आने का लखनऊ और बम्बई जाने के लिये बीसा दिया गया है ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या भारत सरकार को यह बात विदित है कि श्री जोश मलीहाबादी हैदराबाद के लिये कोई बीसा लिये बिना हैदराबाद भी गये थे और वहां उन्होंने एक मुशायरे में भाग लिया तथा भारत के विरुद्ध कविता पढ़ी ?

†**श्री दातार** : मुझे इसकी सूचना नहीं है । उनका बीसा केवल दिल्ली, लखनऊ और बम्बई के लिये है ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : मैं जानना चाहता हूं कि .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री कहते हैं कि परमिट में दिल्ली के अतिरिक्त केवल दो अन्य स्थानों की अनुमति दी गई है और माननीय सदस्य यह कहते हैं कि वह हैदराबाद भी गये हैं । इसलिये मन्त्री जी इसकी जांच करेंगे । माननीय सदस्य और क्या चाहते हैं ?

†**श्री अ० मु० तारिक** : मेरा प्रश्न यह है कि वह बिना बीसा हैदराबाद गये और वहां उनके विरुद्ध एक मुशायरे में नारे लगाये गये क्योंकि उन्होंने भारत के विरुद्ध कविता पढ़ी । क्या भारत सरकार को इस के बारे में कोई सूचना है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : हां, यह सच है । जवाब क्यों नहीं दिया जाता है ? मैं चाहता हूं कि जवाब दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मिनिस्टर साहब नहीं उठे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके पास इसका जवाब और कोई नहीं है और उतना ही है जितना वह दे चुके हैं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या यह सच है कि भूपत ने भी भारत आने का बीसा मांगा था और यह उसको इन्कार कर दिया गया ?

†**श्री अ० मु० तारिक** : एक अनुपूरक पूछना चाहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है और पर्याप्त अनुमति दी जा चुकी है ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या यह सच नहीं है कि भारत सरकार .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति, अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ए एन-१२ यूक्रेना परिवहन विमान

+
†*१६०१. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सम्पत :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री आसर : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस से अभी हाल में जो ए एन-१२ यूक्रेना परिवहन विमान खरीदे गये थे और जिन्हें खरीदने का मुख्य उद्देश्य भारत के पर्वतीय उत्तरी सीमा क्षेत्र में, सड़कों के निर्माण के लिए, सड़क बनाने के भारी यंत्र और सामान ले जाने के वास्ते उनका उपयोग करना था, क्या वे विमान उस सीमा के निकट स्थित किसी भी मौजूदा विमान-पट्टी पर नहीं उतर सकते ;

(ख) यदि हां, तो क्या रूसी प्रविधिज्ञों ने भारत सरकार से उन विमान-पट्टियों को चौड़ा करने और उनका विस्तार करने के लिए कहा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । जब सीमान्त सड़क परियोजना के लिये इन विमान अवतरण स्थानों में कुछ कर लगातार और भारी इस्तेमाल आवश्यक हुआ तो इन विमान अवतरण स्थानों में कुछ सुधार का आयोजन किया गया ।

(ग) इन योजनाओं को आवश्यक रूप से आरम्भ किया जायेगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि रूस से अब तक कितने ए एन-१२ यूक्रेना परिवहन विमान खरीदे गये हैं और उनमें से कितने सीमा पर काम कर रहे हैं ? इस विमान के चालक की राष्ट्रीयता कौन सी है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह बात इस प्रश्न से बहुत परे है परन्तु जानकारी के तौर पर जहां कहीं भी विमान को ले जाना पड़ा यह सफलता से वहां उतर गया और कभी कोई कठिनाई नहीं हुई ।

बरौनी का तेलशोधक कारखाना

†*१६०२. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री त० ब० विट्ठल राव : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बरौनी में तेलशोधक कारखाने के निर्माण में और क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१. निर्माण-कार्य में प्रगति :

तेलशोधक कारखाने के स्थान पर मिट्टी का काम, स्थान ठीक करना आदि के बारे में ठेका दे दिया गया है । विदेशी विशेषज्ञों के लिये एक होस्टल के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. रेलवे कालोनी--सड़कें और इमारतें :

हायोडाह में रेलवे से लिये गये बस्ती के मरम्मत और संधारण कार्य का ७२ प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है ।

३. बस्ती (टाउनशिप) :

रूसी होटल और एक श्रेणी के १०० क्वार्टरों के निर्माण के लिये निर्माणादेश जारी किये गये हैं ।

४. प्रशिक्षार्थी :

शोधक कारखाना लगाने, उसके संधारण और चलाने में प्रशिक्षण के लिये इन्टरव्यू के पश्चात् चुने गये २२ भारतीय प्रशिक्षार्थी और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आफिसर-इन्चार्ज अप्रैल, १९६१ के मध्य तक रूस चले जायेंगे और २७ प्रशिक्षार्थियों का दूसरा दल जुलाई, १९६१ में भारत से रवाना होगा। ६ भारतीय प्रशिक्षार्थी ब्रिटेन में मेसर्ज लार्सन एण्ड टोबरो के यहां प्रशिक्षण के लिये जायेंगे ।

५. परियोजना प्रतिवेदन :

परियोजना प्रतिवेदन दिसम्बर, १९६० में प्राप्त हुआ था और रूसी विशेषज्ञों के साथ ही परियोजना प्रतिवेदन पर बातचीत मार्च, १९६१ में समाप्त हुई थी । परियोजना की कार्यान्विति के के लिये लागत प्राक्कलन और रूसी संस्थानों को दिये जाने वाले ठेके के बारे में विचार किया जा रहा है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विवरण से पता चलता है कि २२ भारतीय प्रशिक्षार्थी और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आफिसर-इन्चार्ज रूस जायेंगे और ३७ प्रशिक्षार्थियों का दूसरा दल जुलाई, १९६१ में भारत से रवाना होगा । ये प्रशिक्षार्थी किस देश में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : ये प्रशिक्षार्थी रूस गये हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कुछ समय पूर्व यह कहा गया था कि उपकरणों के संभरण के लिये और रूसी संस्थाओं द्वारा प्राविधिक सेवा दिये जाने के बारे में वाणिज्यिक संविदा फरवरी, १९६१ में हो जायेगा । क्योंकि परियोजना प्रतिवेदन की जांच ही मार्च में पूरी हुई है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस उपकरण के लिये क्रयादेश कब दिये जायेंगे ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : यह मार्च में समाप्त हुआ परन्तु क्रयादेश देने में कुछ समय लगेगा यद्यपि जांच पूरी हो गयी है, कुछ ब्यौरे अभी तयार किया जाना है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या उपकरण एक ब्यौरा है ? यह अति आवश्यक है । इस पर लगभग २५ से ३० करोड़ पये तक लागत आयेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि वह कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या मूल रूप से निर्धारित समय का पालन किया जायेगा अर्थात् क्या प्रथम यूनिट में अक्तूबर-दिसम्बर, १९६२ के दौरान किसी समय काम आरम्भ हो जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : उसमें कुछ अधिक समय लग सकता है और इसमें कुछ महीनों का विलम्ब हो सकता है परन्तु ठीक समय के बारे में क्रयादेश देने के बाद ही बताया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परियोजना प्रतिवेदन की जांच की जा चुकी है और समझौता हो गया है, इस बरौनी तेल-शोधक कारखाने पर कितनी लागत आयेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस समय मैं कोई आंकड़े नहीं बताऊंगा जब कि ऋण देश देने के मामले पर अभी बातचीत चल रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या इस परियोजना प्रतिवेदन से, जिसकी सरकार जांच कर रही है, इस तेल-शोधक कारखाने के उत्पादन के तरीके में या अन्य किसी महत्वपूर्ण चीज पर कोई प्रमुख प्रभाव पड़ेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उत्पादन का तरीका वही है जो परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित है ।

†**श्री हेम बरुआ** : एक पूर्व अवसर पर नूनमती और बरौनी तेल-शोधक कारखानों के उत्पादन के तरीकों की घोषणा की गयी थी । मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस परियोजना प्रतिवेदन से उस तरीके पर कोई प्रभाव पड़ेगा जिसकी काफी पहले घोषणा की गयी थी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : बरौनी के बारे में परियोजना प्रतिवेदन स्वीकार करने से नूनमती में उत्पादन तरीके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । जहां तक बरौनी में उत्पादन तरीके का सम्बन्ध है, यह परियोजना प्रतिवेदन में बताया गया है । अत : इसमें तुलना का कोई आधार नहीं है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सरकार ने अभी तक बरौनी परियोजना की प्राक्कलित लागत का हिसाब नहीं लगाया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : क्योंकि अभी ऋण देश दिये जाने हैं, मैं कोई ठीक आंकड़े नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे बातचीत पर भी असर पड़ सकता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : दोनों तेल-शोधक कारखानों के उत्पादन तरीकों के सम्बन्ध में मेरा मतलब केवल एक बात जानने से था । दोनों तेल-शोधक कारखानों के उत्पादन-तरीकों के बारे में बताया गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने के परियोजना प्रतिवेदन से सभा पटल पर रखे गये मूल परियोजना प्रतिवेदन पर कोई असर पड़ेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उसी तरीके को अपनाया जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लद्दाख क्षेत्र में सुहागा के निक्षेप

†***१५८१. श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में केवल पुगा घाटी (लद्दाख) ही ऐसा एक क्षेत्र है जहां पर सुहागा (बोरक्स), जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा पदार्थ है, पाया जाता है ; और

(ख) इन निक्षेपों के समुचित खनन की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) सुहागा के निक्षेप लद्दाख, जम्मू और काश्मीर में है ।

(ख) लद्दाख में सुहागा के निक्षेप के खनन का प्रश्न जम्मू तथा काश्मीर राज्य के विचाराधीन है ।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स

†*१५८६. **श्री उस्मान अली खां** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को अपने हाथ में लेने के लिए एक नये सरकारी निगम की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) राज्य सरकार को, जिसका मैसूर आइरन एंड स्टील वर्क्स है, यह कहा गया है कि वह इस्पात कारखाने को निगम अथवा समवाय के रूप में चलाये । राज्य सरकार ने यह परामर्श मान लिया है ।

(ख) यह समझा जाता है कि शीघ्र ही एक समवाय बना दिया जायगा ।

मद्रास में इस्पात कारखाना

†*१५९०. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **इस्पपात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में दक्षिण अर्काट जिले में खनिजों का विकास करने और एक इस्पात कारखाना स्थापित करने की कोई योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान औरर ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग) . मद्रास सरकार ने मद्रास राज्य में खनिज निक्षेपों और भूगत जल संसाधनों की जांच सम्बन्धी योजना में सहायता के लिये एक प्रस्थापना भेजी है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में नीवेली के लिग्नाइट को इस्तेमाल करने वाला एक कच्चा लोहा संयंत्र शामिल किया गया है । कच्चे लोहे के आर्थिक रूप से निर्माण के लिये कच्चे माल की उपयुक्तता निर्धारित करने के विचार से प्राथमिक जांच की जा रही है ।

पुर्तगाली सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण

†*१५९२. — **श्री अगाड़ी** :
श्री सुगन्धि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में पुर्तगाली सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय क्षेत्र का कोई अतिक्रमण किया गया था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संघ राज्य क्षेत्रों में साक्षरता

*१५९६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य-क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ाने के लिय तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई योजनायें बनाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए संघ राज्य-क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई योजना बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). मांगी हुई सूचना एकत्रित की जा रही है और एक विवरण यथा समय सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

रद्दी लोहा

†*१५९७. **श्री मो० ब० ठाकुर :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ से १९६० तक की अवधि में प्रतिवर्ष "स्कल स्क्रेप" (रद्दी लोहे) की एक किस्म) का कितना वास्तविक उत्पादन, देश में उपभोग और निर्यात हुआ ;

(ख) रद्दी लोहा जांच समिति के अनुमान की तुलना में यह कितना था ;

(ग) १९६१ के दौरान कितना उत्पादन और देश में उपभोग होने का अनुमान है और निर्यात के लिये विशेष कितनी मात्रा के उपलब्ध होने की आशा है; और

(घ) क्या सरकार 'स्कल स्क्रेप' के निर्यात सम्बन्धी नीति निर्धारित करने के लिए अब भी पूर्णतः रद्दी लोहा जांच समिति की उपपत्तियों पर निर्भर करती है, जो कि 'स्क्रेप' की वस्तुतः उपलब्ध होने वाली मात्रा से गलत सिद्ध हो चुकी हैं और जिसका प्रमाण १९५९ और १९६० के आंकड़ों से मिलता है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). 'स्कल स्क्रेप' के वास्तविक उत्पादन और देश में उपभोग का ब्योरा उपलब्ध नहीं है । वर्ष १९५७ से १९६० तक के निर्यात के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष १९५७	१३,२९८ टन
वर्ष १९५८	४,३६७ टन
वर्ष १९५९	७३,०१९ टन
वर्ष १९६०	९४,३३२ टन

†मूल अंग्रेजी में

(घ) प्रदेश-वार स्क्रेप के उत्पादन, इस्तेमाल, देश में चालू और भावी संभावना, विवरण की वर्तमान पद्धति, इस में किये जाने वाले सुधार स्क्रेप के मूल्य और विभिन्न प्रकार के स्क्रेप के सतत निर्यात की संभावनाओं सम्बन्धी प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति बनाने का फैसला किया गया है ।

नन्दा देवी को अभियान

†*१५९८. **श्रीमती इला पाल चौधरी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २५,६४५ फुट ऊंची नंदा देवी चोटी पर चढ़ने के लिए एक अभियान आयोजित करने का विचार है जिसके सभी समय भारतीय होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना का ब्योरा क्या है और इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां । नन्दा देवी चोटी पर भारतीय पर्वतारोहण संस्था[1] एक अभियान-दल भेज रही है जिसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे ।

(ख) इस दल में निम्नलिखित छः सदस्य होंगे :

१. श्री गुरदयाल सिंह —नेता ।

२. मेजर जोन डायस ।

३. श्री सुनाम दुबे ।

४. श्री हरि के० डांग ।

५. कैप्टेन के० एन० थडानी ।

६. लेफ्टिनेन्ट डाक्टर एन० शर्मा, ए.एम. सी. ।

यह दल १ मई, १९६१ को देहरादून से रवाना होगा और जुलाई, १९६१ के आरम्भ में वापस आयेगा ।

इस अभियान पर २८,००० रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

पीपल्स फ्रैंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को

†*१६०३. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री सूपकार :
श्री हेम राज :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०९६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीपल्स फ्रैंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को के लिए उम्मीदवारों का अन्तिम रूप से चुनाव किया जा चुका है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Indian Mountaineering Foundation.

(ख) यदि हां, तो कितने उम्मीदवार चुने गये हैं और चने गये उम्मीदवारों का विवरण क्या है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागालैंड और आसाम के बीच सीमा-विवाद

†*१६०४. **श्री प्र० च० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड और आसाम के शिव सागर जिले के बीच कोई सीमा-विवाद उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह विवाद वस्तुतः किस बात पर है ; और

(ग) सीमा तय करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). इस प्रश्न का बाद में अन्य तिथि को प्रधान मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया जायगा ।

हायर सेकेंडरी स्कूल

†१६०५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को यह सुझाव दिया है कि वर्तमान हाई स्कूलों में से कम से कम ५० प्रतिशत को हायर सेकेंडरी स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारें, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में व्यवस्था कर रही है । राज्य सरकारें इस सुझाव को कहां तक अमल में ला सकी हैं यह बात राज्यों की आयोजनाएं मिलने पर ही मालूम हो सकेगी ।

भूतपूर्व सैनिक

†*१६०६. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूतपूर्व सैनिक संस्था के दसवें वार्षिक सम्मेलन में, जो मार्च १९६१ के चौथे सप्ताह में दिल्ली में हुआ, भूतपूर्व सैनिकों की दशा में सुधार करने के लिए क्या सुझाव दिये गये थे ; और

(ख) इन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन) : (क) इन कार्यवाहियों अथवा सुझावों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छतर मंजिल, लखनऊ

†*१६०७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ की छतर मंजिल की सुरक्षा और केन्द्रीय औषधि संस्था को वहां पर रखने के प्रश्न की विस्तृत जांच करने के लिए विशेषज्ञों की जो विशेष समिति नियुक्त की गयी थी उसकी रिपोर्ट तयार होने में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह पूरी हो गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख). समिति ने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६४**] ।

दिल्ली में पाठ्य के पुस्तकें

*१६०८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों का सर्वेक्षण करने के लिये राज्य सरकारों को निदेश दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है ; और

(ग) इस विषय में विभिन्न राज्यों में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग)। प्रश्न ही नहीं उठता ।

घड़ियों का तस्कर व्यापार

†*१६०९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २५ मार्च, १९६१ के "स्टेट्समैन" में "बायर्स पेरेडाइज इन वाचेज" शीर्षक के अन्तर्गत भारत में घड़ियों के तस्कर व्यापार सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य को करने वाले किसी गिरोह का पता लगा है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस की रोक थाम के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब०रा० भगत)** : (क) जी, हां । सरकार ने समाचार पत्रों में समाचार पढ़े हैं ।

(ख) और (ग). घड़ियों के तस्कर व्यापार के कई मामले पकड़े गये हैं परन्तु घड़ियों के तस्कर व्यापार से सम्बन्धित किसी गिरोह का पता नहीं चला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

†*१६१०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत योजना और उत्पादन के दो नये विभाग स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) इन विभागों का गठन और कृत्य क्या होंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में एक योजना विभाग पहले ही है । अब उस में एक उत्पादन विभाग स्थापित करने की योजना है ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें योजना विभाग और प्रस्तावित उत्पादन विभाग के गठन और कृत्यों के बारे में बताया गया है ।

विवरण

योजना विभाग एक वरिष्ठतम खान इंजीनियर के प्रभार में है । निगम का योजना विभाग एक प्रमुख विभाग है । यह निगम की सभी नयी परियोजनाओं के लिये, भूतत्वीय खोज के लिये और उत्पादन के लिये और यूनिट स्थापित करने के लिये क्षेत्रों का चयन करने की प्रावस्था से ले कर उपलब्ध भूतत्वीय और खनन आंकड़ों का मूल्यांकन करने, उन आंकड़ों पर आधारित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने आयोजित यूनिट की आर्थिक और लाभप्रद स्थिति के बारे में मालूम करने, उत्पादन यूनिटों के लिये संयंत्र और उपकरणों की आवश्यकता और आवश्यक प्रविधिक और अन्य व्यक्तियों के बारे में प्राक्कलन करने तक, आयोजन करता है और परियोजना प्रतिवेदन तैयार करता है ।

निगम का प्रस्तावित उत्पादन विभाग सदरमुकाम में एक वरिष्ठ खान इंजीनियर के प्रभार में स्थापित किया जायेगा और यह सामान्यतः निगम की उत्पादन योजनाओं की कार्यान्विति के लिये जिम्मेदार होगा ।

दिल्ली में कर की वसूली

†३४२१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ में दिल्ली में सम्पदा-शुल्क, व्यय-कर, उपहार-कर और धन-कर के रूप में कितनी धनराशि का मूल्यांकन किया गया और कितनी धनराशि वसूल की गयी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

कर का नाम	मूल्यांकित धन-राशि	वसूल की गयी धनराशि (हजार रुपयों में)
सम्पदा शुल्क .	१६२८	८२९
व्यय कर	१५५	१४३
उपहार कर	१७२*	२४५
धन कर	३०१६	२०८३

*फरवरी, १९६१ के अन्त तक

†मूल अंग्रजी में

पंजाब में अध्यापिकाओं के लिये मकान

†३४२२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ में महिलाओं की शिक्षा के लिये आवंटित धनराशि में से पंजाब राज्य में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों के लिये कितने मकान बनाये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि महिला शिक्षा की ओर केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत अन्य योजनाओं को पंजाब सरकार ने स्वीकार नहीं किया ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमती) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) लड़कियों की शिक्षा और महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण के विस्तार, और शिक्षित बेरोजगारी में सहायता और प्राथमिक शिक्षा के विस्तार सम्बन्धी योजनाओं के अधीन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही महिला अध्यापकों के लिये क्वार्टर बनाये जाने हैं। वर्ष १९५९-६० में बनाये गय क्वार्टरों की संख्या २२ है और वर्ष १९६०-६१ में मंजूर किये गय क्वार्टरों की संख्या २४७ है ।

(ख) और (ग). लड़कियों की शिक्षा के विस्तार की योजना में कई उप-योजनायें हैं जिन में से राज्य सरकारें स्थानीय परिस्थितियों और निधि की उपलब्धता को देखते हुए किसी भी योजना को क्रियान्वित कर सकती हैं । तदनुसार पंजाब सरकार ने महिला शिक्षकों के लिये क्वार्टरों के निर्माण की उप-योजना आरम्भ कर दी है ।

भूतपूर्व सैनिक

†३४२४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में (राज्य-वार) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास पर कितना व्यय किया गया है ; और

(ख) कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया और अभी कितने बेरोजगार हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्रीकृष्ण मेनन) :** (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ख) वर्ष १९६० में ११,१४१ भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार मिल गया है । दिसम्बर, १९६० के अन्त में रोजगार पाने में सहायता के लिये काम दिलाऊ दफ्तरों के रजिस्टरों में सैनिकों की संख्या २६,६९९ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान को कच्चे लोहे का आवंटन

†३४२४. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में अब तक राजस्थान को कुल कितने कच्चे लोहे का आवंटन किया गया ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी मात्रा का वास्तव में आवंटन किया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). कच्चे लोहे के आवंटन के लिये अभ्यंश पद्धति को जुलाई, १९५९ से समाप्त कर दिया गया। सभी उपभोक्ता केवल इन्डेन्ट भर कर कच्चा लोहा प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल-सितम्बर, १९६० में उत्पादकों को २,७०८ टन दिया जाना था। अप्रैल, १९६० से जनवरी, १९६१ तक २,३८३ मीटरिक टन का संभरण किया गया।

महाराष्ट्र को लोहे की चादरों का संभरण

†३४२५. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में अब तक महाराष्ट्र सरकार ने लोहे की कितनी चादरों की मांग की है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में अब तक यह मांग किस हद तक पूरी की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख).

मांग .	८६,३८६ टन
आवंटन . . .	५३,३८९ टन
संभरण* . .	(१) अप्रैल, १९६० से अगस्त, १९६० तक महाराष्ट्र समेत बम्बई राज्य को १०,८९३ टन का संभरण किया गया।
	(२) सितम्बर से नवम्बर, १९६० तक महाराष्ट्र राज्य को १२,४५० टन का संभरण किया गया।

*महाराष्ट्र राज्य को संभरण के आंकड़े पृथक रूप से सितम्बर, १९६० से रखे जाते हैं इसलिये उस से पूर्व की अवधि के लिये संभरण के आंकड़े नहीं बताये जा सकते।

महाराष्ट्र में योग्यता-एवं-साधन छात्रवृत्तियां

†३४२६. **श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०-६१ में महाराष्ट्र में प्रत्येक प्रविधिक संस्था को कितने योग्यता-एवं-साधन छात्रवृत्तियां आवंटित की गयी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : योग्यता-एवम्-साधन छात्रवृत्ति योजना के अधीन महाराष्ट्र में वर्ष १९६०–६१ में प्रविधिक संस्थाओं को आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :

संस्था का नाम	आवंटित छात्र-वृत्तियों की संख्या
१. प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम की संस्थायें :	
१. इंजीनियरिंग कालिज, पूना	१६
२. विक्टोरिया जूबिली टेक्निकल इंस्टीच्यूट, बम्बई	९
३. वालचंद कालिज आफ इंजीनियरिंग, सांगली	७
४. डिपार्टमेन्ट आफ केमिकल टेक्नोलाजी, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई	१०
५. लक्ष्मी नारायण इंस्टीच्यूट आफ टेक्नोलाजी, नागपुर	२
६. श्री जे० जे० कालिज आफ आर्कीटेक्चर, बम्बई	४
७. गवर्नमेंट इन्जीनियरिंग कालिज, औरंगाबाद	७
८. गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालिज, कराड	७
२. डिप्लोमा पाठ्यक्रम की संस्थायें :	
९. गवर्नमेंट पालीटेक्नीक, पूना	५
१०. गवर्नमेंट पालीटेक्नीक, औरंगाबाद	२
११. गवर्नमेंट पालीटेक्नीक, कराड	२
१२. गवर्नमेंट पालीटेक्नीक, अमरावती	२
१३. गवर्नमेंट पालीटेक्नीक, नागपुर	३
१४. गवर्नमेंट पालीटेक्नीक, शोलापुर	२
१५. इन्स्टीच्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, धूलिया	१
१६. सर कूसरो वाडिया इंस्टीच्यूट आफ इलेक्ट्रीकल टेक्नोलाजी, पूना	१
१७. पूरनमल लहती स्मारक टेक्नीकल इन्स्टीच्यूट, लटूर	१
१८. गवर्नमेंट ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट खार, बम्बई	१
१९. सेन्ट एक्सैवियर्स टेक्नीकल इंस्टीच्यूट, बम्बई	१
२०. विक्टोरिया जूबिली टेक्नीकल इंस्टीच्यूट, बम्बई	३
२१. वालचन्द कालिज आफ इंजीनियरिंग, सांगली	२
२२. स्कूल आफ प्रिंटिंग टेक्नोलाजी, बम्बई	१
२३. पालीटेक्नीक, जलगांव	२
२४. गवर्नमेंट पालीटेक्नीक, बम्बई	२
कुल	९३

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ से स्मारकों को क्षति

†३४२७. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में वर्ष १९६० में आई गम्भीर बाढ़ से केन्द्रीय पुरातत्वीय विभाग के संरक्षणाधीन किसी प्राचीन स्मारक को क्षति पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की हानि हुई और कितनी हानि हुई?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रुपये का मूल्य

†३४२८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास समिति की मद्रास शाखा में भारत के रक्षित बैंक के गवर्नर के वक्तव्य के सम्बन्ध में कि विदेशों में गैर-सरकारी मंडियों में भारतीय रुपये के नोट मई, १९६० से ३३ प्रतिशत डिस्काउन्ट पर चल रहे हैं, इस डिस्काउन्ट के कारणों की पूरी व्याख्या क्या है ;

(ख) रुपये के बाह्य मूल्य को पहले के स्तर पर स्थिर करने के लिये रक्षित बैंक ने क्या पग उठाये हैं ;

(ग) क्या राजकोषीय नीति और आर्थिक स्थिरता के बारे में सरकार और भारत के रक्षित बैंक की नीतियों में कोई अन्तर है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके विचारों में क्या अन्तर है और उसका क्या असर पड़ता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) विदेशों में गैर-सरकारी मंडियों में रुपये के नोटों पर डिस्काउन्ट सोना और अन्य प्रतिबन्धित आयात के चोरी छिपे लाने के लिये भारतीय चलार्थ नोटों के चोरी छिपे बाहर ले जाने से होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि को रोकने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों के कारण है ।

(ख) क्योंकि यह गिराव्ट केवल गैर-सरकारी सौदों के बारे में है, और अन्य सभी सामान्य सौदों के लिये यह अपरिवर्तनीय है, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सस्थामकोल्टा झील (केरल) का प्राणिकीय सर्वेक्षण

†३४२९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण विभाग ने केरल में प्राकृतिक ताजा जल की झील सस्थामकोल्टा झील के जन्तुओं का सर्वेक्षण कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या विशेषतायें हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कार्यक्रम में से इस झील को क्यों निकाल दिया गया है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) भारतीय संग्रहालय के प्राकृतिक इतिहास विभाग के डा० एन० अन्नन्दले ने वर्ष १९०८ में सस्थामकोल्टा झील का सर्वेक्षण किया था । उनको पता लगा कि पोलीजो की दो जातियों और स्पोंज की एक जाति के अतिरिक्त झील में जन्तुओं की अन्य जातियां नहीं हैं । क्योंकि डा० अन्नन्दले द्वारा संग्रहीत ये नमूने भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण विभाग के राष्ट्रीय प्राणिकीय संग्रहालय में मौजूद हैं इस समय भारत का प्राणिकीय सर्वेक्षण विभाग इस झील का और सर्वेक्षण करना आवश्यक नहीं समझता ।

डलहौजी छावनी बोर्ड

†३४३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० में डलहौजी छावनी बोर्ड को विकास योजनाओं के लिये सहाय्य-अनुदान के तौर पर कुल कितनी धनराशि की आवंटित गयी ; और

(ख) उन योजनाओं का क्या ब्योरा है जिनके लिये अनुदान मंजूर किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) ६७,१०० रुपये ।

(ख) ब्योरा निम्न प्रकार है :

	रुपये
(१) छावनी की डिस्पेन्सरी के डाक्टर-इंचार्ज के लिये क्वार्टरों का निर्माण .	१५,०००
(२) सड़कों पर बत्तियां लगाना	५,०००
(३) बालून बाजार में रास्तों पर पटड़ियां बनाना . . .	६,१००
(४) हरिजनों के लिये क्वार्टर बनाना	४१,०००
कुल .	६७,१००

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन-क्रम

†३४३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके अधीन सम्बद्ध कालिजों को अध्यापकों की वेतन दरें बढ़ाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई वित्तीय सहायता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९६०–६१ में प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गयी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतन-स्तरों पर अतिरिक्त व्यय १९५६–६१ के पांच वर्षों की अवधि के लिये निर्धारित खंड अनुदान में शामिल है जब कि सम्बद्ध और संघटक कालिजों के मामले में वह इन कालिजों का संधारण भत्ता निर्धारित करने के लिये स्वीकृत व्यय के एक भाग के रूप में माना जाता है ।

तथापि, इस विशेष प्रयोजन के लिये आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को अथवा किसी सम्बद्ध और संघटक कालिजों को कोई पृथक् अनुदान नहीं दिया जा रहा है ।

जम्मू तथा काश्मीर में प्राथमिक शिक्षा

†३४३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में जम्मू तथा काश्मीर सरकार को प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ में जम्मू तथा काश्मीर सरकार को निम्नलिखित अनुदान मंजूर किये गये :

वर्ष १९५९–६०

रुपये

(१) प्राथमिक शिक्षा (पूर्व–प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल और बेसिक शिक्षा की योजना समेत) के सम्बन्ध में 'राज्य' क्षेत्र में शिक्षण विकास योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता	१४,०३,०००
(२) प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय पुरस्कृत योजनाओं पर केंद्रीय सहायता	७७,२१६
कुल .	१४,८०,२१६

वर्ष १९६०-६१

वर्ष १९६०–६१ में 'राज्य' क्षेत्र में प्राइमरी शिक्षा के विकास के लिये योजनाओं समेत सभी शिक्षण योजनाओं के बारे में २३,३३,००० रुपये का कुल अनुदान मंजूर किया गया है । इस धनराशि के क्षेत्रवार पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

इसके अतिरिक्त, प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय पुरस्कृत योजनाओं पर कुल २,०९,४६६ रुपये की धनराशि मंजूर की गयी है ।

भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान

†३४३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष में भारत और चीन के बीच कोई सांस्कृतिक विनिमय हुए हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख). जी, हां । भारत और चीन के बीच छात्रवृत्ति धारियों के विनिमय के कार्यक्रम की योजना, १९५८ के अधीन अगस्त, १९६० में भारत में अध्ययन के लिये तीन चीनी छात्रवृत्तिधारी आये और इससे पूर्व चार भारतीय छात्रवृत्तिधारी सितम्बर, १९५९ में चीन भेजे गये थे ।

गवर्नमेंट हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज, गुलबर्गा

†३४३४. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलबर्गा में एक सरकारी हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज शुरू करने के लिए तत्सम्बन्धी ब्योरा तैयार करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कालेज के कब शुरू होने की सम्भावना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). राज्य से प्राप्त पुनरीक्षत प्राक्कलन की जांच की जा चुकी है और इसके आवश्यक धनराशि की मंजूरी शीघ्र ही दे दी जायेगी ताकि राज्य सरकार, यदि संभव हो तो, अगले शिक्षा सत्र से कालेज शुरू कर सके ।

एक यूनानी यात्री द्वारा सोने का तस्कर व्यापार

†३४३५. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह १२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि २२ मई, १९६० को पालम हवाई अड्डे पर भूमि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये यूनानी यात्री के विरुद्ध, जिसके पास १,७०,००० रु० का सोना पकड़ा गया था, चलाये गये मुकद्दमे में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह मामला अभी नई दिल्ली के 'रेजिडेन्ट' न्यायाधीश के न्यायालय के विचाराधीन है ।

उड़ीसा में बहरे और गूंगे तथा अंधे बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सहायता

†३४३६. **श्री कुम्भार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में राज्य के बहरे और गूंगे तथा अंधे बच्चों के कल्याण और शिक्षा की सुविधाओं के लिये यदि कोई शैक्षणिक और प्रविधिक सहायता दी है, तो वह क्या है;

(ख) इस अवधि में वहां पर ऐसे बच्चों के लिए इस सहायता से कौन सी योजनाएं चालू की गयी हैं और उड़ीसा सरकार ने उसमें क्या योगदान किया है; और

(ग) इन योजनाओं से कितने बच्चों को लाभ पहुंचा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९५६ से १९५८ तक इन दो वर्षों में उड़ीसा राज्य सरकार को 'आल उड़ीसा डैफ एंड डम्ब स्कूल को राज्य सरकार के हाथ में लिये जाने' की योजना को क्रियान्वित करने के लिए ७,२६७ रु० दिये गये थे। दूसरी योजना के शेष तीन वर्षों में राज्य सरकार को दिये गये अनुदानों की सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार अनुदान योजनाओं के चार समूहों अर्थात् प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा और अन्य शिक्षा योजनाओं के लिए मंजूर किये जाते हैं।

भारत सरकार ने १९६०-६१ में उड़ीसा राज्य की बाल कल्याण परिषद् को २,९०,०४० रु० की मंजूरी दी है। यह परिषद् एक रजिस्टर्ड संस्था है और उड़ीसा के राज्यपाल इसके सभापति हैं। इस रकम की मंजूरी अंधे और गूंगे एवं बहरे बच्चों के स्कूल की इमारत के निर्माण के लिए दी गयी है। यह रकम इस इमारत पर आने वाले व्यय का ६० प्रतिशत है। भारत सरकार ने १९६०-६१ में उड़ीसा की बाल कल्याण परिषद् को अन्धों के स्कूल के फर्नीचर और साज-सामान की कुल लागत के ६० प्रतिशत व्यय के लिए १४,६४० रु० का अनुदान मंजूर किया था।

(ख) और (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र समय पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

नये संगठनों का भारतीय भाषाओं में नामकरण

†३४३७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये सरकारी संगठनों के नाम शुरु में ही भारतीय भाषाओं में रखने के बारे में अन्तिम निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा के लिए स्थल-सेना की बटालियन

†३४३८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री संगण्णा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में स्थल-सेना की एक बटालियन रखने की प्रस्थापना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). जी हां। इस प्रस्थापना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और राज्य सरकार से आवश्यक सुविधाओं के बारे में परामर्श किया जा रहा है।

फैरो-मैंगनीज का उत्पादन

†३४३९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में १६०,००० टन फैरो-मैंगनीज का उत्पादन करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में १ फरवरी, १९६१ तक फैरो-मैंगनीज का कुल कितना आयात किया गया?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि के अन्त में १४५,००० टन की उत्पादन क्षमता थी। किन्तु उत्पादन उत्पादन-क्षमता से कम हुआ क्योंकि निर्यात मार्केट में मन्दा है।

(ग) लगभग ६०,००० टन।

कोयला धोने के कारखाने

†३४४०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का सरकारी क्षेत्र में कोयला धोने के कई नये कारखाने खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी स्थापना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो जाये, क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले के अतिरिक्त उत्पादन सम्बन्धी प्रारम्भिक आयोजन से यह पता चला है कि इस्पात उद्योग के लिए धातवीय कोयले को धोने के लिए दुग्दा, भोजूदी और दुर्गापुर के कोयला धोने के कारखानों का विस्तार करना और झरिया कोयला क्षेत्र के सुदामडीह क्षेत्र में कोयला धोने का एक कारखाना और बोकारो कोयला क्षेत्र में एक अथवा दो कारखानों की स्थापना करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, कर्णपुर प्रदेश के कोयले की धुलाई दो कारखानों में किये जाने का विचार है। बड़े आकार का (+२५ एम०एम०) धुला हुआ कोयला रेलवे को सप्लाई किया जायेगा किन्तु छोटे आकार का धुला हुआ कोयला इस्पात कारखानों को दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यद्यपि तीसरी पंच वर्षीय योजना की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए कोयला धोने के कारखानों के निर्माण का कार्य पूरा करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है तथापि धुलाई की क्षमता के परीक्षण करने में समय लगता है और ये परीक्षण तभी किये जा सकते हैं यदि अतिरिक्त कोयले की न्यूनतम प्रतिनिधि-मात्रा उपलब्ध हो। इस बारे में पहले से ही कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली में शहरी बुनियादी स्कूल

†३४४१. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री ७ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय ने परीक्षणात्मक आधार पर एक शहरी बुनियादी स्कूल स्थापित करने की जो प्रस्थापना प्रस्तुत की थी, उसे अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) इस योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हीरों का उत्पादन

†३४४२. **श्री नथवानी :**
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में हीरों का कुल जितना उत्पादन हुआ, उसका मूल्य और वजन क्या था ;

(ख) उनकी बिक्री से कुल कितना धन प्राप्त हुआ ; और

(ग) इन हीरों की कटाई पर और उन्हें पालिश कराने पर कितना व्यय हुआ ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० डे० मालवीय)** : (क) और (ख). पिछले पांच वर्षों में हीरों के उत्पादन और बिक्री का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है :—

वर्ष	मात्रा (कैरेट्स में)	मूल्य (रुपयों में)
१९५६ . . .	१,४९९	३६१,६७४.०६
१९५७ . .	७९०	१७३,६१४.३५
१९५८ . . .	१,५४०	४०४,४२५.५५
१९५९ . . .	६८२	२६४,५३०.६४
१९६० . . .	१,१५९	५०४,४७६.३४
जोड़ .	५,६७०	१७०८,७२०.९४

†मूल अंग्रेजी में

(ग) खानों से प्राप्त अपरिष्कृत हीरों की सीधे नीलामी कर दी जाती है अतः उनकी कटाई और उनको पालिश कराने पर कोई खर्च नहीं आता।

जन गणना

†३४४३. **श्री दामानी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना का कार्य समाप्त हो चुका है ;

(ख) क्या जनगणना के कार्य में कोई ऐसी कठिनाई आयी है जिसके कारण आंकड़ों को पुनः संग्रह करने की आवश्यकता पड़ सकती है ;

(ग) पिछली जनगणना की तुलना में इस जनगणना की क्या विशेषता थी ;

(घ) जनगणना कार्य में कुल कितने व्यक्ति लगाये गये थे और सरकार द्वारा इस कार्य पर कितना व्यय किया गया ; और

(ङ) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग कितनी जनसंख्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां, केवल कुछ इक्का क्षेत्रों को छोड़ कर।

(ख) जी हां।

(ग) १९६१ की जनगणना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख संलग्न नोट **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९६]** में किया गया है।

(घ) लगभग १०,०००,००० गणक और अधीक्षक इस काम में लगे हुए हैं जिन्हें लगभग १ ½ करोड़ रु० मानदेय के रूप में दिया जायेगा।

(ङ) उपलब्ध जानकारी २७ मार्च, १९६१ को दोनों सभाओं के पटल पर रख दी गयी थी।

राज्यों के लिये लोहे का कोटा

३४४४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने वर्ष १९५८, १९५९, १९६० और १९६१ में राज्य सरकारों को मकान बनाने के लिए लोहे के सरिये का कोई कोटा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों के लिए किस आधार पर कोटा नियत किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार लोहे के सरिये के उचित वितरण के बारे में राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट मांगती है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). मकान बनाने के लिए इस्पात का कोई अलग कोटा नहीं है। राज्य सरकारों को कोटे का वण्टन कृषि, कृषि-भिन्न, सरकारी विकास योजनाओं इस्पात-विधायन उद्योगों और लघु उद्योगों के लिए किया जाता है। राज्य सरकारें कोटे का उपयोग इच्छा अनुसार करती हैं। चादरों (१४ गेज से पतली) और तारों को छोड़कर शेष सब किस्म के इस्पात के लिए कोटा-प्रणाली को १९६०–६१ से खत्म कर दिया गया है। चादरों और तारों को छोड़कर इस्पात की सम्पूर्ण मांगों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है और तदनुसार इस का आयोजन किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में यह कहना कठिन है कि मकान बनाने के लिये राज्य सरकारों का क्या कोटा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

भावनाथ में सूर्य मन्दिर

†३४४५. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** ३० मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सबरकंथा जिले के भावनाथ नामक स्थान पर स्थित सूर्य मन्दिर को इस बीच रक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी मुरम्मत और रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं :

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस मन्दिर का परिरक्षण करने का विचार नहीं है क्योंकि हाथमती और मेशवार जलाशय परियोजना के निर्माण के पश्चात् यह मन्दिर जलमग्न हो जायेगा।

पंजाब में व्यायाम-संगठन

†३४४६. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में पंजाब के कितने और किन व्यायाम-संगठनों को संघ सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और उनमें से प्रत्येक को कितनी रकम मिली ; और

(ख) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं, जिन्होंने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया था किन्तु जिन्हें वित्तीय सहायता नहीं दी गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) २ ;

(एक) गवर्नमेंट कालेज आफ फिजीकल एजूकेशन, पटियाला ; २०,००० रु० ।

(दो) योग साधन आश्रम, शिमला ; ९८३ रु० ।

(ख) एक भारत सेवक समाज (पंजाब शाखा) ।

(दो) महन्त अर्जन दास का डेरा, धग्गा (जिला पटियाला)

दिल्ली नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्वागत

३४४७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८, १९५९, १९६० और १९६१ में ३१ जनवरी तक दिल्ली नगर निगम द्वारा किये गये सार्वजनिक स्वागतों पर कितना धन व्यय हुआ ;

(ख) उपरोक्त अवधि में केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कितनी आर्थिक सहायता दी ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई मानदण्ड निर्धारित किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बातार) : (क).

१९५८	१,४३,६४७ रुपये
१९५९	१,४७,९४४ रुपये
१९६०	२,६८,९७३ रुपये
१९६१	कुछ नहीं ।

(ख) आंकड़े एकत्रित किए जा रहे है, तथा उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

(ग) सामान्यतः नगर निगम को सरकारी अतिथियों के स्वागत पर व्यय की गई राशि का दो-तिहाई भाग सहायक-अनुदान के रूप में दिया जाता है ।

श्रीनगर के निकट खुदाई

†३४४८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में १५ मील के फासले पर जुलाई से अक्तूबर, १९६० के बीच जो खुदाई हुई है उससे यह पता चला है कि यहां के प्राचीन वासी गढ़ों में रहा करते थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस खुदाई से काश्मीर के इतिहास और संस्कृति पर क्या प्रकाश पड़ता है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां ।

(ख) कि यह लोग गढ़ों में रहते थे और पालिश किये हुए पत्थरों और हड्डियों के उपकरणों को इस्तेमाल करते थे ।

---

†मूल अंग्रेजी म

खड़गपुर के निकट भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना

†३४४९. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना का एक विमान, जो खड़गपुर के निकट कलाइकुंडू से उड़ा था, ८ फरवरी, १९६१ को दुर्घटनाग्रस्त हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे और इसका क्या परिणाम हुआ ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । दुर्घटना का कारण सम्भवत: यह था कि विमान चालक ने काफी नीचे बहुत तेजी से मोड़ लिया जिसे वह पूरी तरह संभाल नहीं पाया । इसके परिणामस्वरुप विमान-चालक की मृत्यु हो गयी और विमान नष्ट हो गया ।

लोहा और इस्पात उत्पादों के स्टाकिस्ट

†३४५०. **श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ को विभिन्न राज्यों में लोहा और इस्पात उत्पादों के रजिस्टर्ड कन्ट्रोल्ड स्टाकिस्टों की संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या सरकार के पास, राज्य सरकारों के अतिरिक्त, इन स्टाकिस्टों के कदाचारों को रोकने की कोई व्यवस्था है ;

(ग) पिछले नो वर्षों में कदाचार के आरोप में ऐसे कितने स्टाकिस्टों को हटाया गया ;

(घ) क्या सरकार ने तीन इस्पात कारखानों में उत्पादन शुरू होने के परिणामस्वरूप देश भर में स्टाकिस्टों की मौजूदा संख्या में वृद्धि करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क), (घ) और (ङ). १-१-६० और ११-६१ को विभिन्न राज्यों में कन्ट्रोल्ड स्टाकहोल्डर्स की संख्या का ब्योरा देने वाला एक विवरण **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६७]** सभा पटल पर रखा जाता है । सरकार देश में कन्ट्रोल्ड स्टाकहोल्डर्ज की स्थिति पर पुनर्विचार कर रही है और उन क्षेत्रों में जहां उनकी संख्या कम है, नई नियुक्तियां की जा रही हैं ।

(ख) लोहा और इस्पात नियंत्रक के अधीन एक छोटा निरीक्षण कार्यालय है, जो, आवश्यकता पड़ने पर, स्टाकहोल्डर्स की गतिविधियों की देखरेख करता है । किसी राज्य में लोहा और इस्पात आदेश के परिपालन का कार्य मुख्यत: राज्य सरकार का दायित्व होता है और राज्यों को इस बारे में अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पिछले दो वर्षों में कदाचार के आरोप में किसी स्टाफहोल्डर को हटाया नहीं गया ।

चंडीगढ़ में वायुसेना का हवाई अड्डा

†३४५१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ को सीमा क्षेत्रों की उड़ानों के लिए अड्डा चुन लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो चंडीगढ़ में हवाई अड्डा बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) चंडीगढ़ हमारी वायु सेना के नये केन्द्रों में से एक है जहां से हमारे विमान विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उड़ान करेंगे ।

(ख) कुछ कार्यों के लिए प्राधिकार दे दिया गया है और अन्य आवश्यकताओं पर विचार किया जा रहा है ।

पंजाब में सैनिक स्कूल

†३४५२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जी हां । स्कूल को अस्थायी रूप से करनाल जिले के कुंजपुरा नामक स्थान में स्थापित किया जायेगा किन्तु अन्त में इस स्कूल को रोहतक जिले के झज्जर नामक स्थान में स्थानान्तरित किया जायेगा जहां पर स्कूल की इमारत के निर्माण का कार्य जारी है ।

(ख) इस स्कूल का ब्योरा बताने वाला एक विवरण **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६८]** संलग्न है ।

वायु सर्वेक्षण और प्रशिक्षण निदेशालय

†३४५३. **श्री कालिका सिंह :** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सर्वेक्षण विभाग के वायु सर्वेक्षण और प्रशिक्षण निदेशालय ने क्या सफलतायें प्राप्त की हैं ;

(ख) इस निदेशालय के अधीन कितनी पार्टियां काम कर रही हैं और प्रत्येक पार्टी द्वारा क्या विशेष कार्य किया गया है ;

(ग) हिमालय के किस भाग का सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि इस निदेशालय का कोई प्रकाशन सार्वजनिक बिक्री के लिए उपलब्ध हो, तो उसका नाम क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६६**] सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(ग) और (घ). कोई नहीं ।

उड़ीसा के गांवों में जल सम्भरण

†३४५४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को गांवों को जल संभरण करने की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए १९६१–६२ में कोई धनराशि आवंटित की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) यह आवंटन किन योजनाओं के लिए किया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत अस्थायी रूप से निम्नलिखित आवंटन किये गये हैं :

	लाख रु०
(एक) अनुसूचित आदिम जातियां .	४.०० लाख रु०
(दो) अनुसूचित जातियां .	१.५० लाख रु०
(तीन) गैर-अधिसूचित आदिम जातियां .	०.४० लाख रु०
जोड़	५.९० लाख रु०

(ग) मुख्यतः कुओं की खुदाई के लिए, किन्तु जहां आवश्यक हो वहां पर तालाब भी खोदे जा सकते हैं अथवा उनकी मुरम्मत की जा सकती है ।

त्रिपुरा के मुसलमानों को नोटिस जारी किया जाना

†३४५५. **श्री दशरथ देव** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोनमुरा, त्रिपुरा के सब-डिवीजनल अधिकारी ने वहां के मुसलमानों को १९६० और १९६१ के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २२ और विदेशी अधिनियमन के अन्तर्गत नोटिस जारी किये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे नोटिस उन मुसलमानों को भी जारी किये गये हैं जो प्रथम सामान्य निर्वाचन के समय से मतदाता हैं ;

(ग) त्रिपुरा में मुसलमानों को अब तक कितने नोटिस जारी किये गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने त्रिपुरा के उन लोगों को, जो भारत के विभाजन से पहले से वहां रह रहे हैं, नागरिकता-प्रमाणपत्र जारी किये थे ?

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

पदाधिकारियों के व्यवहार सम्बन्धी समाचार

†३४५६. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ५ मार्च, १९६१ के 'त्रिपुरेर कथा' (एक साप्ताहिक पत्र) में एक पदाधिकारी के व्यवहार के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसका शीर्षक है 'एक इन्टरव्यू' ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गयी है और उस जांच की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । इस मामले की अभी तहकीकात की जा रही है ।

पंजाब में विद्यार्थी केन्द्र

†३४५७. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत दूसरी पंच-वर्षीय योजना की अवधि में पंजाब में कितने ऐसे विद्यार्थी केन्द्र, विद्यार्थी गृह और स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये, जिनमें रहने की व्यवस्था नहीं होती; और

(ख) इन पर कुल कितना व्यय किया गया ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) २९, जिनमें २० का निर्माण हो रहा है।

(ख) ३,००,००० रु० (३१-३-१९६१ तक)।

आसवान बांध के स्थान पर खुदाई

†३४५८. **श्री नरसिंहन् :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मिस्र में भारतीय पुरातत्व-विशेषज्ञों के एक दल की यात्रा के परिणामस्वरूप क्या आसवान बांध के स्थान पर खुदाई करने का कोई विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमन्त्री (डा० म० मो० दास)** : जी हां।

उड़ीसा वेतन समिति

†३४५९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रपति के शासन के लागू होने से पहले उड़ीसा सरकार द्वारा नियुक्त की गयी वेतन समिति की सभी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या सरकार को यह विदित है कि इस वेतन समिति की सिफारिशों के कारण इस राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष फैला हुआ है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां तो सरकार वेतन समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) वेतन-क्रमों के बारे में वेतन समिति की सिफारिशों को, कुछ असंगतियों को दूर करने की शर्त के साथ, स्वीकार कर लिया गया है और शेष सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) असंगतियों का समाधान होते ही, निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाये जायेंगे।

(ग) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

संघीय राज्य क्षेत्रों में मेले

†३४६०. **श्री कालिका सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघीय राज्य क्षेत्रों में कौन-कौन से महत्वपूर्ण मेले किन किन स्थानों पर, किन किन तारीखों को, कितनी अवधि के लिए हुए और उनके अन्य ब्यौरे क्या क्या हैं;

(ख) सरकार ने प्रत्यक्ष या स्वयंसेवी अभिकरणों के जरिये परिवहन, लोक स्वास्थ्य तथा अन्य व्यवस्था की क्या-क्या सुविधाएँ दीं; और

(ग) सरकार के प्रचार कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त मेलों का उपयोग करने का क्या तरीका है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है। **[पस्तकालय म रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १८५८/६१]**

भारतीय बाल कल्याण परिषद्

†३४६१. **श्री कालिका सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बाल कल्याण परिषद् ने भारत में बालकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी अपने कार्यक्रम के बारे में अब तक क्या सफलता प्राप्त की है;

(ख) उपर्युक्त संगठन को मंत्रालय ने अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ग) क्या स्वयंसेवी अभिकरणों और व्यक्तियों ने इस संगठन को अपना सहयोग दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त स्वयंसेवी अभिकरणों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है।

विवरण

(क), (ग) और (घ). भारतीय बाल कल्याण परिषद् एक स्वयंसेवी संगठन है जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, १८६० के अधीन रजिस्टर्ड है। शिक्षा मंत्रालय का इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं होता लेकिन समय समय पर परिषद् को दिये जाने वाले अनुदानों के मामले को छोड़कर इसके आन्तरिक कार्यों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक दी गयी वित्तीय सहायता इस प्रकार है:—

२,००० रुपये	. वर्ष १९५७–५८ के लिए तदर्थ अनुदान
७,३१२ रुपये	. १९५८–५९ में टोकियों में अन्तर्राष्ट्रीय बाल कल्याण अध्ययन सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक दल भेजने के लिए
११,००० रुपये	. वर्ष १९५८–५९ के लिए केन्द्रीय अफसर के लिए रखरखाव अनुदान
१६,००० रुपये	. वर्ष १९५९–६० के लिए रखरखाव अनुदान
३,४८२ रुपये	. १९६०–६१ में लिस्बन में अन्तर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ की सामान्य परिषद् की बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि भेजने के हेतु
७,००० रुपये .	. १९६०–६१ में दिल्ली के दो गांवों में बच्चों के रहन की दशाओं का अध्ययन करने के लिए।

उड़ीसा में नये प्राथमिक शिक्षक

†३४६२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य में शिक्षित बेरोजगारों को सहायता की योजना के आरंभ से अब तक उस योजना के अधीन स्वीकृत ६,००० शिक्षकों में से कुल कितने नये प्राथमिक शिक्षक उड़ीसा में अब तक नियुक्त किये जा चुके हैं?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ६,००० शिक्षक।

कलकत्ता पुलिस द्वारा मृत व्यक्तियों की पहचान का नया तरीका

†३४६३. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पुलिस ने "सुपर इम्पोजिशन ऑफ फोटोग्राफी" प्रक्रिया से मृत व्यक्तियों को पहचानने के किसी नये तरीक का आविष्कार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसका प्रयोग किया गया है और इस तरीके का क्या ब्यौरा है।

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेशम पर उत्पादन शुल्क

†३४६४. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊनी शक्तिचालित करघों से रियायत वापस ले लेने और शुद्ध रेशम पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने के कारण कश्मीर के शाल और रेशम निर्माताओं के बीच गहरी चिन्ता और अशांति है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि शुद्ध रेशम पर उत्पादन शुल्क और अधिक बढ़ा दिये जाने से काश्मीर में रेशम उद्योग पर काफी बुरा असर पड़ेगा;

(ग) क्या इस उद्योग के महत्व को देखते हुए कुछ सहायता देने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हाँ तो यह किस प्रकार की सहायता होगी ?

†वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) २ से ४ करघे रखने वाले ऊनी शक्ति-चालित करघों से कुछ रियायत वापस ले लेने के विरुद्ध कश्मीरी निर्माताओं से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन यह कहने के लिए कोई आधार नहीं है कि वहाँ अशान्ति है। शुद्ध रेशम के धागों पर उत्पादन-शुल्क बढ़ाया नहीं गया है। रेशम के धागों पर लगा कर बिक्रीकर की जगह अतिरिक्त उत्पादन शुल्क है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में लोक-निर्माण विभाग के ट्रक की दुर्घटना

३४६५. श्री खुशवक्त राय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के लोक-निर्माण विभाग का एक ट्रक भारत-तिब्बत सड़क पर खड्ड में गिर गया था;

(ख) उसमें कितने श्रमिकों को चोट आई; और

(ग) उन्हें क्या सहायता दी गई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) : (क) से (ग). १८ मार्च, १९६१ को प्रातःकाल ११.१० बजे हिमाचल प्रदेश के लोक-निर्माण विभाग का एक ट्रक भारत तिब्बत सड़क पर शिमला से ८० मील दूर रामपुर के निकट एक खड्ड में गिर गया था। इस दुर्घटना में १२ व्यक्तियों की मृत्यु हुई, और एक व्यक्ति घायल हुआ। मरने वालों में एक स्कूल का छात्र भी था जिसे उसकी प्रार्थना पर रामपुर में स्कूल तक जाने के लिये ट्रक में बैठा लिया गया था। शिमला क्षतिपूर्त्ति आयक्त ने छात्र के अतिरिक्त अन्य मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को देने के लिये २३,००० रुपये की राशि स्वीकार की जिसका भुगतान किया जा रहा है। घायल व्यक्ति को चिकित्सा के बाद अंगहानि के बारे में चिकित्सकों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर क्षतिपूर्त्ति दी जायगी।

विदेशियों का अधिनियम

†३४६६. श्री दशरथ देब : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में त्रिपुरा में विदेशियों के अधिनियम के अधीन कितनी नोटिसें तामिल की गयीं ;

(ख) उस अधिनियम के अधीन कितने मामले चलाये गये ; और

(ग) कितने मामलों में सजा दी गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) :

	१९५९–६०	१९६०–६१
(क)	५५०	११२
(ख)	६९	८१
(ग)	२	कोई नहीं ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शिक्षक

†३४६७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कितने शिक्षकों की सेवा १ जुलाई, १९६० से समाप्त कर दी गयी है ; और

(ख) उस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) इन शिक्षकों की सेवा को और आगे जारी रखना विश्वविद्यालय के हित में हानिकारक समझा गया ।

मालवन म सिन्धु दुर्ग का किला

†३४६८. **श्री आसर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रत्नगिरी जिले में मालवन के सिन्धु दुर्ग की मरम्मत के लिये कुछ रकम मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो वह रकम कितनी है ; और

(ग) क्या वह रकम मंजूर की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमन्त्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

स्टेनलेस स्टील

†३४६९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि :

(क) भारत में स्टेनलेस स्टील के उत्पादन की स्थिति क्या है ;

(ख) भारत में कौन कौन से कारखाने स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में विशेषता प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के क्या लक्ष्य हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) देश में अभी स्टेनलेस स्टील के उत्पादन की कोई क्षमता नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अनुमान है कि १९५५–५६ तक लगभग ५०,००० टन स्टेनलेस स्टील की आवश्यकता होगी और वर्तमान आयोजन यह आवश्यकता पूरी करने के लिये ही है ।

गौहाटी तेल शोधक कारखाना

†३४७०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार गौहाटी में सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने को ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार सिलीगुडी के बड़ी लाइन के स्टेशन के साथ एक पाइपलाइन से जोड़ने की एक योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) उस पर कितनी रकम खर्च की जायगी ?

†खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) से (ग): मेसर्स इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड जो पूर्णतः सरकारी संगठन है और जो गौहाटी तेल शोधक कारखाने की शोधित वस्तुओं के वितरण के लिये उत्तरदायी है, उन वस्तुओं को ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार सिलीगुड़ी की ओर और उस से आगे भेजने की विभिन्न योजनाओं पर विचार कर रही है । ब्रह्मपुत्र पुल तैयार हो जाने तक, नदी के उस पार पश्चिमी किनारे पर रेलवे स्टेशन तक वस्तुओं को भेजने के लिये माल डिब्बा-नौका सेवा काम में लायी जायगी । आगे चल कर एक पाइप लाइन बनाने की योजना की छानबीन कम्पनी कर रही है लेकिन अभी तक कोई विस्तृत योजना तैयार नहीं की गयी है ।

गुलमर्ग में शीतकालीन खेलकूद केन्द्र

†३४७१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुलम को स्केटिंगर्ग रिन्क सहित शीतकालीन खेलकूद केन्द्र के तौर पर विकसित करने के लिये योजनायें तैयार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी गयी है ; और

(ग) कितनी रकम मांगी गयी है ?

†शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) सरकारी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में मद्य निषेध

†३४७२. श्री दी० च० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों में शराब पीना रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिल्ली में मद्यनिषेध लागू किये जाने से अब तक मद्यनिषेध के लिये प्रचार पर कितनी रकम खर्च की गयी ; और

(ग) उस का क्या परिणाम निकला ?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) : (क) निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है:—

(१) देशी शराब की दूकानों के साथ लगे धाबे बन्द कर दिये गये हैं ।

(२) उपहार-गृहों(रेस्तरां) के शराब के लाइसेंस वापस ले कर वहां शराब का उपयोग बन्द कर दिया गया है ।

(३) केवल वास्तविक सदस्यों को शराब बेचने की अनुमति देने के लिये क्लबों को लाइसेंस दिये गये हैं ।

(४) शराब के लाइसेंस रखने वाले होटलों में शराब केवल वहां रहने वालों को उनके कमरों में ही दी जायगी ।

(५) सिनेमा के पास के बार-लाइसेंस वापस ले लिये गये हैं ।

(ख) ४६,८३९ रुपये ।

(ग) ठीक ठीक शब्दों में परिणाम का अंदाज लगाना कठिन है लेकिन मद्यनिषेध के प्रचार का जनता के दिमाग पर प्रभाव पड़ रहा है ।

मद्रास में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कृषि-बस्तियां

†३४७३. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं के अधीन मद्रास राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये किन किन जगहों पर कृषि-बस्तियां चालू की गयी हैं ; और

(ख) अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किये गये अनुदानों में से कितनी रकम काम में लायी जा चुकी है ?

†गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आलवा): (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रम के अधीन मद्रास राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई कृषि बस्तियां चालू नहीं की गयी हैं। फिर भी १९६०–६१ में सलेम जिले में नवकूर और मदुराई जिले में केसमपट्टी नामक स्थानों पर हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के लिये दो लैंड कालोनाइजेशन को आपरेटिव सोसाइटियां चालू की गयी हैं ।

(ख) १९६०–६१ में ऐसी १२ समितियां चालू करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किये गये २.७० लाख रुपये की रकम में से उपर्युक्त समितियों के लिये १९६०–६१ में ९,३१५ रुपया काम में लाया गया ।

नेवेली लिग्नाइट निगम में इंजीनियर और टेक्नीशियन

†३४७४. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली लिग्नाइट निगम में कितने इंजीनियर और टेक्नीशियन काम कर रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन में से कितनों को अब तक तकनीकी अध्ययन के लिये विदेश भेजा गया है ;

(ग) उन में से कितने अनुसूचित जातियों के हैं ; और

(घ) इस के लिये कितनी रकम खर्च की गयी है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १ मार्च, १९६१ को १५९१ ।

(ख) ५१ ।

(ग) इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की कुल संख्या में से १५ अनुसूचित जातियों के हैं । किसी को विदेश नहीं भेजा गया है ।

(घ) ६,६२,१०२ रुपये ।

मद्रास राज्य म निरधि सूचित आदिम जातियां[1]

†३४७५. श्री इलयापेरुमाल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में गैर-अधिसूचित आदिम जातियों की उन्नति के लिये मद्रास राज्य को कोई रकम दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). पिछड़े वर्ग क्षेत्र से गैर-अधिसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये मद्रास राज्य को निम्नलिखित रकम दी गयी थी :—

राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र (लाख रुपयों में)	कुल
६९.२०	२७.००	७९.२०

राज्य-क्षेत्र के मामले में केन्द्रीय सहायता ५० प्रतिशत और केन्द्रीय क्षेत्र में १०० प्रतिशत है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दक्षिण भारत में अनुसूचित जातियों के लिये पानी की सुविधायें

†३४७६. श्री इलयापेरुमाल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और केरल राज्यों में अनुसूचित जातियों को पानी की सुविधाएं देने के लिये १९६०–६१ में अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं के अधीन कितने कुओं के लिये मंजूरी दी गयी है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में कितना खर्च हुआ ?

†मूल अंग्रेजी में

[1]Denotified Tribes

†गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आल्वा): (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य का नाम	मंजूर कुओं की संख्या	खर्च
		(लाख रुपयों में)
१. मद्रास	१००	४.४६
२. आन्ध्र प्रदेश	७३	१.०१
३. मैसूर	५२	१.०८
४. केरल	..	..

रुड़की विश्वविद्यालय में अफ्रीकी-एशियाई जलस्रोत विकास प्रशिक्षण केन्द्र

†३४७७. **श्री ले० प्रचो०सिंह** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रुड़की विश्वविद्यालय में अफ्रिकी-एशियाई जल-स्त्रोत विकास प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुदान देना जारी रखना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) कितने देशों ने प्रशिक्षार्थी भेजे और १९५७–५८ से १९५९–६० में कितने प्रशिक्षार्थी इस केन्द्र में आये ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) यदि इस केन्द्र के काम की रिपोर्ट संतोषजनक रही तो आयोग ने ३१ मार्च १९६१ तक अनुदान देना मंजूर कर दिया है ।

(ख) जानकारी इस प्रकार है :—

देश का नाम	भेजे गये प्रशिक्षार्थियों की संख्या		
	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०
भारत	९	१२	२०
बर्मा	१	..	..
फ़िलिपाइन्स	.	४	१
मिश्र	२	२	..
वीयत नाम	..	१	..
थाइलैंड	..	१	..
	१२	२०	२१

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारियों के लिये छुट्टी

†३४७८. **श्री ल० अचौ० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को नियमित रूप से, अधिकतर सालाना छुट्टी लेने के लिये एक परिपत्र जारी किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या प्रत्युत्तर दिया ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय** में **राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) प्रशासनिक अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को नियमित आन्तर पर, अधिकतर सालाना, छुट्टी लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये ।

(ख) इस दशा में प्रतिक्रिया का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

कच्चे लोहे का निर्यात

†३४७९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे लोहे का निर्यात बन्द करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों में इस्पात बनाने और तैयार करने की क्षमता चालू करने में कुछ देर होने के कारण, कच्चे लोहे की काफी मात्रा अतिरिक्त थी जिसका निर्यात किया जा सकता था। अब इस्पात बनाने वाले कारखाने चालू किये जाने पर इतनी अतिरिक्त मात्रा नहीं है जिसका निर्यात किया जा सके फिर भी कच्चे लोहे का निर्यात पूरी तरह बन्द नहीं किया जा रहा है। यदि कोई अतिरिक्त मात्रा रहीं तो उसका निर्यात किया जायेगा ।

साहित्य अकादमी

†३४८०. **श्री अगाडी** :
श्री सुगन्धि :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक भाषाओं की मंत्रणा समितियों के सदस्यों द्वारा लिखित पुस्तकों का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद साहित्य अकादमी ने मंजूर कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो अनुवाद के लिए ऐसी कितनी पुस्तकें चुनी गयी हैं ;

(ग) किन किन मूल भाषाओं से ये पुस्तकें चुनी गयी हैं ;

(घ) मंत्रणा समिति के सदस्य-लेखकों में से प्रत्येक लेखक को प्रारम्भ से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष कितना पारिश्रमिक दिया गया ;

(ङ) सभी भाषाओं की मंत्रणा समितियों के वर्तमान सदस्यों को कितने अकादमी पुरस्कार दिये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) ६ ।

(ग) और (घ).

क्रम संख्या	पुस्तक का नाम और मूल भाषा	लेखक	लेखकों को दिया गया पुरस्कार				कुल
			१९५७-५८	५८-५९	५९-६०	६०-६१	
			रु० न.प०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.प०	
१.	बाणभट्टकी आत्मकथा (हिन्दी)	डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी	..	१७६.३२	९८.२४	६९.४४	३४४.००
२.	मातिर मतीक्ष (उडीया)	श्री कालिन्दीचरण पाणिग्रही	..	३३६.४२	२१३.९७	९.४५	५५९.८४
३.	वैदिक संस्कृतिका विकास (मराठी)	सर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी	११९.३५	१८.२०	२२.०५	३३.६०	१९३.२०
४.	अमृतार सन्तान (उडीया)	श्री गोपी नाथ महन्त	१३६.९२	१५३.७२	५६.२८	३१.०८	३७८.००
५.	रन्तिमंगाधीं (मलयालम)	श्री मन्काझी शिवशंकर पिल्ले	३७.३८	६२.७२	१४७.२८	२०.८६	२६८.२४
६.	आरोग्य निकेतन (बंगला)	श्री माणीकर बनर्जी	४२२.१०	६१५.३०	२५२.००	३३६.००	१६२५.४०

(ङ) १९६० के अन्त तक २३ ।

आवास विभाग का विस्तार

†३४८१. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के आवास विभाग के विस्तार की योजना अभी हाल में मंजूर की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) (ख). दिल्ली में भूमि के विकास और अर्जन सम्बन्धी योजना को, जो २३ मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताई गई है, कार्यान्वित करने में चीफ कमिश्नर की सहायता करने करने लिए दिल्ली प्रशासन में एक हाउसिंग कमिश्नर के साथ साथ निम्नलिखित कर्मचारी बढ़ाये गये हैं :

१. डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर (भूमि अर्जन)	१
२. रेवेन्यू अफसर	१
३. जूडिशियल अफसर	१
४. अकाउन्ट्स अफसर	१
५. सुपरिन्टेंडेंट	२
६. तहसीलदार	१
७. नायब तहसीलदार	३
८. कानूनगो	६
९. पटवारी	२४
१०. अपर डिविजन क्लर्क (अकाउन्टस)	१२
११. असिस्टेंट	८
१२. स्टेनोग्राफर	६
१३. चेनमैन एण्ड मेजरमेंट स्टाफ	

दिल्ली में साइकिलों के चालान

३४८२. **श्री सूर्यप्रसाद** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में दिल्ली की जनता ने साइकिलों के चालानों के कारण दिल्ली पुलिस के पास कुल कितना धन जमानत के रूप में जमा किया ;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों द्वारा इस धन राशि के गबन का कोई मामला पकड़ा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना धन गबन किया गया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) ४,१८,४९१ रुपये ।

(ख) और (ग). १६,४२५ रुपये के गबन का एक मामला हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारियों के कार्यकाल का विस्तार

†३४८३. **श्री राम गरीब** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कार्यकाल के बढ़ाने पर रोक लगाने का आदेश अपने कार्यालयों को जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि अनेक सरकारी विभागों में जिन्हें एक्स्लूडेड आफिस कहा जाता है, अनेक अफसरों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है ; और

(ग) गृह मंत्रालय के अधीन अनेक विभागों और एक्स्लूडेड आफिसों में कितने कर्मचारियों का कार्यकाल १९६०-६१ में बढ़ाया गया ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों में जिन वर्ग १ और २ के पदाधिकारियों का कार्यकाल १९५९-६० में बढ़ाया गया था उनकी संख्या ३२१ से अधिक नहीं थी । यह नहीं दिखायी पड़ता कि किसी खास श्रेणी में अनुचित संख्या में पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया गया ।

तीसरी योजना के लिये भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इण्डिया) की परियोजनाएं

†३४८४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इंडिया) तीसरी योजना के दौरान कितनी और किन किन परियोजनाओं में सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने वाला है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी रकम रखी गयी है ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में परियोजना सर्वेक्षण कार्य के लिये सर्वे आफ इंडिया को कितनी रकम दी गयी थी ; और

(घ) भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इंडिया) ने दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में किन किन परियोजनाओं में सर्वेक्षण कार्य किया और उस पर कुल कितनी रकम खर्च की ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमन्त्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इंडिया) द्वारा सर्वेक्षण कार्य का सुधार

†३४८५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इंडिया) ने हमारे देश के सर्वेक्षण कार्य में कोई सुधार आरम्भ किया है ;

(ख) आज तक कुल कितनी भूमि का फिर सर्वेक्षण किया गया ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल कितनी भूमि का पुनस्सर्वेक्षण किया जाने वाला है ; और

(घ) सामान्यतया कितने वर्षों के बाद पुनस्सर्वेक्षण कार्य किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, हां।

(ख) १५ अगस्त, १९४७ तक ७०,४२२ वर्ग मील।

(ग) लगभग ४४,००० वर्ग मील।

(घ) २५ वर्ग।

हाथीबरकला एस्टेट, देहरादून म क्वार्टर

†३४८६. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ३० मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथीबरकला एस्टेट, भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इंडिया), देहरादून के क्वार्टरों की छतों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) : और अधिक विचार करने पर क्वार्टरों की छतों के पुनर्निर्माण के विचार को छोड़ दिया गया है और उन्हें गिरा कर फिर से बनाने का विभिन्न प्रावस्थाओं में कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

सर्वेक्षण कार्य के लिये क्षेत्र-कार्य दल

†३४८७. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में सर्वेक्षण-कार्य में कितने क्षेत्र-कार्य दल लगे हुए हैं;

(ख) १९५९–६० और १९६०–६१ में प्रत्येक कार्य-दल के हैडक्वार्टर कहां कहां थे; और

(ग) प्रत्येक दल के कार्य-स्थान कहां कहां हैं?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत सर्वेक्षण विभाग के आकस्मिक संस्थापन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†३४८८. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५९ से १ जनवरी, १९६१ तक भारत सर्वेक्षण विभाग के आकस्मिक संस्थापन में कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित संस्थापन में लाया गया था; और

(ख) १९६१–६२ में आकस्मिक संस्थापन के कुल कितने कर्मचारियों को नियमित संस्थापन में लाने का विचार है?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

हाथीबरकला लिथो आफिस, देहरादून में कर्मचारी

†३४८९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथीबरकला लिथो आफिस, फोटो जिंको आफिस, देहरादून और फोटो लिथो आफिस, कलकत्ता में कितने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमन्त्री (डा० म० मो० दास)** :

	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
हाथी बरकला लिथो आफिस . . .	१५९	११७
फोटो जिंको आफिस, देहरादून .	११६	८८
फोटो लिथो आफिस कलकता . . .	१३१	८७

भारत सर्वक्षण विभाग द्वारा क्षेत्र-कार्य निरीक्षण

†३४९०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० के क्षेत्र-कार्य मौसम में भारत सर्वेक्षण विभाग के ओ.सी. पार्टियों और कैम्प अफसरों द्वारा कितने और किस किस स्थान का किस किस तिथि को निरीक्षण किया गया था ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमन्त्री (डा० म० मो० दास)** : जानकारी प्राप्त करने में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा ।

१९६२ के सामान्य निर्वाचनों के लिये प्रबन्ध

३४९१. **श्री प० ला० बाकपल** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगामी १९६२ के सामान्य निर्वाचनों के लिए प्रकाशित की जाने वाली मतदान केन्द्रों की सूचियों में सम्बन्धित गांवों के पास स्थित डाकघरों के नाम भी सम्मिलित किये जायेंगे ताकि निर्वाचन में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को डाक तथा तार की सुविधाएं दी जा सकें।

विधि उपमन्त्री (श्री हजरनवीस) : जी, नहीं । निर्वाचन आयोग मतदान केन्द्रों की सूची में डाक-घरों के बारे में विवरण सम्मिलित करना आवश्यक नहीं समझता है : प्रत्येक मतदान केन्द्र की स्थिति बहुत साफ साफ दिखाई गई है और जनता को उसका पता लगाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।

कावेरी के बेसिन में तेल की खोज

†३४९३. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में कावेरी के बेसिन में तेल संसाधनों की खोज के लिये भू-छिद्रण के लिये कोई राशि मंजूर की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). खोज सम्बन्धी जो कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सामान्य कार्यक्रम के भाग के रूप में होते हैं; उन के लिये कोई अलग राशि मंजूर नहीं की जाती ।

मद्रास राज्य में कावेरी बेसिन में इस समय भूतत्वीय तथा भू-भौतिकीय सर्वेक्षण कार्य हो रहे हैं। सर्वेक्षणों के उचित परिणाम प्राप्त होने पर भू-छेदन का कार्य किया जायेगा।

कावेरी बेसिन में तेल की खोज के सम्बन्ध में रिपोर्ट

†३४९४. **श्री इलयापेरुमाल** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन विशेषज्ञों से कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो कि मद्रास राज्य में कावेरी बेसिन में तेल की खोज का कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). स्थिति यह है कि कावेरी बेसिन में भू-तत्वीय तथा भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं जिनके परिणाम बड़ी रूचि के हैं। अभी तक किये गये भू-तत्वीय कार्य से यह ज्ञात होता है कि वहां पर समुद्रीय चट्टानें हैं ; किसी भी निश्चित परिणाम पर पहुंचने से पहले कावेरी बेसिन में और अधिक भूतत्वीय तथा भू-भौतिकीय कार्य करने पड़ेंगे ।

यदि सर्वेक्षणों से अनुकूल परिणाम निकले तो उस बेसिन में भू-छिद्रण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

अश्लील साहित्य परिचालन

†३४९५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि राजधानी में अश्लील साहित्य की बिक्री तथा परिचालन निरन्तर बढ़ता जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रोकथाम करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) जी, नहीं। इसकी वृद्धि नहीं हो रही है ।

विकास ऋण निधि से ऋण

†३४९६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत के औद्योगिक वित्त निगम ने विकास ऋण निधि से २०० लाख डालर प्राप्त किये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस किस शर्त पर ; और

(ग) इस ऋण का किस प्रकार से उपयोग किया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं ; अभी बातचीत चल रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मद्रास में त्रि-वर्षीय डिग्री कालेज

†३४९७. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) मद्रास के किस किस स्थान पर त्रि-वर्षीय डिग्री कालेज स्थापित किय गये हैं ;

(ख) १९५९–६० में इन कालेजों को कितनी सहायता दी गयी है ; और

(ग) जिन कालेजों में विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था है, उन कालेजों को उक्त अवधि में क्या विशेष सहायता दी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७०]**

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन वैज्ञानिक उपकरणों के लिये सहायता दे दी गयी है । अतः कोई विशेष सहायता नहीं दी गयी है ।

मद्रास राज्य के नगरपालिका के मेहतरों को सुविधायें

†३४९८. **श्री इलयापेरुमाल** : क्य **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** नगर पालिका के मेहतरों को सुविधाएं देने के लिये मद्रास राज्य को कोई राशि दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गयी थी ;

(ग) **क्या** उस राशि का पूरा उपयोग किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां । हथ रेहड़ियों की खरीद के लिये राज्य सरकार को अनुदान दिये गये थे ।

(ख) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७१ ।]**

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्रालय के पदाधिकारियों का स्थायीकरण

†३४९९. **श्री गोरे :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के स्टोर विभाग के बहुत से अर्ध-स्थायी पदाधिकारियों को अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभाग के अर्ध-स्थायी पदाधिकारियों को स्थायी बनाने के लिये क्या आधार निर्धारित किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) प्रतिरक्षा मंत्रालय में स्टोर विभाग नाम का कोई विभाग नहीं है । परन्तु यह प्रश्न संभवतः सैनिक आयुध कारखाना कोर के आयुध पदाधिकारी असैनिक (स्टोर्स) के केडर के सम्बन्ध में पूछा जा रहा है । यदि हां, तो इसका उत्तर सकारात्मक है ।

कुल पदाधिकारियों में से १२१ पदाधिकारी इस समय अर्ध-स्थायी हैं । इन में से ६४ पदाधिकारी प्रति नियुक्ति पर हैं और शेष पदाधिकारी आयुध कारखाना कोर सैनिक हैडक्वार्टर में हैं ।

इस केडर के लिये ७२ स्थायी स्थान मंजूर किये गये हैं जिनमें ५४ पदाधिकारी पहले ही नियुक्त किये जा चुके हैं । शेष रिक्त स्थानों में से चार के लिये चार अर्ध-स्थायी पदाधिकारियों को स्थायीकरण के लिये अस्थायी रूप से मंजूर कर दिया गया है । शेष रिक्त स्थानों को भी शीघ्र ही भर दिया जायेगा ।

(ख) अर्ध-स्थायी पदाधिकारियों का स्थायीकरण इन बातों पर निर्भर करता है—(१) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निर्धारित स्थायीकरण की योग्यता, (२) स्थायीकरण की बारी आने पर स्थायी रिक्त स्थानों की उपलब्धि और (३) अपनी पदावलि से बाहिर के स्थानों पर काम करने वाले अर्ध-स्थायी व्यक्तियों को तब स्थायी बनाया जाता है, जब वे अपने स्थान पर वापिस आने के लिये राजी हों ।

वर्तमान आदेशों के अनुसार स्थायीकरण वरिष्ठता के आधार पर ही किया जाता है, परन्तु अयोग्य होने पर वरिष्ठता को छोड़ा भी जा सकता है ।

कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा की ओर से सहायता

†३५००. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ में कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा से प्राप्त २५० लाख पौंड की पूंजीगत सहायता को किन किन मदों पर इस्तेमाल किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** १९६०-६१ से कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा से प्राप्त २५० लाख डालरों में से २२८ लाख डालर निम्नलिखित मदों के लिये

†मूल अंग्रेजी में

आवंटित किये गये हैं :-

(१) गेहूं	७० लाख डालर
(२) अलौह धातु	११७ लाख डालर
(३) कुंडा परियोजना (तृतीय प्रावस्था) .	३५ लाख डालर
(४) कनाडा भारत रीएक्टर. . . .	६ लाख डालर
	२२८ लाख डालर

शेष २२ लाख डालरों का जिन परियोजनाओं में उपयोग करना है, उनके सम्बन्ध में कनाडा सरकार से बातचीत की जा रही है ।

भिलाई इस्पात कारखाना

†३५०१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भिलाई के कारखाने में उत्पादन की लागत देश के अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी इस्पात कारखानों की उत्पादन लागत की तुलना में कैसी है ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखाने अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं । इसलिये उस समय उन कारखानों के उत्पादन की लागत के सम्बन्ध में वास्तविक अनुमान नहीं लगाया जा सकता और उनकी लागत का तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं किया जा सकता ।

लड़कियों के होस्टल

†३५०२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राज्य सरकारों और संघ दोनों से यह कहा गया है कि वे छात्राओं के होस्टलों के निर्माण के लिये कुछ एक मिडल या उच्चमाध्यमिक स्कूलों से प्राप्त आवेदन पत्र भेजें ;

(ख) यदि हां, क्या उन्होंने अपने आवेदन पत्र भेज दिये हैं ; और

(ग) क्या उनके बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां । अगस्त, १९६० में राज्य सरकारों से यह कहा गया था कि वे राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रबन्ध के अधीन पांच स्कूलों के आवेदन पत्र भेजे । यह योजना संघ क्षेत्र पर लागू नहीं की गयी थी, क्योंकि वे उस पर आने वाले सम्पूर्ण खर्च को वहन नहीं कर सकेंगे ।

(ख) सभी राज्यों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

†तुल अंग्रेजी में

(ग) कुल ४४ होस्टलों की मंजरी दी गयी है जिनका विवरण निम्नलिखित है :—

राज्य का नाम	होस्टलों की संख्या	मंजूर की गयी राशि
१. आन्ध्र प्रदेश . . .	२	१,५७,०००
२. आसाम	४	१,५१,८८६
३. बिहार	३	१,६७,७७२
४. गुजरात	४	१,५३,२२१
५. जम्मू तथा काश्मीर . .	१	४५,०००
६. केरल . . .	३	१,५०,७७०
७. महाराष्ट्र . . .	३	१,४६,२५०
८. मध्य प्रदेश . . .	२	१,५०,०००
९. मद्रास . .	४	१,५०,१६४
१०. मैसूर	३	१,५०,०००
११. उड़ीसा	४	१,४१,३००
१२. पंजाब	४	१,५४,६९४
१३. राजस्थान . . .	१	१,५०,०००
१४. उत्तर प्रदेश . .	५	१,५२,०९८
१५. पश्चिमी बंगाल . .	१	१,५०,०००
	४४	२१,७०,६५५

लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा

†३५०४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राइमरी मिडल और माध्यमिक शिक्षा श्रेणियों में कुल कितनी लड़कियों के नाम दर्ज हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७३ ।]

उड़ीसा में गतीश्वर मन्दिर

†३५०५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के शिक्षा विभाग ने १९६१–६२ में उड़ीसा के पुरी जिले में गतीश्वर मन्दिर में मरम्मत कराने के लिये भारत सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). जी, नहीं। परन्तु १९६०–६१ में राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना की थी और भारत सरकार द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में गतीश्वर मन्दिर

†३५०६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १९६१–६२ में उड़ीसा के पुरी जिले के गतीश्वर मन्दिर की मरम्मत करने के सम्बन्ध में कोई धन व्यवस्था की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी;

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख). जी, नहीं। वह मन्दिर केन्द्रीय सुरक्षा के अधीन नहीं है।

भारतीय असैनिक सेवा के पेंशन पाने वाले अफसर

†३५०७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय असैनिक सेवा के कुल कितने पेंशन पाने वाले भारतीय तथा अभारतीय पदाधिकारी हैं; और

(ख) उन भारतीय तथा अभारतीय पदाधिकारियों द्वारा १९६०–६१ तक गत पांच वर्षों में कुल कितनी राशि प्राप्त की थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय असैनिक सेवा के पदाधिकारी

†३५०८. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार में कुल कितने भारतीय असैनिक सेवा पदाधिकारी काम कर रहे हैं ;

(ख) कितने पदाधिकारी निवृत्ति की आयु तक जा पहुंचे हैं; परन्तु उनको सेवा अवधि में विस्तार दिया गया है; और

(ग) भारतीय असैनिक सेवा का अन्तिम अधिकारी कब तक सेवा से निवृत्ति प्राप्त कर लेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) १०८।

(ख) एक।

(ग) १९७९ में।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दू विवाह अधिनियम

†३५०९. **श्री कुम्भार :** क्या **विधि** मंत्री १२ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ की धारा ८ की उपधारा १, २, ३, ४ और ५ के अधीन नियम बना लिये है ;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त नियम बनाने में किन कठिनाइयों का अनुभव किया गया है; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने उक्त नियम बना लिये हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस)** :(क) से (ग). ११ अप्रैल, १९६० के बाद आसाम, उड़ीसा और पंजाब सरकार ने उक्त नियम बना लिये हैं। आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर और उत्तर प्रदेश ने अभी तक कोई नियम नहीं बनाया है। बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात से अभी कोई उत्तर नहीं आया। संघ क्षेत्र लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनद्वीवी नामक द्वीपों में अधिकांश जनता मुसलमान है इसलिये वहां पर इस बारे में नियम बनाने का कोई विचार है।

भारत सरकार को ज्ञात नहीं है कि राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

आसाम के लिये इस्पात

†३५१०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगनगर तिनसुखिया आसाम के छोटे उद्योगों के लिये जारी किये गये कोटा प्रमाण पत्रों पर गत चार लाइसेंसिंग अवधियों से आवंटित इस्पात कोटा संभरित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि इसके कारण इन उद्योगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). विभिन्न वास्तविक उपभोक्ताओं को इस्पात के किये गये संभरण के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं जाते। आसाम को नियमित रूप से इस्पात का संभरण किया जाता रहा है, परन्तु पर्याप्त मात्रा में उसका संभरण नहीं किया गया था, इसका मुख्य कारण परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं। इस्पात, कन्ट्रोलर द्वारा की गयी गयी विशेष कार्यवाहियों के परिणाम परिस्वरूप दिसम्बर, १९६० से मार्च, १९६१ तक की अवधि में आसाम को १६,००० टन इस्पात सामग्री का संभरण किया गया था। इस इस्पात का उपयोग करने के सम्बन्ध में राज्य-सरकार को स्वेच्छा का अधिकार है।

लघु उद्योग संस्था, उद्योगनगर, तिनसुखिया आसाम एक ऐसा उद्योग है जिसे आसाम के उद्योग निदेशक ने प्रारम्भ किया है। उसे १९५९–६० के बाद कोटा प्रमाण पत्र प्राप्त

---

†मूल अंग्रेजी में

हो रहे हैं। मार्च, १९६१ में सन्था न स्पात कन्ट्रोलर को यह लिखा था कि उसे कोटा प्रमाणपत्र पर इस्पात सामग्री नहीं मिली है। १९६०-६१ के वर्ष के पूर्वार्ध की मांग को पूरा करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी क्योंकि उस सूची में कुछ खराबियां थीं और उनके साथ प्रमाणपत्र नहीं भेज गये थे। इस बारे में उसे सूचित कर दिया गया था। उससे यह कहा गया है कि वह उक्त अवधि के लिये दूसरी सूची भेजे। उस वर्ष के उत्तरार्ध सम्बन्धी मांग सूची के बा में अभी-अभी व्यवस्था की गयी है। १९५९-६० के लिये प्रथम दो मांग सूचियों को उत्पादन क ओं के पास १९६० के प्रारम्भ में बुक कराया गया था और वे आर्डर लगभग ९ महीनों से अनिर्णीत अवस्था में हैं और इतना समय तो लग ही जाता है। परन्तु पार्टी से यह कहा गया है कि वह कन्ट्रोलर के पास अपने कार्य आर्डरों के ब्योरे भेजे और कन्ट्रोलर शीघ्रता से संभरण के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

हिमालय के क्षेत्र का वनस्पतिक सर्वेक्षण

†३५११. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी वैज्ञानिकों का एक दल हिमालय के क्षेत्र का वानस्पतिक सर्वेक्षण कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उस सर्वेक्षण का प्रयोजन क्या है ;

(ग) क्या उस सर्वेक्षण के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाले गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, हां।

(ख) बीजों तथा अन्य पौधा-सामग्री को एकत्रित करने के लि भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की खोज करना।

(ग) अभी नहीं ;

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश में शराब की दुकानें

३५१२. **श्री पद्म देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९५४ से १९६० तक प्रति वर्ष हिमाचल प्रदेश में शराब की कितनी दुकानें थीं;

(ख) उनमें विदेशी शराब की कितनी दुकानें थीं; और

(ग) उपरोक्त अवधि में शराब की कितनी नई दुकानें खोली गईं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में डाके

३५१३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से लगे हुए जोधपुर के पास के सीमावर्ती क्षेत्रों में चोरी, डकैती और लड़कियों के अपहरण तथा पशुओं के उठाये जाने की घटनायें बढ़ रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले इस क्षेत्र में एक लड़की पकड़ी गई थी जिसके पास बहुत अधिक गहने थे ;

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार को यह सूचना मिली है कि पाकिस्तानी एजेंटों का एक गिरोह इस क्षेत्र से लड़कियों का अपहरण करने और उन्हें पाकिस्तान में बेचने का काम कर रहा है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इसमें कुछ पुलिस अधिकारियों का भी हाथ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

स्थगन-प्रस्ताव के बारें मे

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मेरे स्थान-प्रस्ताव का प्रयोजन सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखना नहीं है, बल्कि अमरीकी साठगांठ से क्यूबा पर किये जाने वाले आक्रमण के फलस्वरूप विश्व की शांति के लिये पैदा होन वाले खतरे के बारे में चर्चा करना है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

†**अध्यक्ष महोदय**: अभी इस अवस्था पर क्यूबा की परिस्थिति के बारे में चर्चा करना लोकहित में नहीं है । हमें अभी कुछ ठहरकर देखना चाहिये । इसलिये मैं न स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

उड़ीसा खनन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा उसका पुनरीक्षण

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रताप सिन्हा)** : मैं, श्री के० दे० मालवीय की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखें और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त निगम के कार्य के बारे में सरकार की समीक्षा ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८५५/६१**]

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों म संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** :

मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या १/६१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २८५६/६१]

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : इस अधिसूचना को फरवरी में पटल पर रखा जाना था। इसमें लगभग दो महीने का विलम्ब हुआ है।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं विलम्ब का कारण पता लगाऊंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को इसके कारणों का पता लगा कर सभा को सूचित करना चाहिये।

हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ की धारा ८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २७ सितम्बर, १९५६ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ २२(५)/५५—एल एस जी जिसमें दिल्ली हिन्दू विवाह पंजीयन नियम, १९५६ दिये हुए हैं।

(दो) दिनांक १६ मार्च, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित दिल्ली हिन्दू विवाह पंजीयन नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एफ० २०(५)/६०—जुडिशियल।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-२८५७/६१]

अनदानों की माँगें—जारी

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर आग चर्चा और मतदान करेगी। माननीय मंत्री।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : जिन माननीय सदस्यों ने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के कार्य के बारे में जो प्रशंसात्मक शब्द कहे हैं, मैं उनका कृतज्ञ हूं।

अब कई वर्षों बाद, हम एक आत्म-विश्वासपूर्ण वातावरण बना पाये हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमन खाद्य की समस्या बिलकुल हल कर ली है। लेकिन हां, हमने बिगड़ती हुई

---

†मूल अंग्रेजी में

परिस्थिति पर काबू पाकर, आत्म-निर्भरता की कृषीय अर्थ-व्यवस्था की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है ।

हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये यह एक बड़ा शुभ लक्षण है । और मन्त्रालय को इस पर गर्व है कि उसने तृतीय योजना के लिये एक सुदृढ़ आधार तैयार कर दिया है । मैं कोई डींग नहीं मार रहा हूं। सभी जानते हैं कि यदि मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव होता रहता तो तृतीय योजना का पूरा ढांचा गड़ बड़ा जाता। मुझे तो यह लगता है कि अब अगले तीन-चार वर्ष तक हमारी कृषीय अर्थ-व्यवस्था को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

हमारी राष्ट्रीय आय का आधा भाग कृषि से मिलता है । केवल खाद्यान्नों से हमें प्रतिवर्ष ३,००० करोड़ रुपये की आय होती है । और यदि इसमें व्यावसायिक फसलों से होने वाली आय भी जोड़ दी जाये, तो वह ६,००० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो जाती है, जो कुल राष्ट्रीय आय के आधे से भी अधिक बैठती है । इससे कृषीय अर्थ-व्यवस्था की सुदृढ़ता का महत्व स्पष्ट है । मंत्रालय उस दिशा में सदा प्रयत्नशील बना रहेगा ।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव रखा था कि कृषि को उद्योग बना दिया जाये । उद्योग तो वह है ही । वह तो एक बुनियादी उद्योग है, और सभी संस्कृतियों की जननी है । इसलिये उसके सुधार के लिये प्रयत्न करना ही पड़ता है ।

मेरे सहयोगी, श्री थामस ने कल कुछ आंकड़े आपके सामने रखे थे। मैं उनका महत्व स्पष्ट करने के लिये उनको एक क्रम से आपके सामने रखना चाहता हूं । इस वर्ष बड़ी-बड़ी बाढ़ों, सूखे और टिड्डी दल के आक्रमणों के बावजूद हमारा कृषीय उत्पादन ७६० से ८०० लाख टन तक पहुंच गया है । यह बताता है कि हमारे प्रयत्न सही दिशा में किये गये हैं ।

इस वर्ष गेहूं का उत्पादन १०० लाख टन अधिक हुआ है । हम यह भी नहीं चाहते कि गहूं के उत्पादन में कोई असामान्य वृद्धि हो, क्योंकि उससे कई नई समस्यायें पैदा हो जायेंगी । किसानों ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है । चावल और गेहूं दोनों के प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हो गई है । चावल के प्रति एकड़ उत्पादन के आंकड़े इस वर्ष अभूतपूर्व हैं। इस वर्ष चावल का उत्पादन ३३७ लाख टन हुआ है, जो पिछले वर्ष से २५ लाख टन अधिक है। लेकिन इतनी वृद्धि होने पर भी, चावल की खेती के लिये केवल ०.६ प्रतिशत अधिक भूमि ही उपयोग में ली गई है । जबकि वृद्धि ९ प्रतिशत से अधिक रही है ।

सामान्यतया चावल का उत्पादन हर वर्ष ३०० लाख टन के आसपास होता था । अब सवाल है कि उत्पादन में २५ लाख टन की यह वृद्धि गई कहां ? वह सब उपभोग में खप गया है । इसलिये कि हमारे देश की जनता की खान-पान की आदतें विकसित होती रहती हैं, अभी स्थिर नहीं हुई हैं। अब अधिकाधिक लोग मोटा अनाज छोड़कर बढ़िया अनाज अपनाते जा रहे हैं। इसीलिये, जनता की खान-पान की आदतें बदलती रहने के कारण, हम १४–१५ वर्ष बाद ही कह सकेंगे कि हमारी जनता की बुनियादी आवश्यकता, उसकी खाद्यान्नों की मांग क्या है । आप खुद देख चुके हैं कि हमारी जनता ने ६५० लाख टन के उत्पादन से भी काम चला ही लिया था, और ७७० लाख टन भी खपा लिया है । लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इस वर्ष कुछ खाद्यान्न संचित रख सकेंगे । किसानों ने कृषीय प्रगति का अर्थ हृदयंगम कर लिया है । यही सब से बड़ी बात है ।

[श्री स० का० पाटिल]

संसार के अन्य सभी देशों के मुकाबले, भारत ने ही कृषि के लिय सब से अधिक भूमि का उपयोग किया है । देश के ४१ प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है । इसमें वनों और नदियों का क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया है। इस दृष्टि से हमारे देश के बाद दूसरा नम्बर आता है इण्डोनेशिया का, जहां केवल २९ प्रतिशत भू-क्षेत्र में खेती होती है । अमरीका और कनाडा में उन देशों के कुल क्षेत्र के क्रमशः १४ और ३ प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है । इतने बड़े-बड़े भू-प्रसार देशों के लिये इससे अधिक क्षेत्र में खेती का प्रसार करना जरूरी भी नहीं है । आज हमारे देश में ३,५०० लाख एकड़ भूमि में खेती होती है । यदि सभी ऊसर भमि पर खेती की जाये, तो भी उससे ५०० लाख एकड़ से अधिक भूमि हमें नहीं मिल पायेगी ।

हमारे किसान ऊसर भूमियों पर खेती इसलिये नहीं करते कि मौजूदा भूमि पर अधिक मेहनत करने से उनको जितना लाभ हो सकता है उतना लाभ नयी ऊसर भूमि पर ज्यादा मेहनत से कृषि करने पर भी नहीं होगा । इसलिये ऊसर भूमि पर की जाने वाली कृषि की उपयोगिता बड़ी सीमित है । इसका मतलब यह नहीं कि हम ऊसर भूमियों पर खेती नहीं करेंगे ।

पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने कई लाख एकड़ ऊसर भूमि पर खेती शुरू की है । कई अच्छे परीक्षण किये जा रहे हैं; लखनऊ से १४ मील दूर बंथरा में ऐसे परीक्षण मैं ने स्वयं देखें हैं । पहले जहां कंकरीले जंगल थे, आज वहां खेती लहलहा रही है। लेकिन साधारण किसान ऐसे परीक्षण नहीं कर सकता, इसलिये राज्य सरकारों को उनकी सहायता करनी चाहिए ।

आप जानते हैं कि हम ने अभी कुछ दिन पहले गेहूं पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटा दिये हैं। गेहूं के अलग-अलग जोन भी हटा दिये गये हैं । यदि वैसी परिस्थितियां फिर पैदा हुईं, तो हमें प्रतिबन्ध फिर से लगाने पड़ेंगे । ऐसी चीजों में हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक होना चाहिये । जोनों को और विस्तारित कर देने से हम ने देखा है कि गेहूं और चावल के संचरण में काफी सुधार हुआ था । इसी से हम ने निष्कर्ष निकाला कि जोनों का बने रहना आवश्यक था । उससे किसानों को कठिनाई महसूस होती थी । इस लिये हम ने जोन हटा दिये, और केवल आटा मिलों पर ही कुछ प्रतिबन्ध रहने दिया है। क्यों कि उस के बिना शहरी जनता को कठिनाई पड़ती । आशा है कृषीय अर्थ-व्यवस्था में प्रतियोगिता का तत्व और बढ़ने पर यह प्रतिबन्ध भी अनावश्यक हो जायेगा ।

प्रतिबन्ध हटा देने से, अधिकांश क्षेत्रों में सामान्यतया मूल्यों में चार आने से एक रुपये तक गिरावट आई है । चावल के बारे में हमें पहले एक बार कटु अनुभव हो चुका था, इसलिये उस का उत्पादन इस वर्ष ३३७ लाख टन होने पर भी हम ने उस के जोन बिलकुल ही नहीं हटाये हैं, हां उन को कुछ विस्तारित कर दिया है । हम कुछ समय तक इस का असर देखेंगे । चावल की सुलभता संसार भर में इतनी अधिक नहीं है, जितनी कि गेहूं की है । इसलिये चावल के बारे में हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा ।

खाद्यान्नों के मूल्य चढ़ने के काल में भी, इस वर्ष गेहूं का मूल्य स्थिर रहा है; हां थोड़ी गिरावट अवश्य आई थी । पिछले वर्ष के इसी काल में गेहूं का मूल्य-देशनांक ९२ था, जब कि इस वर्ष वह ९०.७ ही बना रहा । उस में १.३ प्रतिशत की गिरावट आ गई थी । अगस्त १९६० में चावल का मूल्य-देशनांक ११५.३ था, जो अप्रैल, १९६१ में १००.९ तक गिर गया । मेरा

विश्वास है कि मूल्यों की गतिविधि काफी दिनों तक यही बनी रहेगी, यदि इस से भी अच्छी न हो पाई तो। जुलाई, १९६० में अनाजों का मूल्य-देशनांक १०९.५ था, जो अप्रैल, १९६१ में ९ अंक गिर कर ९९.९ तक हो गया। इस से अधिक गिरावट आना किसानों के लिये खतरनाक सिद्ध होता। उपभोक्ता और उत्पादकों दोनों ही के हित देखना चाहिये। हमारे देश के ७० प्रतिशत उपभोक्ता उत्पादक हैं। इसलिये उत्पादकों का ही पलड़ा भारी है। मूल्यों में इस से अधिक गिरावट भी ठीक रहेगी, यदि वह प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ने के फलस्वरूप आये। तब उस से उत्पादकों को हानि नहीं होगी।

श्री नायर ने पूछा है कि खाद्यान्नों का यह सभी आयात पी० एल० ४८० के अन्तर्गत ही क्यों हुआ है। यदि उन को कम्यूनिस्ट होने के नाते हर अमरीकी चीज से चिढ़ न हो, तो वह इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसलिये कि सभा में कई बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। सभा की राय थी कि देश में खाद्यान्नों का संचित भंडार होना चाहिये। इसी के लिये यह करार किया गया था। उस पर सभा में चर्चा हुई थी। अब माननीय सदस्य जैसे सोते से जाग कर पूछते हैं कि यह सब क्यों !—उस से देश के वातावरण में आत्म-विश्वास पैदा हुआ है। इसलिये उस करार में और इन आयातों में कोई गलत बात नहीं। हम आगे भी आयात करना जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि मूल्यों को अपने काबू में रखने के लिये हम अपने देश के उत्पादन का ५० लाख टन गेहूं भी संचित कर सकें।

आज हमारे पास उपभोग की जरूरत के लिये पर्याप्त मात्रा है, पर संचित भंडार बनाने के लिये पर्याप्त नहीं है। हो सकता है कि आगे किसी वर्ष इतनी अच्छी फसल न हो। इसलिये संचित भंडार रखना अत्यावश्यक है।

माननीय सदस्य ने अभी-अभी पूछा है कि ४० वर्ष में इस ऋण पर हमें कितनी राशि ब्याज के रूप में अदा करनी पड़ेगी। लेकिन आप चाहें तो अगले वर्ष ही उसकी अदायगी कर दें। आपको रोकता कौन है ? यदि अदायगी की सामर्थ्य हम में न हो, तो उस के लिये दूसरे, ऋणदाता, की आलोचना करना कहां तक उचित है ? हम ने करार तो अपनी इच्छा से किया है, अमरीका के कहने पर तो नहीं। अन्य ऋणदाता देश तो हमारी सहायता ही कर रहे हैं।

देश की जनसंख्या की वृद्धि देखते हुए, आयात करते रहना आवश्यक है। हमारी जनसंख्या ३६ करोड़ से बढ़ कर, दस वर्ष में ४३ करोड़ ८० लाख हो गई है। उस में प्रति वर्ष ८० लाख की वृद्धि हुई है। जनसंख्या में २१ प्रतिशत और खाद्यान्नों के उत्पादन में ३० प्रतिशत वृद्धि हुई है। जनसंख्या की वृद्धि की तो कोई सीमा नहीं होती, पर खाद्य उत्पादन की वृद्धि की तो एक सीमा होती है। इसलिये हमें भावी आवश्यकताओं को सामने रखना ही पड़ेगा। इस दृष्टि से आयात जरूरी है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि मुझे निश्चयात्मक रूप से यह कह सकना चाहिये कि तीन-चार वर्ष बाद खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। यदि मेरी नीति सफल रही, तो यही होगा। होना भी यही चाहिये। यदि तीन योजनाओं के बाद भी हमारे जैसे कृषि-प्रधान देश को खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा, तो योजनाओं को सफल नहीं कहा जा सकेगा।

आज अमरीका, सोवियत रूस, पश्चिमी जर्मनी और जापान जैसे देश औद्योगिक रूप से इसीलिये समृद्ध हैं कि उन की कृषि का आधार ठोस और वैज्ञानिक है। अपनी कृषीय समस्याओं को ही उन्होंने सब से पहले हल किया था। उस के बाद ही वे औद्योगिक दिशा में आगे बढ़े थे।

[श्री स० का० पाटिल]

यदि ऐसा न होता तो उन देशों में प्रति वर्ष ३,००० करोड़ रुपये तक की राशि मूल्य-समर्थन के लिये कैसे जुटाई जा सकती ?

हम पश्चिमी जर्मनी की औद्योगिक क्षमता ही देखते हैं। लेकिन उस की कृषीय अर्थ-व्यवस्था भी बड़े ठोस आधार पर खड़ी है। हमें यह भी देखना चाहिये। कृषि की उन्नति के बिना औद्योगिक प्रगति संभव नहीं।

हमारी जनता की क्रय-शक्ति में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। कल किसी माननीय सदस्य ने इस से असहमति प्रकट की थी। मैं मानता हूं कि क्रय-शक्ति की वृद्धि कभी-कभी मूल्यों की वृद्धि के कारण निष्प्रभावी हो जाती है। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि क्रय-शक्ति में इस के अतिरिक्त भी कुछ ठोस वृद्धि हुई है। मेरे मित्र, श्री विभूति मिश्र ने आप को बताया ही है कि गांवों में पहले जहां मिट्टी के कच्चे मकान थे, अब वहां पक्के मकान बन गये हैं। लोगों के पहनावे में भी अन्तर आया है। और हमारी सभी योजनाओं का उद्देश्य भी यही है कि जनता के रहन-सहन, खान-पान और पहनावे का स्तर ऊंचा उठे। हमारी जनता, किसान भी, पहले से ज्यादा खुशहाल दिखे, यही तो हमारा उद्देश्य है।

जनता ने मोटे अनाज छोड़ कर गेहूं और चावल को अपना लिया है। केरल में आज से सात वर्ष पहले ७ लाख टन चावल की कमी पड़ती थी। वह पूरे वर्ष में भी ७ लाख टन चावल का उपभोग नहीं करती थी। आज वहां व्यावसायिक फसलें भी होने लगी हैं। वहां प्रति व्यक्ति आय भी कम नहीं है। इसलिये उन के खान-पान की आवश्यकतायें भी बदल रही हैं। अब वह बढ़िया किस्म का चावल चाहती है। हम तो चाहते हैं कि उन को हर चीज बढ़िया किस्म की मिले—मछली भी और चावल भी।

अभी तीन वर्ष तक आयात करते रहना जरूरी होगा। तब तक हमें अमरीका से १७० लाख टन गेहूं मिल जायेगा। वह हमारे संचित भंडार के काम आता रहेगा। उस के बाद हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का यही उद्देश्य है।

गेहूं की स्थिति काफी अच्छी है और वर्गीय व्यवधानों को हम हटा चुके हैं। चावल के लिये हमने जो वर्ग बनाये हैं उन्हें हटाने के लिये हमें धीरे धीरे काम शुरू करना होगा, जैसा कि बंगाल और उड़ीसा के मामले में किया गया था। यद्यपि अब भी वर्ग हैं तथापि हम चावल की अनुज्ञप्तियां दे रहे हैं। परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां भी हैं। इस कारण हमें अभी परिवहन पर और बोझ नहीं डालना चाहिये। अब समय आ गया है कि किसानों को कुछ और ज्यादा मिलना चाहिये और इस के लिये किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिये। परन्तु विगत अनुभव के आधार पर हमें थोड़ा सावधान रहना होगा।

इस के बाद बफर स्टाकों का सम्बन्ध है। पब्लिक ला ४८० का करार मई, १९६० में हुआ था। इस थोड़े समय में बफर स्टाक के बन जाने से हमें प्रसन्नता होनी चाहिये। १ जनवरी, १९६० को ८ लाख टन के स्टाक से अब २२ लाख टन का स्टाक हो गया है अर्थात् १४ लाख टन की वृद्धि हुई है। राज्यों के पास भी १० लाख टन का स्टाक है। आयात कार्यक्रम निर्धारित करते समय आंतरिक उत्पादन और मूल्यों की बात पर भी विचार करना पड़ता है। आयात का कार्यक्रम हम संतुलित ढंग से बनाते हैं क्योंकि गेहूं ऐसी चीज है जो ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। हापुड़ की प्रशिक्षण संस्था में इस दिशा में काफी उपयोगी काम हो रहा है।

जहां तक भाण्डागार व्यवस्था का सम्बन्ध है हम ने पहले तनिक कम प्रयास किया था क्योंकि माल अमेरिका से आ रहा था। इधर यहां पर थोक व्यापारी से ले कर हर एक व्यक्ति तक अनाज भरने लगा था। अनाज के करार से साठेबाजी की प्रवृत्ति रुकी। किसान भी अनाज का संग्रह करने लगे थे। किन्तु जब इस करार से लोगों में भरोसा पैदा हुआ तो उस समय अनाज भी मंडियों में आने लगा। इस से मंडी में २० से ३० लाख टन अनाज आ गया और स्थिति काफी गंभीर हो गयी। इस कारण अमरीकी अनाज से यह समस्या उत्पन्न नहीं हुई बल्कि हमारे अपने गोदामों और घरों में पड़े हुए अनाज के मंडी में आ जाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई। इसी कारण हमें थोड़ी कठिनाई रही।

मार्च १९६० में संग्रहण क्षमता १५.८८ लाख टन तक की थी। १९६१ के अन्त तक संग्रहण क्षमता २४.३० लाख टन तक की थी। ६ लाख टन अनाज रखने के भांडागार बनाये जा रहे हैं। ५.६६ लाख टन अनाज रखने के लिए और भंडार बनाये जायेंगे। अतः १९६१–६२ में २५.९६ लाख टन अतिरिक्त अनाज रखने की क्षमता बन जायगी। निर्माण के काम को शीघ्र करने के उद्देश्य से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एक पृथक् इंजीनियरिंग प्रशाखा खोली जा रही है जो खाद्य मंत्रालय के अधीन होगी।

आयात निर्यात बैंक के १० लाख डालर के ऋण में से "मोबाइल ग्रेन कन्वेयिंग" साजसामान खरीदा जा रहा है।

सिलो (ज्वार) के काम के लिए कलकत्ता जहाजघाट पर एक "मेरीन लेग" की स्थापना की जा रही है। टी० सी० एम० ने हाल ही में ७०,००० डालरों की सहायता देना स्वीकार किया है। हम सिलो एलीवेटर प्राप्त करने का विचार भी रखते हैं। वह बम्बई, कांडला, मद्रास और कलकत्ता के क्षेत्र में होंगे। वह न केवल आयात के कारण आवश्यक हैं बल्कि सामान्य समयों में भी हमें अनाज का परिवहन समुद्र मार्ग से करना पड़ता है। अनाज के बारे में ज्यादा संकट नगरों में है। इसलिए ज्यादा स्टाक नगरों की जनता के लिए है। कई नगरों में २० लाख टन अनाज से भी ज्यादा खर्च हो जाता है। इसलिए इन नगरों में "सिलो-कम-एलीवेटर" कार्य पद्धति अपनाना आवश्यक है। हम इस के लिए बातचीत कर रहे हैं और शीघ्र ही यह काम कर लिया जायगा।

इस के बाद हमें स्टोर खंडों में भी बढ़ाने होंगे। किसानों को भी तो इन से पूर्ण परिचय चाहिए। यदि अनाज ठीक तरह से रखा जाय तो ज्यादा अच्छा रहता है। इस कारण अनाज के परिरक्षण की बात निहायत जरूरी है। किसान फिर प्याज, आलुओं तथा अन्य चीजों को भी ठीक तरह से रख सकते हैं। उन्हें इस प्रयोजन के लिए सहकारी संस्थाओं से ऋण भी प्राप्त हो सकते हैं।

हाल ही में चीजें रखने का एक और तरीका निकला है जिसे "टैंक सिस्टम" कहते हैं। वस्तुतः बड़े बड़े टैंक बनाये जाते हैं और उन में हवा आदि की पूरी व्यवस्था की जाती है। १०० टन से ले कर १०,००० टन तक चीजें रखने के टैंक भी हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जाने वाले टैंक भी बनाए गए हैं। हमारे हर खंड में ५०० टन की क्षमता वाले टैंकों की विद्यमानता बड़ी आदर्श चीज होगी।

तीसरी योजना में भाण्डागारों के लिए हम ने जो व्यवस्था की है, वह चाहे पर्याप्त न हो परन्तु हमें कुछ तो आगे बढ़ना ही है। हम जब इस रकम को पूरी तरह से खर्च कर लेंगे तब हमारे वित्त मंत्री शायद हमारी सहायता कर ही दें।

[श्री स० का० पाटिल]

इधर कृषि उत्पादन भी तो बढ़ता ही रहा है । कृषि मंत्रालय ने तत्संबंधी जो भी कार्यक्रम तैयार किए हैं उनका उल्लेख मैं संक्षेप में करूंगा ।

१९६०–६१ में सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिए और ६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी । दूसरी योजना में छोटी सिंचाई योजनाओं पर कुल व्यय १०० करोड़ रुपया होगा । ९० लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो जायंगी । २ लाख नये कूप और ३००० फिल्टर प्वायंट ट्यूब वैल भी बनाये गये हैं । ४०,००० कुओं को और गहरा किया गया है और ५०,००० पम्पिंग सेट लगाए गए हैं ।

प्रयोगात्मक नलकूप संगठन ने नये जल क्षेत्रों की खोज लगाने का सराहनीय काम किया है । मध्य प्रदेश, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी बंगाल और असम में ऐसे क्षेत्र खोज निकाले गये हैं । एक सदस्य ने कहा कि हम गुजरात में इन कुओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं । मैं इस बात को समझता हूं और हम इस संबंध में पूर्णतया जागरूक हैं । हम इस संबंध में अवश्य कुछ न कुछ करेंगे ।

अच्छे बीजों के वितरण में हम ने काफी प्रगति की है । ४,००० खेत स्थापित किए गए हैं और उन में से ९० % ने अच्छे बीज का उत्पादन शुरू कर दिया है ।

संकर मकई के लिए बीजों का उत्पादन करने के लिए एक संगठन स्थापित करने का विचार है । इस से मक्के की उपज बढ़ेगी । कुछ लोग कहते हैं कि हम बड़े फारम क्यों नहीं बना लेते । बड़े फारम बना लेने में भी कोई हरज नहीं है । इस के अलावा परिवहन की दृष्टि से भी हमें इस बात पर विचार करना है ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव ने चरागाहों का जिक्र किया । उन्होंने कहा कि चरागाहों का क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए । यह वस्तुतः बढ़ना चाहिए । संकर मकई से अनेक लाभ हैं । अमरीका और मैक्सिको में मैं ने देखा कि इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है । वहां पशु भी मकई ही खाते हैं । हमें भी यहां इसका विकास करना है क्योंकि संकट के समय में यहां लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं । संकर मकई के विशेषज्ञों के बारे में हम राकफैलर फांउडेशन वालों से बात कर रहे हैं ।

विदेशी मुद्रा सम्बंधी कठिनाई के कारण हम आवश्यकतानुसार उर्वरकों का आयात नहीं कर पाये । हम इनका उत्पादन बढ़ाने का यत्न कर रहे हैं । १९६०–६१ में नाइट्रोजेनस उर्वरकों की मांग २३ लाख टन की थी । उपलब्धि थी ९.८ लाख टन की । इसलिए ज्यादा उर्वरकों का आयात करना पड़ा था । आशा है कि १९६१–६२ में हम १७.७ लाख टन की प्राप्ति करेंगे । यह आवश्यकता का ६६ प्रतिशत होगी । चाय, काफी, रबड़ आदि की पूरी आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे ।

कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की कि हम उर्वरकों से लाभ उठा रहे हैं । यदि किसान को ज्यादा मूल्य चुकाना पड़े तो प्राकृतिक रूप से उसकी लागत भी बढ़ेगी । इसलिए उर्वरकों को मंहगा करना अवांछनीय है । अब सिंदरी के उर्वरकों का संधारण मूल्य कम कर के ३०० रुपये कर दिया गया है । इस कारण ज्यादा लाभोपार्जन नहीं किया जा रहा और जो कुछ थोड़ा बहुत हो भी रहा है वह भी आयातित वस्तुओं पर और उसे भी बड़े अच्छे प्रयोजन पर लगाया जा रहा है । इस स्थिति में मैं माननीय वित्त मंत्री से भी सहायता मांग सकता हूं ।

उर्वरकों का यह मूल्य किसानों के लिए अनार्थिक नहीं हो सकता । अतः इस क्षेत्र में कम लाभ प्राप्त किया गया है । तब भी उर्वरक वितरण जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर सारे प्रश्न पर दुबारा विचार हो रहा है और मूल्यों के संबंध में भी पक्का निश्चय किया जायगा । यदि मूल्य बढ़े तब भी हम किसानों को पूरी मदद देने की कोशिश करेंगे ।

रासायनिक खादों के संभरण के अलावा अन्य खादों के विकास की योजनाएं भी चली हैं । मेरा मतलब पोटाश या नाइट्रोजेनस खादों से नहीं है । नगरीय कम्पोस्ट योजना के अधीन स्थानीय निकायों को कूड़े कर्कट को खाद में बदलना होता है । सरकार, स्थानीय निकायों को ट्रकों की खरीद के लिए ऋण आदि भी दे रही है । १९४४-४५ में ऐसे खाद केन्द्रों की संख्या २६० थी किन्तु १९५९-६० में उनकी संख्या २०३९ थी । खाद की मात्रा भी बढ़कर २३.९७ लाख टन हो गयी है ।

तीसरी योजना के अन्तर्गत १,००० नगरीय केन्द्र स्थापित करने का विचार है ताकि ५० लाख टन योजना की समाप्ति तक तैयार होने लगें ।

हरी खाद को बढ़ावा देने का भी यत्न किया गया है । हरी खाद वस्तुतः बड़ी जरूरी चीज है । हरी खाद को प्रोत्साहन देने की खातिर राज्य सरकारों ने अनेक कदम उठाये हैं । पौधशालायें बनायी गयी हैं और भी कई चीजें की गयी हैं ।

किसान भी हरी खाद को ज्यादा पसन्द करने लगे हैं । प्रथम योजना के अन्त तक ३७ लाख एकड़ भूमि में हरी खाद उगी थी । दूसरी योजना के अन्त तक १०५ लाख एकड़ भूमि में हरी खाद उगेगी । तीसरी योजना के अन्त तक यह क्षेत्र और बढ़ कर ३९० लाख एकड़ हो जायगा ।

हम खेती के यंत्रीकरण की भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं । हमारे देश में ३५,००० ट्रेक्टर हैं और नये किसान यंत्रों को पसंद करने लगे हैं । हाल ही में बैलों और ट्रेक्टरों से १५० एकड़ की खेती का एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया था । उससे यह ज्ञात हुआ कि यद्यपि आरम्भ में ट्रेक्टर खरीदने पर ज्यादा रकम लगानी पड़ती है तथापि अन्ततोगत्वा ट्रेक्टर ही से खेती करना लाभदायक रहता है ।

पंजाब में एक ट्रेक्टर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । यह बुडनी के केन्द्र के समान होगा । यह प्रयोग पंजाब में ही होगा क्योंकि पंजाबी बिजली से पूरा फायदा उठाने के लिए उद्यम करते हैं । उन्हें शक्ति का प्रयोग करना आता है । इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही हमने पंजाब को चुना है ।

यदि फसल को समय पर काट लिया जाय तो उपज २० प्रतिशत अधिक होती है यदि पकी फसल खड़ी रहे तो दाने झड़ जाते हैं । यदि तूफान आ जाय तो और भी हानि हो जाती है । अब यह जो ट्रेक्टर है वह बहु-प्रयोजनीय है । इन्हीं से कटाई, पिटाई और सब चीजें होती हैं । यदि इन सब चीजों को वैज्ञानिक आधार पर किया जाय तो कृषि का उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा । हमारा विचार है कि पंजाब सरकार भी इस काम में सहायता देगी । बाद में हम अपने यहां भी ट्रेक्टर बनवा रहे हैं ।

फालतू पुर्जों की कमी के कारण भी हमें कठिनाई है । विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण हमें यह सारी कठिनाइयां हैं । फालतू पुर्जों की कमी के कारण अनेक कठिनाइयां हैं ।

[श्री स० का० पाटिल]

अब मैं गहन कृषि जिले सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में कुछ कहूंगा। सात जिलों में यह योजना शुरू हो चुकी है। उत्पादन की वृद्धि के लिए इसे शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम आंध्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मद्रास में कुछ जगहों पर शुरू किया जा रहा है। केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में भी यह काम शुरू किया जायगा। मद्रास के तंजौर जिले, आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले, बिहार के शाहिबाबाद जिले और राजस्थान के पाली जिले में यह काम शुरू कर दिया गया है। अन्य स्थानों पर यह कार्यक्रम रबी की फसल आने पर शुरू किया जायगा। विलम्ब का कारण यह है कि प्रबन्ध राज्य सरकारों को करना होता है।

कार्यक्रम उत्साह से शुरू किया जा रहा है। आरम्भिक कार्य अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण तथा योजनाओं की तैयारी आदि के सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य के बारे में हैं ताकि उनकी सहायता से किसान आत्मनिर्भर होने लगे। उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं का पहला दौर सभी राज्यों में पूरा हो चुका है। जिन जिलों में कार्यक्रम चालू है उनमें लगभग ५५,७१५ योजनायें बनीं जिनके अन्तर्गत ५,२९,९०७ एकड़ का क्षेत्र आता है। पैकेज का कार्यक्रम ठीक तरह से चल रहा है।

कृषि सम्बन्धी शिक्षा के लिए रुद्रपुर विश्वविद्यालय बन चुका है। यह विशेष विश्वविद्यालय है उस का हर विद्यार्थी खेतिहर ही होता है और वह उत्पादन का काम करता है। इसी तरह से भविष्य में उसका खर्चा भी निकलेगा।

कुछ सदस्यों ने पूछा कि क्या ये स्नातक वास्तविक कृषि में भाग लेते हैं। मैंने जितने भी कृषि कालेज देखे हैं उनके विद्यार्थी खुद मेहनत करते हैं। विश्वविद्यालयों से ही हमें खेती सम्बन्धी नेतृत्व की प्राप्ति होती है।

बहुत से अन्य राज्यों से भी इस प्रकार के कृषि कालेज चालू करने के लिए प्रार्थनापत्र आये हैं। तराई फार्म के अतिरिक्त पंजाब, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान उनको चालू करने के लिए प्रायः तैयार हैं। उन्हें हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वे अपने अधिनियमों के अन्तर्गत ऐसे विश्वविद्यालय चालू कर सकते हैं। परन्तु हम भी उनकी सहायता करने की योजना बना रहे हैं ताकि इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा सके। कोयम्बटूर (मद्रास) और आनन्द (गुजरात) में जो प्रयोग किये जा रहे हैं वे बहुत अच्छे हैं तथा उनको विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त होना चाहिए। मुझे आशा है कि समस्त कृषि विश्वविद्यालय आगामी दो चार वर्षों में स्थापित हो जायेंगे। उनमें अन्य विभाग खोलने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा। अभी तक तो हमारा प्रयोजन इतना ही है कि कृषि की जो उपेक्षा की जाती रही है उसे दूर करके किसानों को सम्मानित स्थान दिलाया जाये।

†**श्री अजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहता है कि विश्वविद्यालय इस प्रकार नहीं खोले जा सकते हैं।

†**श्री स० का० पाटिल** : सरकार आयोग के ऊपर है अतः यदि आयोग ऐसा कहता भी है तब भी उसमें कोई अड़चन नहीं होगी।

इसके बाद मैं गवेषणा संस्थाओं पर आता हूं। यह कहा गया कि भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में कुछ वैज्ञानिक अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मैं यह बता देना चाहता हूं

†मूल अंग्रेजी में

कि सरकार की नीति वैज्ञानिक कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में उदारता बरतने की है। इसी नीति के अनुसार उनके कार्यकाल बढ़ाये गये हैं। उद्देश्य यह है कि उपलब्ध समर्थ वैज्ञानिक कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जा सके।

फिर भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की गैर-टेक्नीकल नियुक्तियों के सम्बन्ध में सवाल उठाया गया। परिषद् के संगठन के अनुसार परिषद् के प्रधान को प्रसिद्ध प्रविधिक विशेषज्ञ सलाह भर देते हैं। वैज्ञानिक उपक्रमों में भी जिम्मेदारी अन्ततः गैर-टेक्नीकल व्यक्तियों पर होती है। प्रशासकीय नियंत्रण विशेषज्ञों का न होकर सामान्य अधिकारियों का होता है। मेरा विचार है कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् और भारतीय कृषि गवेषणा संस्था दोनों का कार्य बहुत अच्छा रहा है परन्तु चूंकि यह आलोचना हुई है इसलिए मैं यही कहूंगा कि उनके सुधार का प्रयत्न किया जायेगा।

इसके बाद मैं पशु-चिकित्सा पर आता हूं जिसके सम्बन्ध में पंडित ठाकुर दास भार्गव और सेठ गोविन्द दास ने निर्देश किया था। उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं परन्तु मेरा निवेदन है कि मैं इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न कर रहा हूं। भूतकाल में उसकी उपेक्षा होती रही है परन्तु अब उसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है। मैंने गोसंवर्धन परिषद को पूर्णतः गैर-सरकारी, रूप देने का प्रयत्न किया है ताकि जनता उसमें पहल करे और उसे करोड़ों रुपये दिये हैं—५० करोड़ पशु-चिकित्सा के लिए, ४० करोड़ दुग्धशालाओं के लिए तथा कुछ करोड़ अन्य चीजों के लिए। प्रारम्भ में कुछ कठिनाई हुई थी। परिषद् योजनायें बनाती थीं और उनको क्रियान्वित भी करती थीं। इस पर हमारे मंत्रालय ने आपत्ति की क्योंकि इसे क्रियान्वित करना भी सरकार का कार्य है। जब वह मामला मेरे सामने लाया गया तो मैंने कहा कि परिषद् योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकती है और उसे पूर्ण शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने पूछा कि क्या चराई की भूमि बढ़ाई जायेगी। मेरा निवेदन है कि ऐसा करना हमारा कर्त्तव्य है। मैं श्री वें० प० नायर के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि चूंकि हमारे यहां पशु अधिक हैं इसलिए कुछ को खत्म कर दिया जाना चाहिए। हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि गाय उसका केन्द्र बिन्दु बन जाये। मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव को यह आश्वासन देता हूं कि मैं इसके लिए भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं जानता हूं कि हमारे देश में गाय का बहुत महत्व रहा है इसलिए वेद तथा उपनिषदों से उद्धरण देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बैल गायों से ही पैदा होते हैं जो खेती के काम आते हैं। गायों का स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है ताकि वे अधिक दूध दे सकें। हमारे यहां ऐसी गायें हैं जो ८० से १०० पौंड तक दूध देती हैं। यदि कुछ गायें ऐसी हैं तो प्रयत्न करके अन्य गायों का दूध भी बढ़ाया जा सकता है। गोसंवर्धन के क्षेत्र में हम ये कदम उठा रहे हैं। कुक्कुट पालन के विकास के सम्बन्ध में भी बहुत कार्य किया गया है।

इस के बाद मैं चीनी पर आता हूं। कुछ समय से यह विवाद का विषय बन गई है। बहुत से लोगों ने कहा कि चीनी उद्योग में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं इस बात को पसंद नहीं करता हूं। जब उत्पादन कम हो तब तो संकट कहना ठीक है परन्तु उत्पादन अधिक हो जाने पर भी संकट कहना विचित्र बात है। संभवतः हमारी मनोवृत्ति ही ऐसी बन गई है कि थोड़ी सी कठिनाई में भी हम संकट देखने लगते हैं।

सभा को याद होगा कि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व जब मैंने यह विभाग सम्भाला था तो चीनी के सम्बन्ध में प्रत्येक सत्र में चर्चा हुआ करती थी और माननीय सदस्य कहा करते थे कि भाव चढ़ रहे हैं और यह हो रहा है, वह हो रहा है। तब मैंने सभा की अनुमति से गन्ने का भाव १ रुपए ७ आने से बढ़ा कर १ रुपए १० आने कर दिया जिससे किसानों को अधिक गन्ना उगाने का प्रोत्साहन मिले। इसका परिणाम यह हुआ कि चीनी का उत्पादन एक ही वर्ष में १६ लाख टन से बढ़ कर लगभग २४.२२

[श्री स० का० पाटिल]

लाख टन हो गया तथा इस वर्ष २९.५ लाख टन। नई समस्या अतिरिक्त मात्रा की है। मेरा निवेदन है कि किसान से एक गणितज्ञ की तरह उतना ही उत्पादन करने की आशा नहीं की जानी चाहिए जो बिल्कुल पर्याप्त हो। यदि उत्पादन अधिक हुआ है तो स्थिति का सामना किया जाना चाहिए।

कुछ वर्ष पूर्व हमें अपने देश की मांग की पूर्ति के लिए १४० लाख टन चीनी का आयात करना पड़ता था जिस पर लगभग १०० करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च होती थी। मैं विदेशों से चीनी के आयात के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि हमारे यहां इतना गन्ना होता है कि हम समस्त संसार को सम्भरण कर सकते हैं। यदि कुछ अधिक उत्पादन हो गया है तो यह कोई चिन्ता की बात नहीं है तथा उसका हल निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। जब मैं अमरीका गया था तो वहां के कृषि मन्त्री ने भी इस स्थिति का उल्लेख किया था। वहां भी उत्पादन इतना अधिक है कि वह उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। परन्तु मेरा विचार है कि अधिक उत्पादन की स्थिति कम उत्पादन से फिर भी अच्छी है और उसको हल किया जा सकता है।

हमारे यहां गन्ने का प्रतिएकड़ उत्पादन १४.५ टन है जबकि हवाई द्वीप में ८० टन, जावा में ५६ टन, फार्मूसा में २८ टन और फिलीपीन में २५ टन है। इसलिये हमें गन्ने का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। जिन देशों में उत्पादन अधिक है उन्होंने भी प्रयत्न करके ही वह स्थिति प्राप्त की है। मैंने हाल में महाराष्ट्र का एक कारखाना, देखा था। उसका उत्पादन बहुत अच्छा था--९० टन प्रति एकड़। यह मैंने दक्षिण के एक कारखाने का उत्पादन बताया है। वैसे वहां के सभी कारखानों का उत्पादन उत्तर प्रदेश से कहीं अधिक है क्योंकि वह क्षेत्र गन्ने की पट्टी में है।

आज मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री द्वारा राज्य विधान-सभा में दिया गया यह उत्तर पढ़ कर बहुत दुख हुआ कि सारी गलती केन्द्रीय सरकार की है जिसने दक्षिण के राज्यों को इतने लाइसेंस दिए। मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश और बिहार चीनी की पट्टी में नहीं आते हैं इसलिये उन्हें चीनी क्षेत्र नहीं बनाना चाहिये था। वहां आप कुछ भी करें उत्पादन अधिक नहीं होगा क्योंकि भूमि उपयुक्त नहीं है। बम्बई और महाराष्ट्र की भूमि अधिक अच्छी है और यदि आप और दक्षिण में जायें तो वहां की भूमि बहुत अधिक उपयुक्त है और वहां औसत उत्पादन ५० टन प्रति एकड़ है। इन विभिन्नताओं के कारण एकरूपता असंभव है। इसलिए यह कहना कि जो काम महाराष्ट्र में किया जाता है वह उत्तर प्रदेश में भी क्यों नहीं किया जाता व्यर्थ है क्योंकि वैसा करना असम्भव है। दोनों भागों की परिस्थितियां इतनी भिन्न हैं कि जो चीज एक के लिये खाद्य है वही दूसरे के लिए विष है। इसलिये कोई ऐसा उपाय निकाला जाना चाहिये जिससे ऐसी बातें की जा सकें। यही किया भी जाता है।

हम देखते हैं कि हमारा चीनी का उत्पादन १९ लाख टन से बढ़ कर २९.५ लाख टन हो गया है और कुछ हमारे पास रक्षित स्टाक भी है। इस प्रकार हमारे पास २० लाख टन चीनी जमा हो गई है जिसमें से कम से कम ५ लाख टन तुरन्त बाहर जानी चाहिए। हमारी चीनी बाहर जाती क्यों नहीं है? कारण स्पष्ट है कि हमारे देश में उत्पादन लागत अधिक होने से चीनी का भाव अधिक है। हमारे देश की लागत ७०० रुपए हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय लागत लगभग ४०० रुपये है। इस लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी बेचने के लिए हमें ३०० रुपए प्रति टन राज-सहायता देनी होगी।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार अत्यन्त अस्पष्ट वस्तु है। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार नामक कोई वस्तु नहीं है। प्रत्येक देश जो चीनी का उत्पादन करता है मूल्य आदि के लिये किसी अन्य देश पर आश्रित है। परन्तु भारत अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार का सदस्य नहीं है।

चूंकि हम निर्यात करने के लिये तैयार नहीं थे इसलिये अभी तक हमारा कोई कोटा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि निर्यात किये जाने के लिये हम उत्पादन क्यों करें ? मैं इसे ठीक नहीं समझता हूं। जब हम आयात करते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर निर्यात करने के लिये भी तैयार रहना चाहिये। परन्तु यहां प्रतियोगी मूल्य का प्रश्न आता है। जब तक हमारे मूल्य प्रतियोगी नहीं हो सकेंगे तब तक हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी चीनी नहीं बेच सकेंगे। हमारे कृषि उत्पाद ही महंगे नहीं हैं वरन् उद्योगों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। आज तो चीनी का प्रश्न है परन्तु यदि हमें गेहूं भी भेजना पड़े तो उसे कोई नहीं लेगा क्योंकि अमरीका में उसका भाव ८ रुपए है जबकि हमें अपने किसान को १२ या १३ रुपए देने पड़ते हैं। हमारे यहां मूल्य अधिक होने का कारण यह है कि हमारा प्रति एकड़ उत्पादन उनसे बहुत कम है। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता नहीं करेंगे तो हमारी समस्त अर्थ व्यवस्था असफल रहेगी। इसीलिए मैं हमेशा से यह चेतावनी देता आया हूं कि हमें अपने मूल्य ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि गन्ने का मूल्य थोड़ा सा और क्यों नहीं बढ़ा दिया जाता ? मेरा निवदन है कि जब इतना बढ़ाने के परिणामस्वरूप जो उत्पादन हुआ है उसी से हम परेशान हैं तो मूल्य और बढ़ा देने पर क्या हाल होगा। यदि मैं आज समस्त नियन्त्रण हटा दूं तो मूल्य इतने गिर जायेंगे कि समस्त उद्योग नष्ट हो जाएगा। मुझ से कोई यह नहीं कह सकता कि मुझे नियन्त्रण प्रिय हैं। मैं नियन्त्रण के पक्ष में नहीं हूं जब तक कि वह आवश्यक न हो। इसके बावजूद यदि ये नियन्त्रण और प्रतिबन्ध रखे गए हैं तो वे केवल मिलों के हित में नहीं हैं। वास्तव में वे इसलिये रखे गये हैं कि गन्ना उत्पादकों को वे मूल्य मिल सकें।

श्री चन्द्रभान गुप्त ने भी राज्य विधान सभा में यही कहा था। मैं उसे ढीला करना चाहता हूं परन्तु वैसा सम्भव नहीं है क्योंकि समस्या यह है कि गन्ना इतना हुआ है कि मिलों के लिये उनका पेरना असम्भव होगा। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि मई के महीने में भी ५८ मिलें चलेंगी। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया है। इसलिए यदि मैं इस समय जल्दी में मूल्य तो कम कर दूं जो मूल्य एकदम गिर जायेंगे और बैंक मिलों का गला पकड़ लेंगे और उत्पादकों को भी उचित मूल्य नहीं मिल सकेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी। हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं और वित्त मन्त्री की सहायता से हमने एक योजना बनाई है। चीनी सरकार के लिए एक आय का साधन है और वित्त मन्त्री जानते होंगे पिछले दस वर्षों में उससे केवल उत्पादन शुल्क के रूप में २५० करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं और लगभग १०० करोड़ स्थानीय सरकारों को भी मिले होंगे। यदि दुधारू गाय कभी लात भी मार देती है तो वह सहन करनी पड़ती है। अतः इस कठिनाई के समय प्रत्येक व्यक्ति को चीनी का निर्यात बढ़ाने के सम्बन्ध में सहायता करनी चाहिए। मैं अमरीका को निर्यात का प्रयत्न कर रहा हूं क्योंकि वे हमें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से पचास प्रतिशत अधिक मूल्य दे रहे हैं।

परन्तु उसके पूर्व हमें अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार का सदस्य बन जाना चाहिये। वह भी हम बन जायेंगे और कोटे के लिये लड़ेंगे। यदि हमें ५ लाख टन चीनी का कोटा मिल जाए तो हमारी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। एक माननीय सदस्य ने कल पूछा था कि क्यूबा में क्या हो रहा है ? मेरा निवेदन है कि क्यूबा का कोटा ३ लाख टन है और अमरीका की खपत में प्रतिवर्ष १,२५,००० टन की वृद्धि होती है। अतः क्यूबा के रहते हुए अमरीका हमें ३ या ४ वर्षों में ५ लाख टन का कोटा दे सकेगा। यह बात मैंने यह बताने के लिये समझाई है कि हम राजनैतिक आवश्यकताओं का लाभ कहीं भी नहीं उठाते हैं।

[श्री स० का० पाटिल]

फिर प्रश्न उत्पन्न होगा कि चीनी के मूल्य कम कैसे किये जा सकते हैं। गन्ने का भाव १ रुपए १० आने रहते हुए चीनी का मूल्य कम नहीं किया जा सकता है क्योंकि चीनी की दो तिहाई लागत गन्ने का मूल्य ही होती है। परन्तु गन्ने का मूल्य मैं कम नहीं करना चाहता क्योंकि वैसा करने से किसानों को नुकसान पहुंचेगा। इसलिये मैं एक योजना बना रहा हूं जिसमें किसानों से यह कहा जाएगा कि तुम्हारे पास कितनी भूमि है तथा उसमें कितना गन्ना होता है और यदि उस पैदावार को हम सिंचाई की सुविधायें और उर्वरक देकर बढ़ा देते हैं तो उस अतिरिक्त आय में से मैं भी कुछ पाने का हकदार हूं ताकि चीनी का मूल्य प्रतियोगी बनाया जा सके। अभी इस योजना को अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगेगा। परन्तु मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। ऐसा हो जाने पर कोई भी कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी।

परन्तु फिलहाल भी तो कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि उपरोक्त योजना तो दीर्घकालीन है। अतः हम निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और यदि उसमें कुछ हानि भी होगी तो इस वर्ष उसका भुगतान सरकार करेगी ताकि जब चीनी बाहर जाएगी और उसके वितरण पर से प्रतिबन्ध हटा दिया जाएगा तो २००,००० टन चीनी तुरन्त ले लिए जाने की सम्भावना रहेगी। इससे वित्त मन्त्री को भी ५ से ६ करोड़ रुपए उत्पादन शुल्क के रूप में मिल जायेंगे और हमारी हानि अधिक नहीं होगी।

उदारीकरण के अन्य तरीके भी, जो उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने अपनाये हैं, हम स्वीकार कर चुके हैं और हमने उन्हें वैसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अतः मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं नियंत्रण खत्म करके किसानों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। अभी हमने जो ८०,००० टन चीनी बाहर भेजी है उसमें ३ करोड़ रुपये के लगभग हानि हुई है। अब तक तो उसका वहन उद्योग करता आया है परन्तु अब उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की है। इसीलिए मजूरी पंचाट के क्रियान्वयन में विलम्ब किया जा रहा है। अतः हमने उनसे कह दिया है कि आगे से उस नुकसान का भुगतान हम कर देंगे परन्तु मंजूरी पंचाट को अवश्य क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

यह भी पूछा गया कि वितरण पर नियंत्रण क्यों नहीं हटा दिया जाता है। मैं बता चुका हूं कि उसे हटा दिया जायेगा परन्तु वह मैं अपनी समझ के अनुसार करूंगा। मैं उसमें इस प्रकार परिवर्तन करूंगा कि बाजार में अधिक चीनी जा सके और मिलों और उत्पादकों पर जो भार है वह कम हो सके। इसी प्रकार अन्य बातों के बारे में भी विचार किया जा रहा है जिस से हम चीनी उद्योग की सहायता कर सकें।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि चाहे चीनी हो, गेहूं हो, चावल हो, सरकार का कर्तव्य है कि सभी वस्तुओं में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। हमें कमी तथा वृद्धि दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। वृद्धि हो जाने पर उसका निर्यात करना होगा। निर्यात करने में ध्यान रखना होगा कि उससे हमें उचित आय हो। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह कृपा करके उत्पादन करने वाले मजदूरों पर यह प्रभाव डाल और उन्हें बतायें कि उनके उत्पाद बाजार में बिकें तो ऐसा करना देश तथा कृषि उत्पादनों के हित में होगा।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : शुगर लेवी की प्राइस देने के सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं कहा। बहुत से मिल वाले नहीं दे रहे हैं।

†श्री स० का० पाटिल : मैंने कहा कि और भी दस-बीस चीजें हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सका क्योंकि समय कम था, लेकिन उनके बारे में काम हो रहा है । उनमें ग्रोग्रर्स को प्राईस देने का सवाल भी आ जाता है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय द्वारा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३७	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	६८,१७,०००
३८	वन . . .	८८,३८,०००
३९	कृषि . . .	३,९४,०३,०००
४०	कृषि-अनुसंधान . .	५,७३,४९,०००
४१	पशु-पालन	९९,४२,०००
४२	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१०,६९,४६,०००
१२१	वनों पर पूंजी व्यय . .	५,३२,०००
१२२	खाद्यान्नों का क्रय	१,९७,३८,०१,०००
१२३	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	४८,९४,४५,०००

वित्त मंत्रालय

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा में वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी ।

वर्ष १९६१-६२ के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२१	वित्त मंत्रालय . . .	१,६०,४४,०००
२२	सीमा-शुल्क	३,६८,५२,०००
२३	संघ उत्पादन शुल्क . . .	८,२०,६५,०००
२४	निगम कर आदि सहित आय पर कर . . .	५,४३,२३,०००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२५	अफीम	४८,८३,०००
२६	मुद्रांक	२,४४,३७,०००
२७	लेखा-परीक्षा	१०,९२,०७,०००
२८	चल-मुद्रा	४,७९,९६,०००
२९	टकसाल	६,३३,२५,०००
३०	प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति-वेतन . .	२१,६२,०००
३१	अतिवयस्कता भत्ता तथा निवृत्ति-वेतन . . .	३,९५,९१,०००
३२	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय .	१३,२३,५५,०००
३३	योजना आयोग	८०,१३,०००
३४	राज्यों को सहायतार्थ अनुदान	१,६१,१८,९४,०००
३५	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन .	२०,४७,०००
३६	विभाजन-पूर्व के भुगतान	१५,३५,०००
११४	इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस पर पूंजी व्यय . . .	२९,८७,०००
११५	चल-मुद्रा और मुद्रा पर पूंजी व्यय . . .	९,४२,२५,०००
११६	टकसालों पर पूंजी व्यय	६,३३,०००
११७	सेवा निवृत्ति वेतन का राशिकृत मूल्य . .	१,३६,१७,०००
११८	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . .	७४,६७,५९,०००
११९	विकास के लिये राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी व्यय	१५,७३,००,०००
१२०	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन . .	१,५६,३८,६०,०००

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रालय की मांगों में योजना आयोग की मांग इस वर्ष रखना उचित नहीं था क्योंकि योजना की दृष्टि से यह वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है । योजना आयोग पर मेरे विचार से अलग से चर्चा होनी चाहिए ।

करारोपणों को देखने पर पता लगता है कि हमारे वित्त मंत्री अप्रत्यक्ष करारोपण पर अधिक विश्वास करते हैं ।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

अप्रत्यक्ष करों को देखने पर पता लगता है कि १९४८–४९ में ५०.६५ करोड़ रुपये के, १९५९–६० में ३६०.६५ करोड़ रुपये के तथा १९६०–६१ में ३९४.९८ करोड़ रुपये के थे । अब अनुमान लगाया गया है कि १९६१–६२ में इनको ४३५.८४ करोड़ रुपयों का कर दिया जायेगा । प्रत्यक्ष कर केवल १८० से २०० करोड़ रुपये के हैं । प्रत्यक्ष करों की उगाही देखने पर भी पता लगता

†मूल अंग्रेजी में

है कि इनकी वसूली प्रत्येक वर्ष कम होती जा रही है। १९५९–६० में १४८.८५ करोड़ रुपया तथा १९६०–६१ में १.५ करोड़ रुपया मिला। आशा की जा रही है कि १९६१–६२ में १६३ करोड़ रुपया इनसे मिलेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यक्ष करों को उगाहने की व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है और इसीलिये प्रति वर्ष बकाया बढ़ते जा रहे हैं।

बड़ा आश्चर्य है कि इस बात को समझते हुए भी कि प्रत्यक्ष कर भी एक सीमा तक ही बढ़ाये जा सकते हैं, इस वर्ष भी उनको और बढ़ा दिया है। मिट्टी के तेल तथा सुपारी, साधारण जनता के काम में आने वाली चीजों पर भी कर लगा दिये गये हैं।

बड़े बिजली के करघों वालों, मिल मालिकों पर कोई कर न लगा कर छोटे बिजली के करघे वालों पर कर लगाये गये हैं। प्लास्टिक उद्योग में भी ऐसा हुआ है। चाय उद्योग को लीजिये। पैकट चाय पर दो तीन उद्योगपतियों का कब्जा है। उन पर कर न लगा कर खुली चाय, जिसकी बिक्री छोटे-छोटे व्यापारी करते हैं, पर कर लगा दिया गया है।

पिछली बार माननीय मंत्री ने बताया था कि इतना बकाया बट्टे खाते क्यों डाल दिया गया है। मैं उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि यह राशि १५० करोड़ रुपये अथवा १६० करोड़ रुपये के लगभग है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सभा को उचित तथा स्पष्टतः बतायेंगे कि ऐसा किस कारण से किया गया है।

हाल में ही श्री त्यागी बता रहे थे कि हमारे देश ने ५१२३ करोड़ रुपये का ऋण ले लिया है जिस पर १४३ करोड़ रुपया सूद प्रति वर्ष दिया जायेगा। विदेशी ऋण ९३४ करोड़ रुपये है जिस पर २० करोड़ रुपये सूद दिया जायेगा। हमारी प्रति व्यक्ति आय २९० रुपये है तथा प्रति व्यक्ति जिम्मेदारियां लगभग १६६ रुपये है। इन आंकड़ों को देखकर हम उनकी सराहना नहीं कर सकते हैं। कृपा करके हमें बतायें कि वह इस बढ़ते हुए ऋण की अदायगी किस प्रकार करेंगे।

मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए भी पर्याप्त प्रयत्न नहीं किये गये हैं। हाल में ही १२ मार्च को वित्त मंत्री बैंकिंग व्यापारियों से मिले। उस सम्मेलन में यह तय किया गया कि निक्षेपों पर सूद की दर ३½ प्रतिशत से बढ़ाकर ५ प्रतिशत कर दी जाये। उस सम्मेलन में मंत्री महोदय के होने के कारण इन बैंकपतियों ने अपने धन पर सूद ८ प्रतिशत तक बढ़ा दिये जिसके फलस्वरूप उद्योगपतियों ने वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिये। इसलिए मेरा यही कहना है कि माननीय मंत्री को ऐसी बढ़ोत्तरीयों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए थी।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को इन बैंक पतियों के साथ निक्षेप बीमा योजना के बारे में बातचीत करनी चाहिए थी जिससे बैंक निक्षेपकों के हितों की सुरक्षा के लिए इस योजना को लागू कर देते। मुझे इसका बड़ा खेद है।

बैंकों के दिवालिया होने के बारे में मेरा यही अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे निक्षेपकों को उचित धन मिल जाये।

दिसम्बर १९६० में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंकरों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी जिस में उन्होंने कहा था कि बैंकरों को कुछ गुप्त रिजर्व भी बनाकर रखना चाहिए तथा अपना कुल लाभ संतुलन पत्र पर नहीं दिखाना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनको ऐसी सलाह बैंकरों को नहीं देनी चाहिए।

[श्री प्रभात कार]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वित्त मंत्री का वक्तव्य सुनने के बाद सामान्य बीमे की हालत हमें बड़ी नाजुक लगी। उन्होंने बताया कि सामान्य बीमे में बड़ा भ्रष्टाचार है। परन्तु अजीब बात यह है कि इतनी जानकारी होने के बाद भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मेरा अनुरोध है कि इसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

जीवन बीमा निगम ने भी गैर सरकारी समवायों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को चालू रखा है कि वर्ष समाप्त हो जाने पर भी व्यापार दिखाने के लिये लेखा पुस्तकें खुली रखी जायें। सरकार को इस पर नियन्त्रण करना चाहिए। पुरानी समवायों में यह भी प्रथा थी कि पालिसी की पहली किश्त दिखायी जाती थी तथा उसके बाद की किस्त नहीं दी जाती थी जिसके परिणामस्वरूप पालिसियां व्यपगत हो जाती थीं। जीवन बीमा निगम को ऐसा करके आंकड़े बढ़े चढ़े नहीं दिखाने चाहियें।

क्षेत्रीय कर्मचारियों के बारे में बनाई गई संयुक्त समिति की सिफारिशें अब तक लागू नहीं की गई है। इनको लागू किया जाना चाहिये

करों की उगाही कम होती जा रही है। कर वसूल करने वाले कर्मचारियों को अधिक कार्य-कुशल बनाया जाना चाहिये जिससे करों की उगाही ठीक तरह से हो सके।

अन्त में मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री ने जो बजट पेश किया है वह हमारे उद्देश्यों के विपरीत हैं और उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिये।

†श्री अशोक मेहता (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय कल ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में ब्रिटेन के वित्त मन्त्री ने अपना आय-व्ययक पेश किया। जो सूचना हमें मिली है उसके आधार पर पता लगता है कि उन्होंने दो परिवर्तन किये हैं। एक तो यह है कि उन्होंने उत्पादन शुल्कों में कमी बेशी करने की व्यवस्था की है तथा दूसरे उन्होंने उद्योगपतियों के लिये व्यवस्था की है कि मजदूरों का उपयोग अन्न-उत्पादन में करने से उनको दण्ड दिया जायगा। मैं वित्त मन्त्री का ध्यान इन परिवर्तनों की ओर दिलाता हूं और आशा करता हूं कि वह इन सुझावों को भारत में भी कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगे।

मेरा यह भी सुझाव है कि हमारी योजनायें आम चुनावों तथा देश की जनगणना के साथ साथ आरम्भ की जानी चाहियें। ऐसा करने से योजनायें बनाते समय हमारे पास जनगणना के आंकड़े होंगे और उनके अनुसार हमारी योजनायें बन सकेंगी। मैं समझता हूं कि इसीलिए हमें अपनी योजनायें छः वर्ष की बनानी चाहियें ताकि अगले १० वर्षों में जनगणना होने पर वह कठिनाइयां सामने न आएं जो अब आ रही हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी।

श्रीमान आप जानते हैं कि १९०१ तथा १९२१ के बीच देश की जनसंख्या बहुत कम बढ़ी। अपितु ०.४ तथा ०.३ प्रतिशत कम हो गई। बाकी इससे पहले ५.८ प्रतिशत बढ़ी थी। इस प्रकार इन तीस वर्षों में जनसंख्या ५.१ प्रतिशत बढ़ी। परन्तु १९३१ से १९५१ के २० वर्षों में यह वृद्धि १३ प्रतिशत तक हो गई है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवर्ष १.८ प्रतिशत के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है जबकि योजनायें हम १.२ प्रतिशत प्रतिवर्ष के आधार पर बना रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में

अब यह धारणा बना ली गई है कि हमारी जनसंख्या १९६१—६६ में २१.४ प्रतिशत बढ़ेगी। १९६६—१९७१ में १९ प्रतिशत बढ़ेगी। १९७१ से १९७६ में १४.७ प्रतिशत बढ़ेगी। इससे पता लगता है कि हमारी सरकार ने यह समझ लिया है कि हमारी जनसंख्या २१.४ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ सकती है।

यह बताया जाता है कि देश में १९६१—६६ में मृत्यु संख्या १८.२ प्रतिशत हो जायेगी। १९६६—७१ में १३.९ प्रतिशत तथा १९७१—७६ में १२.६ प्रतिशत हो जायेगी। जनसंख्या भी १९७१—७६ में २७.३ प्रतिशत हो जायेगी जबकि १९४१—५० में ३९.९ प्रतिशत थी। यह नगर तथा ग्राम्य के सम्मिलित आंकड़े हैं। यदि हम इनको अलग अलग देखें तो पता लगता है कि ग्राम्यों में जन्म के आंकड़े नगरों की अपेक्षा अधिक हैं। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा ऐसी भावना गांवों में पैदा करनी चाहिये जिससे वहां पर जन्म के आंकड़े कम हो जायें। केवल परिवार नियोजन का प्रचार करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिये ग्रामवासियों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशा सुधारने की आवश्यकता है। अन्यथा परिणाम वही होंगे जो अब हुए हैं कि जनसंख्या हमारे आंकड़ों से अधिक बढ़ गई है जबकि हमने योजना अपने आंकड़ों के अनुसार बनाई है। इसलिये हमें अपनी धारणायें ठोस आधारों पर बनानी चाहियें।

हमें बताया गया था कि हमारे खाद्यान्नों के उत्पादन ७५० लाख टन से १००० लाख टन हो जायेंगे। पिछले पांच वर्षों में केवल १०० लाख टन हम बढ़ा पाये हैं और आगामी ५ वर्षों में २५० लाख टन बढ़ा पायेंगे ऐसी आशा है। मुझे ऐसी आशा नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि जनगणना के साथ साथ योजनायें बनाई जानी चाहियें जिससे ठीक आंकड़ों के आधार पर वह बनें।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में आशा है कि १०० लाख व्यक्तियों के लिये काम की व्यवस्था कर दी जायेगी। मैं समझता हूं कि परिवहन, संचार, उद्योग आदि में देहातों के निवासियों को रोजगार नहीं मिलेगा। इस प्रकार केवल वन, मत्स्य पालन आदि में ही इनको रोजगार मिल पायगा जो १०० लाख में से केवल एक अथवा २ लाख लोगों के लिये ही होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि हमें देहातों के निवासियों के लिये और अधिक रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिये।

हमें बताया गया है कि देश में ३४ प्रारम्भिक परियोजनायें चालू की जायेंगी। मेरा सुझाव है कि इन परियोजनाओं के आधार पर प्राप्त अनुभवों से देश के अन्य भागों में यह परियोजनायें चालू की जानी चाहियें।

जब हम लोकतन्त्रात्मक विकास की बात करते हैं तो यही प्रश्न सामने आता है कि क्या हम जनता की मनोवैज्ञानिक स्थिति को विकास के कठिन कार्य के अनुरूप बनाने में सफल हुए हैं। मेरा अपना विचार है कि इस कार्य में हमें असफलता ही हाथ लगी है। इसलिये आवश्यक है कि हम जनता का मनोवैज्ञानिक विकास करें।

आज भारत में ऐसी मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है कि मजदूरों के स्थान पर यन्त्रों से काम लिया जाय। यह बड़ी खतरनाक बात है। ब्रिटेन के वित्त मन्त्री ने ब्रिटन में हो रही इस बात को समझा और यह व्यवस्था की कि मजदूरों को अन्न-उत्पादन के काम पर लगाने पर दण्ड दिया जाय। मेरा सुझाव है कि सरकार को भी इसी प्रकार की योजनायें बनानी चाहियें। आज देश में आवश्यकता है कि लोगों को सुधरे हुए औजार दिये जायें तथा टैकनोलाजी का स्तर ऊंचा किया जाय। मुझे यह सुन कर बड़ा दुख होता है कि हमारे लोगों को सैकण्डहैंड औजार दिये गये। मैं तो यह चाहता हूं कि देश के लोगों को आधुनिक औजार दिये जाने चाहियें।

[श्री अशोक मेहता]

बहुत से देश चाहते हैं कि भारत का विकास हो। बारबरा वार्ड ने इण्डिया एण्ड वैस्ट पुस्तक में बताया है कि आगामी १० से ३० वर्षों में भारत की स्थिति इतनी समुन्नत हो जायेगी कि विश्व शान्ति स्थापना के लिये भारत की ओर ही देखेगा।

हमारे देश में लघु उद्योग बड़ी संख्या में हैं। क्या यह सम्भव नहीं है कि सरकार विदेशों आदि से सस्ते औजार खरीद कर लघु उद्योगों को दे दे। मेरा यह भी सुझाव है कि पश्चिमी योरप में टैक्नालाजी विकास के लिये जो एम० आई० टी० संस्था बनाई गई है उससे कम पूंजी विनियोजन तथा अधिक मजदूरों के प्रयोग की विधियां पूंछी जायें जिससे देश में उनके अनुसार विकास हो सके।

इस्पात निर्माण में इस प्रकार की प्रक्रिया का विकास हो चका है कि उनमें सामान्य स्तर की अयस्क का उपयोग किया जायगा और एक संयंत्र में १½ टन का उत्पादन हो सकेगा। इन संयंत्रों की लागत ६ करोड़ रुपये होगी। हर्ष की बात है कि भारत इस प्रकार की बातों में दिलचस्पी ले रहा है। वस्तुतः हमें इस बात पर अनसन्धान करना चाहिये कि किस अंश तक इस्पात सीमेंट और उर्वरक संयंत्र अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

न्यूजीलैण्ड में मैंने उर्वरक के छोटे छोटे संयंत्र देखे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी इसी प्रकार के संयंत्रों की स्थापना की जाय जिससे कि औद्योगीकरण और आर्थिक विकास का प्रभाव हमारे गांवों में भी पहुंच सके। हमें चाहिये कि हम ऐसे छोटे संयंत्रों का विकास करें जिनमें अपेक्षाकृत सरल टैक्नीक से काम चल जाये।

जनसंख्या के आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि हमें अपनी बचत और विनियोजन की दरों में वृद्धि करनी होगी। तथापि यह तभी सम्भव है जबकि हम जनता में संयम और त्याग की भावना का विकास कर सकें। ऐसा करने के लिये हमें समाजवाद के सिद्धान्त को अधिक गम्भीरता से ग्रहण करना होगा।

मैंने बार बार आर्थिक विषमताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। औद्योगीकरण का यह अनिवार्य परिणाम होता है कि धनी अधिक धनी हो जाते हैं और गरीब अपेक्षाकृत अधिक गरीब हो जाते हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों, व्यक्तियों तथा वर्गों के बीच विषमता बढ़ती है। अतः यदि हमने देश में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाई तो इसका परिणाम यह होगा कि हम जनता से अधिकाधिक मांग करते जायेंगे, तथापि जनता को यह अनुभव होगा कि उनके त्याग का लाभ उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका अन्ततोगत्वा राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अच्छा परिणाम नहीं होगा।

तीसरी योजना के पूर्व यह आवश्यक है कि हम अपने दृष्टिकोण मानदडों तथा अपने विचारों में परिवर्तन करें। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती है। अब समाजवाद केवल एक आदर्श नहीं रह गया है अपितु यह एक व्यावहारिक सिद्धान्त है जिसके द्वारा हम जनता का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि समाजवाद के इस व्यावहारिक पक्ष पर कितना ध्यान तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। हमें चाहिये कि हम समाजवाद की ओर विशेष ध्यान देवें इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

निर्यात का प्रश्न हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे निर्यात की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है तो हमें भविष्य में इस मात्रा में विदेशी सहायता नहीं मिल सकेगी जिस मात्रा में अभी मिल रही है। अतः हमें चाहिये कि हम न केवल निर्यात कर्त्ताओं में, न केवल उत्पादन कर्त्ताओं में अपितु देश में यह भावना पैदा करें कि हम अधिक से अधिक निर्यात कर सकें।

अगला प्रश्न जो इससे घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है वह लागत मूल्य का है। लागत मूल्य कम करने के लिये यह आवश्यक है कि प्रबन्धक उच्च श्रेणी के हों तथा अनुसंधान की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय। वर्तमान समय में बिना अनुसंधानों की ओर पर्याप्त ध्यान दिये हुए हम किसी भी उद्योग में विकास नहीं कर सकते हैं। संगठन में परिवर्तन करने का प्रश्न कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां गन्ने का उत्पादन पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहुत कम होता है वहां खेतों को सहकारिता के अधीन लाना आवश्यक है अन्यथा उनका व्यक्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा।

अतः औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि करने के लिये हमें चाहिये कि श्रम, अनुसंधान तथा लोक शिक्षा की ओर ध्यान देवें। जब तक हम देश में इस प्रकार की भावना पैदा नहीं कर सकते हैं तब तक हमारे प्रयत्न सफल नहीं हो सकते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : निसंदेह पिछले दस वर्षों में कृषि उद्योग तथा टेक्नीकल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है तथापि वास्तविक प्रश्न यह है कि हमारे देश में जो समृद्धि आई है और राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है वह हमारी जनता तक पहुंची है या नहीं ? इस सम्बन्ध में सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही इस विषय पर जांच की जायेगी। हमें यह बतलाया जाना चाहिये कि यह जांच समाप्त हो गयी है या नहीं तथा उस जांच के क्या क्या परिणाम निकले हैं ?

१०० रु० से ४०० रु० तक मासिक वेतन पाने वाले मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की अवस्था बहुत खराब है। वे अपनी अवस्था से बहुत असन्तुष्ट हैं। सरकार को मध्य वित्त के लोगों की शिकायतों पर ध्यान देना चाहिये।

यद्यपि दूसरी योजना समाप्त हो चुकी है और हम तीसरी योजना के द्वार पर खड़े हैं तथापि जनता को अभी तक दूसरी योजना के दौरान हुई प्रगति के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था जिसका आशय यह था कि क्या दूसरी योजना की अवधि के बीच पिछड़े क्षेत्रों तथा अपेक्षाकृत अधिक विकसित इलाकों के बीच आर्थिक विषमता में कितनी वृद्धि हुई है ? तथापि इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

किसी देश का विकास वहां होने वाली विद्युत की खपत से ज्ञात होता है। यदि हम भारत के विभिन्न राज्यों में उत्पादित होने वाली बिजली के आंकड़ों की तुलना करें तो ज्ञात होगा कि राजस्थान में सब से कम विद्युत का उत्पादन होता है। समझ में नहीं आता कि जब देश के अन्य राज्यों में कहीं कहीं १३,००० गांवों को बिजली दी जा रही है तो राजस्थान में केवल ५०० गांवों को ही बिजली क्यों दी गयी है। हमने २,००० गांवों को बिजली देने की मांग की थी। इससे राजस्थान की जनता में बहुत असन्तोष पैदा हो गया है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले में गम्भीरता से विचार करें।

देश के विकास के लिये सरकारी क्षेत्र का विकास किया जाना आवश्यक है। तथापि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र से उचित परिणाम भी निकलने चाहियें। सरकारी क्षेत्र का संचालन कुशलता पूर्वक होना चाहिये तथा उससे कम से कम १० प्रतिशत मुनाफा प्राप्त होना चाहिये। इस मुनाफे का पुनः उत्पादक कार्यों में विनियोजन किया जा सकता है। वस्तुतः सरकार को उनके संचालन के सम्बन्ध में स्पष्ट जान-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

कारी देनी चाहिये । सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्धों का स्पष्टीकरण किया जाय । हमें चाहिये कि हम सरकारी क्षेत्र में देश की सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें । सरकारी उपक्रमों में पदनिवृत्त अधिकारियों का एकाधिपत्य न होने पावे ।

सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र को अनावश्यक प्रोत्साहन देने की नीति में परिवर्तन करना चाहिये । यह ज्ञात हुआ है कि सरकारी क्षेत्र में जिस विद्युत् का उत्पादन किया जा रहा है वह गैर-सरकारी क्षेत्र को बहुत कम दर में दी जा रही है । वस्तुतः हमें इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिये कि क्या उन्हें इतने कम दर में विद्युत् देना उचित है ।

सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये कि छोटे पैमाने के उद्योग तथा कृषि क्षेत्र को विद्युत् देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है । सरकार को उक्त क्षेत्रों को उचित दरों में विद्युत् का संभरण करना चाहिये । हमने अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया है ।

प्रशासन के सम्बन्ध में हमारा स्तर बहुत नीचे गिर गया है और हम यह अनुभव करने लगे हैं कि सरकारी कामों में ढील होती ही है और थोड़ी बहुत घूस भी चलती है । तथापि यह अत्यन्त निराशाजनक है । हमें चाहिये कि हम अकुशलता तथा ओछे स्तर के विरुद्ध संघर्ष करें । वस्तुतः योजना की समस्त असफलता प्रशासन की कुशलता पर निर्भर है । अतः सरकार को इस ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये ।

मैं माननीय वित्त और योजना मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस बात पर प्रकाश डालें कि छोटी बचत तथा ऋणों का लक्ष्य किस प्रकार पूरा किया जायेगा, क्योंकि उक्त बचतों में केवल ५ प्रतिशत ऋण दिया जा रहा है जब कि देश में धन पर कम से कम १० से १२ प्रतिशत तक ब्याज मिल रहा है ।

अब मैं मद्य निषेध के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । मद्य निषेध को लागू करने के लिये सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है । हमें केवल ऐसे लोगों को यह काम सौंपना चाहिये जो कि मद्य निषेध सम्बन्धी नीति में विश्वास करते हों । तीसरे इस नीति को सफल बनाने के लिये यह भी आवश्यक है कि इसे सारे देश में एक साथ लागू किया जाय । मद्य निषेध को सारे देश में एक साथ लागू करने में सरकार को ५० करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी, सरकार को चाहिये कि वह राशि की व्यवस्था करे तथा सभा को इस मार्ग में आने वाली अन्य कठिनाइयों से अवगत करे ।

श्री सुमत प्रसाद (मुजफ्फरनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, दस साल के अर्से में अब वह समय आ गया है, जब इस बात का अन्दाजा लगाया जाना चाहिये कि मुल्क में प्लानिंग के ज़रिये से कितनी प्रगति हुई है । बजट के दौरान में भिन्न भिन्न मिनिस्ट्रीज़ की रिपोर्ट्स देखने को मिलीं । जहां तक कल-कारखानों का ताल्लुक है, वहां तक तो बहुत तरक्की हुई है । इसके अतिरिक्त यूनिवर्सटीज़ स्थापित की गईं और कालेज खोले गये और जिन चीजों के बारे में यह खयाल भी नहीं हो सकता था कि वे मुल्क में पैदा होंगी, वे अब मुल्क में पैदा होने लगी हैं । लेकिन इस बारे में एक दूसरा दृष्टिकोण भी है और वह यह है कि इन सब कामों से सोसाइटी के किस सैक्शन को फ़ायदा हुआ । इस प्रगति का पूरा पूरा फ़ायदा इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने उठाया है और वह स्वाभाविक भी है । उनके पास पैसा भी था और नो-हाऊ भी था और गवर्नमेंट से उनको काफी सहायता मिली---पैसे की भी सहायता मिली और दूसरी तरह की भी सहायता मिली । तो उन्होंने

इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुछ ऐसे सैक्शन्ज़ हैं, जिनका ट्रेड से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो इंडस्ट्री में भी नहीं हैं, उन की हालत खराब हुई है। मेरा मतलब यह नहीं कि प्लानिंग के कारण उनकी हालत ख़राब हुई, लेकिन प्लानिंग के ज़रिये से चीजों की कीमतें बढ़ीं और उस वजह से उनके लिये निर्वाह करना मुश्किल हो गया।

अन-एम्पलायमेंट में भी काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ, शहरों में भी और देहातों में भी। आज ऐसी हालत हो गयी है कि कोई बी० ए० या एम० ए० भी हो, लेकिन वह १०० रुपये महीने के रोजगार के लिये भटकता फिरता है। जो आदमी सर्विसिज़ में हैं, वे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं और करप्शन भी इस कारण बढ़ा है। आज देहात में काफी आदमी बेरोज़गार हैं। इस देश में छः करोड़ के करीब फ़ेमिलीज ऐसी हैं, जो देहात की रहने वाली हैं और उनमें से ७५ फी सदी के करीब ऐसी हैं, जिनके पास भूमि नहीं है या है तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वे बड़ी मुश्किल से अपना निर्वाह कर पाते हैं। इतनी उपज नहीं है कि वे उससे अपनी आर्थिक दशा को सवारें।

शहरों की आबादी १८ फ़ीसदी है और बाक़ी देहात की है लेकिन जितने भी कल-कारखाने बने, उन सब का फ़ायदा हुआ ज्यादातर शहरों के रहने वालों को, उन लोगों को, जो कि इंडस्ट्रीज़ में थे। देहातों के रहने वालों को इस प्लान से क्या फ़ायदा हुआ है? उन के पास भूमि भी नहीं है और विद्या भी नहीं है। जो तरीका है, जो प्लान की हालत है, अगर उसको उसी तरह से चलने दिया जाये और वे लोग शहरों में जा कर कल-कारखानों में मजदूरी करें, तो इस से मुझे देश का भला होता नज़र नहीं आता। देश में जो बड़े कल-कारखाने हैं, उनके लिये बहुत कैपिटल चाहिए और लेबर के एम्पलायमेंट की इतनी कैपेसिटी उन में नहीं है। गांधी जी ने इस बारे में एक तरीका रखा था और वह चाहते थे कि रूरल एरियाज़ को सैल्फ़-सफ़िशेन्ट बनाया जाये और वहां एक दूसरे तरीके के धन्धे जारी किये जायें। लेकिन आज तो उन की ऐसी हालत है कि न उन को कोई दस्तकारी नहीं आती है और न उन के पास पैसा है। जब तक कोई डेफ़िनेट छोटे छोटे प्लान उन के लिये नहीं बनाये जाते, जिस से हर देहात वाले की हालत सुधरे और वह अपने पैरों पर खड़ा हो, तब तक इस देश को प्लानिंग से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। आज ग्रामीण जनता की आमदनी ६६ रुपये सालाना के करीब है। अगर एक थोड़े से सैक्शन को फ़ायदा पहुंचे और इतना बड़ा सैक्शन ऐसा रहे, जिस को उस से कोई फ़ायदा न पहुंचे, तो यह तरक्की कोई ठीक तरक्की नहीं होगी और न इस से मुल्क का बैलेंस्ड डेवेलपमेंट होगा।

जहां तक हमारे प्लानिंग का सम्बन्ध है, उस में यह देखने में आया है कि भिन्न भिन्न चीज़ों के बारे में सही अन्दाज़ा पता नहीं चलता है। जो हमारे आंकड़े हैं, वे बड़े डिफ़ेक्टिव हैं। एस्टीमेट्स कमेटी में फ़ूड प्राडक्शन के बारे में मिनिस्ट्री के रिप्रेज़ेन्टेटिव से पूछा गया कि इस देश में भिन्न भिन्न अन्न की कितनी आवश्यकता है और कितनी यहां की पैदावार है। उन्होंने कहा कि हम तो यह बतला सकते हैं कि गवर्नमेंट के गोदाम से कितना आफ़-टेक है। उन्होंने कहा कि कितनी हमारी आवश्यकता है और कितनी हमारी पैदावार है, इस का हम कोई अन्दाज़ा नहीं बता सकते हैं। जब यह हालत है, तो प्लानिंग किस तरह से ठीक हो सकता है? डा० लोकनाथन् ने भी कहा है कि इस बात के सही आंकड़े नहीं हैं कि कितनी इस देश की पैदावार है और कितनी जरूरत है और इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जब तक सही आंकड़े न हों, तब तक कोई अन्दाज़ा ठीक तौर से नहीं लगाया जा सकता है।

आज मुल्क में गल्ले के बारे में आबो-हवा अच्छी है और वह इस कारण है कि एक लम्बे अर्से के लिये, चार साल के लिये, काफ़ी मात्रा में, १७ मिलियन टन गल्ले का, गेहूं और चावल का इन्तज़ाम

[श्री सुमत प्रसाद]

बाहर से किया गया है। लेकिन पिछले पांच साल के तजुर्बे से यह बात निकलती है कि चार मिलियन टन की कमी तो साधारणतया एक साल में हो जाती है। पिछले साल चार मिलियन टन की कमी हुई। यही नहीं, इस देश में ऐसे साल गुजरे हैं, जिन में आठ मिलियन टन्ज की कमी हुई। आज जितनी तरक्की मालूम पड़ती है, वह इसलिये है कि बारिश ठीक समय पर हुई और प्लानिंग से भी वृद्धि हुई। लेकिन देखने में यह आता है कि जब हम प्लान करते हैं, तो जितना उसका खर्च है, उसको कम दिखलाते हैं और उस की जितनी उपज है, उस को ज्यादा दिखलाते हैं। मेरे पास सूरतगढ़ के फ़ार्म के बारे में एक रिपोर्ट है। मैंने देखा कि जितनी उपज का अनुमान दिखाया गया है, वह उपज किसी साल में पूरी नहीं हुई। १९५६-५७ में ६०,००० मन गल्ले का उपज का अनुमान दिखाया गया और वास्तव में उपज हुई २०,७९० मन। १९५७-५८ में उपज का अंदाजा दिखाया गया २,०४,८९६ मन और पैदा हुआ १८,०८५। १९५८-५९ में देखते हैं २,३५,२७१ का अंदाजा, पैदा हुआ १,४७,१२९। १९५९-६० में अंदाज है ४,३०,४३५ और पैदा हुआ २,११,४९७। ठीक यही हालत चारे की भी है। पानी के बारे में जितना उन्होंने अंदाजा लगाया था उससे पानी भी बहुत कम मिला है। मैं समझता हूं कि जो खर्चा आपने किया और उसको करने के बाद जो आमदनी का अंदाजा आपने लगाया था, वह आमदनी नहीं हुई। खर्चा तो पूरा हो गया लेकिन आमदनी कम हुई। यही हालत जिस किसी भी चीज को आप देखें, उसमें भी पायेंगे। अभी कल ही स्टील प्लांट्स की बातचीत चल रही थी, उस पर डिबेट चल रही थी। जितना तखमीना था उससे ज्यादा खर्चा किया गया। मेरा नुकतेनजर यह नहीं है और मैं नहीं समझता कि रुपया वेस्ट हो रहा है। लेकिन आपके रिसोर्सिस कम हैं और आपको बाहर से मांगना पड़ रहा है। इसलिए जब तक आप ठीक से तखमीना नहीं बनायेंगे, तब तक आपका प्लान कामयाब नहीं हो सकता। मेरे पास समय नहीं है कि हर चीज के बारे में मैं आपको बता सकूं। लेकिन अगर आप देखें तो आपको जनरल टेंडेंसी देखने को यह मिलेगी कि जिस वक्त प्लान किया जाता है उस वक्त तो खर्चा कम दिखाया जाता है और आमदनी ज्यादा दिखाई जाती है लेकिन बाद में जो रिजल्ट निकलता है वह बिल्कुल ही उलटा निकलता है। खर्चा ज्यादा होता है और आमदनी कम होती है। इस तरह से प्लानिंग करके आप ठीक नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं।

सवाल आ जाता है इम्प्लेमेंटेशन का। जितने भी आपके प्लान बने हैं, वे बड़ी मेहनत के साथ बने हैं और कई लोगों से परामर्श करके उनको बनाया गया है। पार्लिमेंट ने भी उसको मंजूर किया है। लेकिन सवाल यह है कि इम्प्लेमेंटेशन में कितनी प्रगति हो रही है। एक तरफ अगर हम प्राइवेट कंसर्न को देखें और दूसरी तरफ पब्लिक कंसर्न को देखें और दोनों के उत्पादन का मुकाबला करें तो पता चलेगा कि जो नतीजे हैं वे भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। बात बहुत छोटी है लेकिन उसे मैं कहे बगैर नहीं रह सकता हूं। मेरे जिले में खंडसारी की कोआपरेटिव फैक्ट्री लगी। इसको लगे तीन चार साल हो गये। आज तक एक पैसा भी डिविडेंड के तौर पर तक्सीम नहीं किया गया है। इसको सरकारी आदमी चलाते हैं, पब्लिक का कोई आदमी नहीं चलाता है। वही इसको मैनेज कर रहे हैं। खंडसारी के जो प्राइवेट कारखाने हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं आपको दिखाई पड़ेगा जिस ने ३०,००० से ५०,००० पये साल का मुनाफा न कमाया हो।

मेरे ही जिले में गवर्नमेंट ने एक फार्म हासिल किया है, सीड प्रोडकशन के लिए। जिन जमींदारों से उसको हासिल किया गया है उनको उस फार्म से जो मुनाफा होता था, उसका तीन चौथाई भी आज इससे सरकार को नहीं हो रहा है, उतना भी नहीं हो रहा है। आज दुनिया में एक हवा है, अमरीका और दूसरे देशों में हिन्दुस्तान की मदद करने की और वे देश हर तरह से हिन्दुस्तान की सहायता करना चाहते हैं। सहायता वे इस दृष्टिकोण से देना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक बेसिस पर एक नया तजुर्बा यहां हो रहा है और देखा जा रहा है कि किस तरह से हम अपना विकास करते हैं,

किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, किस तरह से लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं। यदि यह तजुर्बा कामयाब हो गया तो डेमोक्रेसी की यह विजय होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक जो भी स्कीम हम बनायें, उसका पूरी तरह से इम्प्लेमेंटेशन न करें, जो सहायता भी हमें मिलती है, उसका पूरा लाभ न उठायें, तब तक कुछ नहीं हो सकता है और हम नहीं कह सकते हैं कि परिणाम क्या निकलेगा। ह्यूमन फैक्टर भी एक है जिस पर हमको विचार करना है। हर चीज का प्लानिंग है, इन्सान का प्लानिंग यहां पर नहीं है, इन्सान की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा रही है। जिस वक्त तक यह मालूम नहीं होगा कि इम्प्लेमेंटेशन ठीक तरह से हो रहा है उस वक्त तक कोई कामयाबी इस प्लान के अन्दर नहीं हो सकती है।

तालीम के विषय को ही आप ले लीजिये। पिछले दस सालों के अन्दर बहुत से तजुर्बे किये गये हैं, बहुत सी स्कीमें बनाई गई हैं। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में तालीम का जो ढंग था, वही ढंग चल रहा है। कल यहां पर रुद्रपुर यूनिवर्स्टी की बातचीत चल रही थी और कहा गया था कि वहां विद्यार्थी हल अपने हाथ से चलायेंगे और उनको प्रेक्टिकल ट्रेनिंग दी जायगी। यह बहुत अच्छी चीज है, मुबारिक चीज है। लेकिन कितनी यूनिवर्स्टीज ऐसी हैं जिन में से निकल कर लोग किसी छोटे छोटे धंधे में लगते हैं, कोई इंडस्ट्री खोलते हैं या कोई और इस तरह का काम करते हैं। जितने भी आर्ट्स और साइंस कालेज हैं उन सब में टेंडेंसी यह है कि किसी तरह से डिग्री हासिल कर ली जाये ताकि नौकरी मिल सके। डिग्री की वैल्यू यह है कि उनको नौकरी दिलाने में वह सहायक होती है। जिस वक्त तक यह मैंटेलिटी रहेगी, यह जहनीयत रहेगी, उस वक्त तक काम नहीं चल सकता है। यह जो जहनीयत है, इस में ज्यादह जिम्मेवारी उन नौजवानों की नहीं है जो यूनिवर्स्टीज या कालेजिज में पढ़ते हैं। एक बार प्राइम मिनिस्टर साहब की जबान से निकला था कि हमें ओवर-सीज्ज चाहियें। उस के बाद जगह जगह इतने ओवयसीयर कालेज खुल गये हैं कि कोई हिसाब ही नहीं। यू० पी० के वैस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में तो यह जिले में एक एक ओवरसीयर कालेज खुल गया है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत खुल गये हैं। लोगों ने पांच पांच और छः छः सौ रुपयें एक साल में पेशगी दिये और उसी रुपये से ये सब खुले हैं और चल रहे हैं। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि एक भावना लोगों के अन्दर है कि उनको किसी किस्म की ट्रेनिंग मिले जिसको पा कर उनमें काम करने की शक्ति आये और उनको रोजगार मिले। लेकिन आज तक जितनी इमदाद मिलती है, वह सब उस सैक्शन को नहीं मिलती है जिस सैक्शन को मिलनी चाहिये। मैं चाहता हूं आपका ध्यान इस ओर भी जाय।

इस गिरे हुए और पिछड़े हुए मुल्क में जहां पर की अगर फसल अच्छी हो गई तो लोगों को दो वक्त खाने को मिल गया और अगर खराब हो गई तो एक वक्त लोग भूखों मरने लग जाते हैं, यह जरूरी है कि ऐसा प्लानिंग किया जाय जिस में हर सैक्सन प्रोवाइडिड हो, कुछ न कुछ काम वह करे, किसी न किसी काम को करने की योग्यता उसके अन्दर आये।

खादी को ले लीजिये। गांधी जी ने इस स्कीम को सन् १९२० में चलाया। उस वक्त जो मुल्क में कांग्रेस में शरीक हुए उनको काफी मोटी खादी पहनने को मिलती थी, लेकिन दस बरस में उसमें कितनी प्रगति हुई। लेकिन खादी एक मिल से कम्पिटीशन नहीं कर सकती। अगर खादी को जीवित रखना है और इस स्किम के छोटे धन्धों को खोलना है तो आपको उसके लिए कुछ खास स्टेप लेने होंगे जिससे कि उनको सहायता मिले। मसलन खादी को लीजिये। तो कुछ चीजें जैसे बैंड शीट्स हैं, धोती हैं या स्टेंडर्ड साइज का कुरते या कमीजों का कपड़ा है उसको मिलें न पैदा करें। उन पर प्रतिबन्ध लगा दीजिये। मिलें दूसरा अच्छे किस्म का कपड़ा तैयार करें जो कि एक्सपोर्ट हो सके। आप ऐसा करेंगे तो खादी की तरक्की होगी। इसी तरह से और भी छोटे धन्धों की तरक्की हो सकती है।

[श्री सुमत प्रसाद]

मुझे एक मरतबा मेरठ डिवीजन में स्माल इण्डस्ट्रीज के सिलसिले में जाने का मौका मिला। मैंने देखा कि वहां छोटे उद्योगों में खादी ग्रामोद्योग के सिवा और कोई चीज नहीं थी जिसमें वहां की ग्रामीण जनता लग सके।

आजकल लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। मेरा मतलब पर कैपीटा इनकम से नहीं है। उसमें तो आपने एक औसत निकाल लिया है। मेरा मतलब है कि अगर एक साधारण गांव के रहने वाले या शहर के रहने वाले या फिग्ज्ड इनकम वाले, की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तो यह हालत होगी कि माल आपके पास मौजूद है लेकिन उसके लिये बाजार नहीं है, उसके खरीदने वाले नहीं हैं। तो आपका प्लानिंग तभी कामयाब होगा जब आप वीकर सेक्शन की आर्थिक दशा को सुधारें, नहीं तो आपका प्लानिंग सकसेसफुल होने वाला नहीं है।

एक बात और भी है, वह यह कि आप कर्जा बेशुमार ले रहे हैं। आप बाहर से यह कर्जा ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर एक आदमी कल कारखाना चलाना चाहता है और उसके पास पूंजी नहीं होती तो वह दूसरी जगह से रुपया लेता है बशर्ते कि उसके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वह उस पूंजी से कुछ बचा भी सके। आज आपके सामने समस्या एक्सपोर्ट की है। एक्सपोर्ट आप ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं। अगर मैं गलती नहीं करता तो तीसरी योजना के लिये आपने १५०० करोड़ का एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। हम इतना एक्सपोर्ट कर पायेंगे या नहीं यह दूसरा सवाल है। यह निर्भर करता है इनपुट और आउटपुट रेशियो पर और हमारी प्रोडक्टिविटी पर। अगर हम इकानामिकली चीजों को तैयार कर सकें तभी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं।

आज हालत यह है कि शुगर के मामले में चिन्ता हो रही है। वह चिन्ता यह है कि हमारा शुगर का कास्ट आफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ा हुआ है। शुगर की तरह से ही हम और इण्डस्ट्रीज को भी लें। हम अपनी चीजों को कम्पिटीटिव प्राइस पर दूसरे मुल्कों को नहीं भेज सकते। आज यूरोप में कामन मारकेट का सवाल है। हम अपनी चीजें कैसे बाहर भेज सकते हैं। और अगर हम अपनी चीजें बाहर नहीं भेज सकेंगे तो जो रुपया हमने उधार लिया है उसकी अदायगी का क्या सिलसिला होगा। तो इसमें फिर एफीशेंसी का सवाल आ जाता है। जितनी भी पब्लिक सैक्टर की चीजें हैं उनमें रिटर्न की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य को खत्म करना चाहिए।

श्री सुमत प्रसाद : जो आदमी प्राइवेट कनसर्न खोलता है उसके सामने हमेशा यह बात रहती है कि इसमें इतनी पूंजी लगी है, उस पूंजी का उसको रिटर्न मिलना चाहिये। रात दिन वह इस चिन्ता में रहता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में यह बात नहीं और पब्लिक सैक्टर के संचालन में तो देशभक्ति दिखायी देनी चाहिए वह अभी नहीं दिखायी देती। पब्लिक सेक्टर में भी अगर यह चिन्ता रहे कि इतना पैसा लगा है हमको इतना रिटर्न होना चाहिये, और इस बात की हर साल जांच की जाए और जो रिपोर्टें आती हैं उनमें यह दिया जाए कि जो इस सेक्टर में पैसा लगा है उस पर हमको इतना रिटर्न मिला, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और तब हम कम्पिटीटिव प्राइस पर अपनी चीजों को बाहर भेज सकेंगे और तभी हमारे पास रिसोर्सेज इकट्ठे हो सकेंगे और हमारी सेल्फ जनरेटिंग इकानमी हो सकेगी और यह देश तरक्की करता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि जहां कल कारखाने के द्वारा देश की इकानमिक कैपेसिटी बढ़ायी जाए, आमदनी बढ़ायी जाए वहां इस बात की तरफ भी ध्यान दिया जाए कि उस आमदनी का उचित वितरण हो और कहीं इनईक्वालिटी न रहे।

अन्त में जो आपने मुझे समय दिया उसके लिये आपका शुक्रगुजार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ मैंने दिया कुछ आपने अपने आप ले लिया।

श्री भ० दी० मिश्र (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता के बाद देश का निर्माण करने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलायी गई। और इन योजनाओं के जरिए देश की, दरिद्रता देश की निरक्षरता और देश का जो अस्वास्थ्य है, जो तन्दुरुस्ती की कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया गया।

देश के निर्माण के सिलसिले में हमको यह विचार करना होगा कि जनता का ७५ प्रतिशत तो देहातों में रहता है और २५ प्रतिशत शहरों में। इसलिये सब से पहले निर्माणकर्ताओं को यह सोचना होगा कि जब तक ७५ प्रतिशत की अवस्था का सुधार हम नहीं कर सकेंगे तब तक वास्तव में पूरी तरह से देश का निर्माण नहीं हो सकता। इन ७५ प्रतिशत की अवस्था क्या है उसके सम्बन्ध में आपके सामने बजट के प्राय: सभी अनुदान पेश हो चुके हैं और उनसे हम को मालूम होता है कि देश में सभी दिशाओं में कुछ न कुछ उन्नति हुई है। परन्तु वह उन्नति कहां हुई है, किस के पास है, उससे कौन बढ़ा है, इस पर जब हम गौर करते हैं; हम समझते हैं कि इस उन्नति का प्रभाव यह कहना तो गलत होगा कि उन ७५ प्रतिशत पर कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन उन पर जो प्रभाव पड़ा है वह प्राय: नगण्य है।

हमारी योजनाओं में बराबर यह कहा जाता है कि हमें उत्पादन बढ़ाना है, हमें अन्नोत्पादन बढ़ाना है और अन्नोत्पादन के लिये हमने बहुत से साधन भी बताए हैं जैसे सिंचाई का प्रयोग करना, अच्छे बीज देना और खाद देना जिससे कि हम उन्नति कर सकें। लेकिन हम देखते हैं कि रिपोर्ट में तो आपने काफी खाद भी तैयार की है और पानी भी ज्यादा देने की चेष्टा की है और उन्नत बीज भी देने का प्रयत्न किया है। लेकिन जहां तक उन्नत बीज देने का सवाल है आप अपने सीने पर हाथ रख कर देखें कि उसकी क्या अवस्था है। आज भी अच्छा बीज सवाई पर दिया जाता है जैसा कि पहले दिया जाता था। इसको देखते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि आपने किसान का उत्पादन बढ़ाने के लिए पहली और दूसरी योजनाओं में कोई ठोस कदम उठाया है।

कहा जाता है कि किसानी के साधनों को बढ़ाने की चेष्टा की जाएगी। इन साधनों में तकावी का भी नाम आता है। अगर किसी किसान के पास बैल नहीं होते तो उसको तकावी दी जाती है। लेकिन तकावी के लिए वही दकियानूसी नियम मौजूद हैं। अगर आज किसान तकावी के लिए दरख्वास्त देता है तो सम्भवत: उसको आठ या नौ महीने के बाद रकम मिलती है। उसका उदाहरण कल हमारे एक मित्र ने दिया, मैं उसको दुहराना नहीं चाहता। उस रकम को देने के लिए पहले कानूनगो की रिपोर्ट मांगी जाती है, फिर पटवारी की रिपोर्ट मांगी जाती है और फिर तहसील की रिपोर्ट मांगी जाती है। और किसान को मिलते मिलते वह रकम आधी या तिहाई रह जाती है और बहुत देर से मिलती है और वह उसको खा पीकर खत्म कर देता है और वह उससे कोई किसानी का साधन उपलब्ध नहीं करता। अभी तक वही पुराना कायदा बना हुआ है उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। आप उसको तकावी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये देते हैं तो फिर आप तहसील और कानूनगो से क्या पूछते हैं ? आप केवल यही पूछते हैं कि वह खेती करता है या नहीं और लगान देता है या नहीं। यह आप उसके पास जो रसीद है उससे देख कर जान सकते हैं और उसको देख कर उसको रुपया दे सकते हैं। लेकिन जो कायदा है उससे रुपया उसके पास आते आते घिसता जाता है और आधा रह जाता है। अगर उसको वक्त से रुपया मिल जाए तो उसको सही मानों में फायदा हो सकता है। लेकिन उस दिशा में भी हमने कुछ नहीं किया है। अब हम जो किसान को पानी दे रहे हैं तो उस पानी पर हमने सारा हिसाब लगाया हुआ है कि कितने पुर्जे घिसते हैं, कितना ऑपरेटर पर खर्च होता है और कितना मशीन पर

[श्री भ० दी० मिश्र]

खर्च होता है और वह सारा हिसाब लगा कर हम किसान को पानी सप्लाई करते हैं। जब ऐसी हालत हो तो मैं कैसे समझ सकता हूं कि आप किसान की ठोस सहायता करते हैं और आप चाहते हैं कि किसान अन्न का उत्पादन बढ़ाये। आज किसान के पास अन्न का उत्पादन बढ़ाने के वास्ते साधन सुलभ नहीं हैं और आप जो साधन उन को देते भी हैं तो उसी पुराने तरीके पर देते हैं अर्थात् उससे ड्योढ़ा वसूल किया जायगा या सवाया वसूला जायगा। इस तरीके से हमारे किसानों की पैदावार कैसे बढ़ सकती है।

इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश ने साक्षरता की दिशा में कुछ उन्नति की है और कुछ शिक्षा का प्रसार हमारे यहां हो चला है लेकिन आपको यह नहीं भूल जाना चाहिए कि सबसे पहली आवश्यकता इस देश की खाने और कपड़े की है और महात्मा जी ने भी यही कहा था कि देश की सबसे पहली आवश्यकता खुराक और कपड़ा है। मुझे यह दुःख के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि अन्न और वस्त्र के सम्बन्ध में हम अभी भी परावलम्बी हैं।

अभी अभी इस सदन में हमारे खाद्य तथा कृषि मंत्री महोदय अपने मंत्रालय के अनुदानों पर हुई बहस का उत्तर दे चुके हैं और स्वयं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सन् १९५९-६० में १९५८-५९ की अपेक्षा कम खाद्य उत्पादन हुआ है। जहां सन् ५८-५९ में ७५५ लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ वहां ५९-६० में ७१८ लाख टन अनाज पैदा हुआ। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे कृषि मंत्रालय ने बाहर के देशों से गल्ला मंगाने का जो समझौता किया और उस गल्ले को भांडारों में सुरक्षित रखने की जो व्यवस्था की है वह एक सराहनीय बात है। ऐसा होने से जो हमारे देश में महाजनों और बड़े किसानों में अनाज को जमा करने और होर्डिंग करने की एक मनोवृत्ति चला करती थी और अनाज जमा वह इस नीयत से करते थे कि गरानी आने पर वह उसका फायदा उठायेंगे, इस अनुचित मुनाफाखोरी की मनोवृत्ति की इससे रोकथाम हुई और उसकी वजह से देश में जो एक बेचैनी और हलचल पैदा हो गई थी उसमें जरूर कुछ कमी आ गई है। लेकिन अभी भी हम खाद्यान्न की दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं बन सके हैं। मैं अगर यह कहूं कि हमारी पैदावार का बढ़ना या न बढ़ना आम तौर पर ऋतु की अनुकूलता और प्रतिकूलता पर निर्भर करता है तो कुछ गलत न होगा। देखने में यह आता है कि अगर ऋतु अनुकूल मिली है तो हमारी पैदावार अवश्य बढ़ गई है लेकिन जब कभी ऋतु ने हमारा साथ नहीं दिया है और बाढ़ या सूखे का प्रकोप हुआ है तो हमारी पैदावार गिर गई है। मैं यह चीज आपके दिये हुए आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं।

हमारी जो योजनायें चल रही हैं उनकी प्रगति कैसी है किस दिशा की ओर है, उसके बारे में भी हमें और आपको देखने और तौल करने की आवश्यकता है।

श्री ब्रजराज सिंह : इन्होंने तो गौर करना बन्द कर दिया है आप ही कुछ कीजिये ?

श्री भ० दी० मिश्र : मैं समझता हूं कि आप बेकारी दूर करने में लगे हुए हैं तब भी उसकी वही हालत है जैसे कि पहले थी और उसकी आपके वचन में ही पुष्टि हो जाती है।

इस देश की आबादी का ७५ प्रतिशत जो कि खेती बाड़ी पर निर्भर करता है, उन किसानों की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिये हमने जो सुविधाएं दी हैं, हमें यह देखने की आवश्यकता है कि उनका सही सही प्रयोग होता भी है या नहीं। इसके बारे में भी हमें देखरेख करने की आवश्यकता

है। ऐसी अवस्था में जो दो प्रकार की योजनाएं हैं, एक उद्योग और वाणिज्य की, जिसका कि अधिकतर सम्बन्ध शहरों से है और दूसरी अन्नोत्पादन की, जिसका कि सम्बन्ध देहातों से है, इन दोनों में जहां तक शहरों का सम्बन्ध है वास्तव में हमारे यहां कुछ उद्योग धंधे बढ़े हैं और उन उद्योग धंधों की वजह से कुछ उनकी आमदनी भी बढ़ी है। उस आय का अधिकतर हिस्सा उन लोगों के पास गया है जो कि शहरों में रहते हैं लेकिन हमारा वह देहाती तबका जो कि अभी भी भूखा और नंगा है उसके लिए पर्याप्त रूप में हम कोई चीज नहीं कर सके हैं।

जहां तक देश में गल्ले और कपड़े की समस्या का सवाल है मैं यह कहना चाहता हूं कि मोटे से मोटा कपड़ा और मोटे से मोटा जो अन्न हो वह आप पर्याप्त मात्रा में और सही मूल्य पर देश में देने की योजना बनायें और जितना भी फाइन अच्छे से अच्छा कपड़ा आप तैयार करते हैं या बढ़िया से बढ़िया चावल अथवा गेहूं आप जहां भी चाहें उसको भेज सकते हैं। लेकि अगर आप हमें नंगा और भूखा रख कर इस देश को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं या देश में खुशहाली लाना चाहते हैं तो संभवतः वह हमारा स्वप्न विफल हो जायेगा।

जहां तक शासन का सम्बन्ध है, मैं यह निवेदन करूंगा कि वास्तव में हमारी अदालतें काफी बढ़ गई हैं। उनके अधिकार भी काफी बढ़ गये हैं। लेकिन मुझे यह दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी एक गरीब के लिए न्याय मिलना करीब करीब असम्भव सा बना हुआ है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस चीज का हल हमने निकाला और हमारी सरकार ने निकाला। उसने गांव सभाओं की स्थापना की, पंचायतों की स्थापना की और उन पंचायतों के जरिये जितने भी साधारण मामले होते हैं उनको बगैर किसी खर्चे के तय करने की चेष्टा की लेकिन आज उन पर भी यह छाप पड़ी है कि अगर कोई गरीब जाकर उनके यहां दावा करता है एक बड़े आदमी के खिलाफ कि फलां आदमी की भैंस ने मेरे खेत में चरा और जब मैंने उसको हांका तो उस आदमी ने मुझे मारा तो अब पंचायत वाले भी उस गरीब किसान से कहते हैं कि इसके सबूत में वह गवाही पेश करे। अब वह बेचारा गरीब किसान उस बड़े आदमी के मुकाबले में गांव में कोई गवाह नहीं पाता है और अन्ततोगत्वा होता यह है कि एक आध पेशी के पड़ने पर उसका दावा खारिज हो जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम उन पंचायतों की ट्रेनिंग इस आधार पर करें कि यह जो शहरों में अदालतों में गवाही पेश करने की पुरानी प्रथा चलती थी और गवाहियों के आधार पर आदालतें अपना फैसला देती हैं, इन पचायतों में वह पुरानी गवाहियों की प्रथा न चले। पंचायतें तो इस आधार पर स्थापित की गई थीं कि वह मौके पर मौजूद रहती हैं और उनको सब चीजों की सही सही जानकारी प्राप्त रहती है और उसके आधार पर वह अपना निर्णय दे सकती हैं। अब उस गरीब किसान को उस बड़े आदमी के खिलाफ शहादत मिलना कठिन है और अगर यह गवाहियों की प्रथा पंचायतों में भी चलेगी तो उसके साथ न्याय नहीं हो सकेगा। मैं चाहूंगा कि पंचायतों को निजी इनक्वायरी करने के बाद अपना फैसला दे देना चाहिए और तभी वास्तव में उस गरीब किसान को इंसाफ मिल सकता है और उसका उपकार हो सकता है।

हमारे यहां कोआपरेटिव्स् की बात बहुत कुछ चल चुकी है। सीलिंग की भी योजना चली लेकिन हम देखते हैं कि हमारी योजनाओं के सम्बन्ध में साल साल भर और दो दो साल पहले से अच्छे तरीके से उनकी घोषणा तो हो ही जाती है लेकिन क्रियात्मक रूप में कुछ नहीं होता है और मैं समझता हूं कि सीलिंग जिस वक्त आप करेंगे तो आपके हाथ में निल आयेगा। हमारी सर्विस कोआपरेटिव्स् का भी वही हाल है। योजनाएं हमारी अच्छी से अच्छी होती हैं लेकिन इन योजनाओं को ठीक से कार्यान्वित करने के लिए हमारा अधिक से अधिक ध्यान होना चाहिए। आफिशिएल (सरकारी) और नौन आफिशिएल (गैर सरकारी) दोनों ओर से इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और तभी हम इन योजनाओं से वास्तव में लाभ उठा सकेंगे।

[श्री भ० दो० मिश्र]

जहां तक इस बात का सम्बंध है कि हमने और आपने अपने देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् और संविधान में यह व्यवस्था हो जाने के बाद भी कि इस देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी होगी और उसको होना ही चाहिए, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि आज भी उसका एक क्षेत्र ऐसा है जो कि यह कहता है कि नहीं साहब अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए हिन्दी नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी वेश-भूषा को भी अपनाना शुरू नहीं किया है और न ही सरकार ने यहां के रहने वालों को अपनी वेश-भूषा अपनाने के लिये बाध्य किया है। अगर हमारे यहां डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है और यदि यहां की जल-वायु के कारण चार, पांच, छः कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, तो कोई वजह मालूम नहीं होती कि यहां पर कम खर्च वाली वेश-भूषा को न अपनाया जाये, जिससे इस देश के लोगों को लाभ पहुंच सके।

हमारे गांवों में काम करने के लिये ग्राम सेवक और ग्राम सेविकायें भेजी जाती हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन (योग्यता) होती है बी० ए० या एम० ए०। एक ग्राम सेविका बहन गांव में गई। वह छोटी लड़की थी। कहने लगी कि यहां तो बिजली नहीं है, मैं यहां कैसे रहूंगी। मैं ने कहा कि तुम यहां ग्राम-सेविका नियुक्त हो कर आई हो, देहातों में तो कहीं कहीं ढिबरी भी जलती हुई नहीं मिलेगी और तुम बिजली का स्वप्न देखती हो।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कहना था कि आपको बिजली साथ लेकर आना चाहिए था।

श्री भ० दो० मिश्र : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शासन और अधिकारियों का ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि हमारी योजनाओं की शक्ल और स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि जिनसे देहात का विकास हो और इस देश की जनसंख्या का ७५ भाग, देहातों में रहने वाले किसान, सुखी और समृद्ध हों, जिससे हमारे देश को वास्तविक अर्थों में सुखी, उन्नत और सम्पन्न कहा जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस बात का अधिक से अधिक प्रयत्न किया जाय कि हम सब लोग मिल-जुल कर देश के विकास और उन्नति के लिये काम करें। हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि यह काम सरकार का है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के बनाने में उनका भी उतना ही हिस्सा होना चाहिए, जितना कि सरकार का है, हमारा है।

एक माननीय सदस्य : हम ज्यादा काम करते हैं।

श्री भ० दो० मिश्र : वे जितना करते हैं, मैं जानता हूं।

हम समझते हैं कि जिन बातों के विषय में मतभेद है, उनको परस्पर विचार-विमर्श से सुलझाया जाय और इस देश के सब गण्यमान्य सज्जन, इस सदन के सब माननीय सदस्य, देश के सब लोग पूरा पूरा सहयोग करके देश को आगे बढ़ायें।

वास्तव में जब तक किसानों की अवस्था ऊंची नहीं हो सकेगी, जब तक उनको भर पेट खाना और पर्याप्त कपड़ा नहीं दिया जा सकेगा, जब तक उनको साक्षर नहीं बनाया जा सकेगा, उन को स्वस्थ नहीं बनाया जा सकेगा तब तक यह देश सम्पन्न और समृद्ध नहीं हो सकेगा।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : इस वर्ष वित्त मंत्री महोदय ने अपने कर बहुत व्यापक रूप से लगाये हैं इसका यह प्रभाव हुआ है कि बड़ा या छोटा कोई भी इसके प्रभाव से नहीं बच सका है। इस सम्बन्ध में आर्थिक कार्य विभाग में एक कर गवेषणा एकक कार्य कर रहा है

---

†मूल अंग्रेजी में

तथापि मैं यह जानना चाहता हूं कि वह एकक किस प्रकार का कार्य करता है क्योंकि यदि इन करों के सम्बन्ध में कोई गवेषणा की जाती तो शायद इस प्रकार के कर नहीं लगाये जाते । जिस प्रकार के कर लगाये गये हैं उनका छोटे उपक्रमों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

उदाहरणार्थ तांबे तथा तांबे के एलाय में जो कर लगाया गया है उससे तांबे के बरतन बनाने वाले छोटे छोटे कारखानों पर अवांछनीय प्रभाव होगा इससे उनके वाणिज्य को भी बहुत धक्का लगेगा ।

इसी प्रकार रेडियो और बेतार के तार यंत्रों के निर्माताओं पर जो उत्पादन शुल्क लगाया गया है उससे विशेषतः छोटे छोटे निर्माताओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि नये नियमों के अधीन उन्हें इतने औपचारिक कार्य करने होंगे कि उनके लिये अपना कार्य जारी रखना बहुत कठिन हो जायेगा । बजट पर सामान्य चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने यह कहा था कि यदि कोई उपक्रम बिना किसी शक्ति की सहायता या बिना किसी कर्मचारी की सहायता से यह कार्य करता है तो उसके लिये छूट दी जायेगी । इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । तथापि अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या कार्यवाही की जायेगी ।

मंत्रालय के आन्तरिक वित्त विभाग को कई काम करने होते हैं उनका एक कार्य यह भी है कि पूंजी निगम पर नियंत्रण रखा जाय । समवाय विधि प्रशासन विभाग को इसके नियंत्रण से हटा दिया गया है तथापि यह समझ में नहीं आया कि ऐसा किस कारण से किया गया है । इस मंत्रालय के विकास विभाग तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को एक ही मंत्री के अधीन रहना चाहिये ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

देश में पूंजी का केन्द्रीकरण इस सीमा तक बढ़ गया है कि प्रत्येक बड़ी फर्म के पास अपना बैंक है । इसका यह फल होता है कि आर्थिक शक्ति कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो जाती है । इसका यह फल हुआ कि ऋण पर नियंत्रण करना कठिन हो गया है । भारत रक्षित बैंक द्वारा दिये गये आंकड़ों से सिद्ध होता है कि भारत के अनुसूचित बैंकों द्वारा व्यापार के प्रयोजन के लिये जो राशि पेशगी दी गयी वह ३७६.६ करोड़ है । वस्तुतः यह राशि उनकी आवश्यकता से अधिक है । इसका तात्पर्य यह है कि यह राशि अवांछनीय प्रकार की सट्टेबाजी के लिये दी जाती रही है । अतः भारत रक्षित बैंक को चाहिये कि वह इनके ऊपर नियंत्रण रखे अन्यथा इस प्रकार आर्थिक शक्ति के कुछ ही हाथों में केन्द्रित होने का यह परिणाम होगा कि देश के आर्थिक क्षेत्र में तबाही आ जायेगी ।

श्री चांडक (छिंदवाड़ा) : माननीय स्पीकर महोदय, सब से पहले तो मैं अपने अर्थ मंत्री जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो इस साल बजट हमारे सामने रखा है उसमें बजट प्रोसीज्योर और एकाउंट को बहुत सिम्पलीफाई करके रखा है । पहले बजट को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता था लेकिन इस बार जो सुधार किया गया है उससे वह आसानी से समझ में आ जाता है । यद्यपि उतना सुधार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था लेकिन फिर भी बहुत सुधार हुआ है और समझने में आसानी हो गयी है । इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और वह इसके लिए सब के बधाई के पात्र हैं ।

आज दो पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने के बाद जब हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर रहे हैं तो यह बजट हमारे सामने आया है । दो साल पहले ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी थी कि हम सोचते थे कि हम अपनी द्वितीय योजना के लक्ष्यों को किस प्रकार पूरा करेंगे ।

[श्री चांडक]

इसके लिए साधन जुटाने में हमारे अर्थ मंत्री जी ने बड़ा परिश्रम किया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के मार्ग में जो कठिनाई थी उसको दूर कर दिया और आज हम यदि इन दो पंचवर्षीय योजनाओं का गणित निकालें तो हम देखते हैं कि उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में सारे देश में उन्नति हुई है। सीमेंट, लोहा, शकर आदि हर चीज का उत्पादन बढ़ा है और इसी तरह से खेती के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

अभी कुछ समय पहले इसी हाउस में फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की डिमांड चल रही थी। उस समय अन्न की वर्तमान अवस्था पर संतोष प्रकट किया गया। इसके पहले अन्न की समस्या वित्त मंत्रालय के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई थी और बार बार अन्न की कमी की बात सुनायी पड़ती थी जिससे मालूम होता था कि लोग भूखों मरने वाले हैं और अन्न की बहुत कमी है। लेकिन हमारे फूड मिनिस्टर ने बताया है कि अब अन्न की स्थिति संभल गयी है कुछ तो उस अन्न के कारण जो बाहर से पी० एल० ४८० के अधीन मंगाया गया है, कुछ निसर्ग ने हमारी मदद की है और कुछ हमारी योजनाओं का फल है कि इस साल फसल अच्छी हुई है। इसलिए अन्न की स्थिति देश में अच्छी है और जो बाहर से अन्न आया है उससे हमने बफर स्टाक बना लिया है। तो आज अन्न के मामले में स्टेबिल स्थिति दिखायी देती है और इस कारण जो अर्थ मंत्री जी को एक बड़ा सिर दर्द था वह कम हुआ है और इसके लिए फूड मंत्री और अर्थ मंत्री दोनों बधाई के पात्र हैं।

लेकिन इस सम्बन्ध में कल और आज बहुत से मित्रों ने चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने यह चिन्ता व्यक्त की है कि आज जो हम को सेल्फ सफीशेंसी या स्कारसिटी की कमी दिखायी देती है इसका यह परिणाम न हो कि हम अपने देश का उत्पादन बढ़ाने में शिथिल हो जायें और निश्चिन्त हो जायें और हमारे प्रयत्नों में ढिलायी आ जाये। इस बारे में बहुत से मित्रों ने वार्निंग दी है और मैं भी यही कहूंगा कि अगर हमारा अन्न का उत्पादन अधिक से अधिक नहीं बढ़ा तो हम यह नहीं कह सकेंगे कि हमारी तृतीय योजना सफल हुई।

खेती का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से प्रयत्न जरूर हो रहे हैं। मैं ने गत वर्ष अपनी बजट स्पीच में कहा था कि हम को छोटी योजनाओं की ओर ध्यान देना चाहिए और वही मैं इस वर्ष भी कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि आपने बड़ी बड़ी योजनाएं बनायी हैं और कृषि के क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। लेकिन मेरा खयाल है कि चाहे सिंचाई की दृष्टि से लीजिये, चाहे पावर की दृष्टि से लीजिये, चाहे क्रेडिट की दृष्टि से लीजिये, पहली योजना में बहुत अधिक ध्यान कृषि की ओर नहीं दिया गया। दूसरी योजना में इस ओर ध्यान दिया गया। यह बात सही है आपने बड़ी बड़ी योजनायें बनायी हैं लेकिन आपको अन्त में इस बात को मानना पड़ा कि छोटी योजनाओं से जल्दी फायदा मिल सकता है और उस फायदे को लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सकता है। खेती का उत्पादन तब तक नहीं बढ़ सकता है जब तक कि पानी न हो, अच्छा बीज न हो, भरपूर खाद न हो और बिजली न हो। यह सब चीजें एक साथ आवश्यक हैं और यह नहीं होंगी तो खेती का उत्पादन जिस परिमाण में हम चाहते हैं वह नहीं हो पायेगा। आज हमारे अन्न मंत्री जी ने बहुत कुछ उसका वर्णन किया और दूसरे मुल्कों के अंक वगैरह उन्होंने पेश किये। यह बात सही है कि इस मुल्क में खाद्य का उत्पादन बढ़ सकता है, पर एकड़ पैदावार अधिक की जा सकती है बशर्तेकि किसानों को वह तमाम आवश्यक साधन जुटाने का आप प्रयत्न करें। अब इससे तो इंकार नहीं किया जा सकता कि उनको आवश्यक साधन जुटाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन जितना ध्यान देना चाहिए और जिस परिमाण में देना चाहिए वह नहीं किया जा रहा है।

दो रोज पहले यहां पर कम्युनिटी डेवलपमेंट और नेशनल एक्सटेंशन स्कीम्स की चर्चा चल रही थी और उनके सम्बन्ध में बहुत लोगों ने सरकार को बधाई भी दी । काम चल रहा है यह बात सही है लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है काम जितना और जिस परिमाण में होना चाहिए था वह नहीं हुआ है । यह बात सच है कि सोशल वेलफेयर की तौर पर कुछ सड़कें बनी हैं और कुछ वेलफेयर का काम हुआ है । लेकिन खेती के उत्पादन की ओर जो आपने ध्यान रखा था कि हम इस योजना के जरिये रूरल इंडिया का अर्थात् देहातों का नक्शा बदल देंगे, उसका चित्र बदल देंगे और उनका दिमाग प्लान मांइंडेड बना देंगे, उस दिशा में हमें जो सफलता मिलनी चाहिए थी वह कामयाबी नहीं मिल सकी है । हम उस दिशा में जो करना चाहते थे वह नहीं कर सके हैं ।

इस योजना के जरिये खाद्य उत्पादन की ओर ध्यान दिया गया है वैसे देखा जाय तो वास्तव में उसमें डुप्लीकेटिंग काफी हुई है । यह जो छोटे छोटे काम हुए हैं मेरे खयाल में इतना काम तो यह रेवेन्यु आफिसर्स भी कर सकते थे । इसके लिए एक बहुत बड़े संगठन की आवश्यकत थी ऐसा मैं नहीं मानता हूं । लेकिन इसके लिए एक अलग से व्यापक संगठन कायम किया गया लेकिन परिणाम वही रहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया । इसी तरह से उसका असर हुआ । एग्रीकलचर मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्रियों ने मिल कर कुछ काम किया है और कुछ हो रहा है । मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि इस योजना को हमें सफल बनाना है ।

खाद्य मंत्री ने आज अपने जवाबी भाषण में ठीक ही कहा है कि यह एग्रीकलचर सब कल्चर्स की मां है और जननी है और यह एग्रीकलचर सब साइंसों की साइंस है । जब ऐसी चीज है तो खेती और कृषक की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । आप देहातों में चल कर देखिए कि वहां पर क्या हालत है ? यह ठीक है कि हमारी पैदावार में कुछ प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इससे क्या किसानों में खुशहाली आई है? अगर आप इसके बारे में सही जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां से चल कर देहातों में देखिए मैं तो देहातों में घूमता हूं और काम करता हूं और मैं पाता हूं कि आज भी सैकड़ों मकान पहले की हालत में पड़े हुए हैं, कुछ शायद सौ में एक आध मकान अच्छे बन गय हैं बाकी सब के सब वैसे ही पुरानी हालत में पड़े हुए हैं । आज भी गांवों में हमारे किसान लोग उसी तरह खाते पीते और रहते हैं । हां थोड़ा सा उनकी रुचि में जरूर परिवर्त्तन हुआ है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में उनमें कोई बड़ी तबदीली आई है । हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमने देहातों का नक्शा बदल दिया है और हमने कृषक और मजदूर लोग जो कि देहातों में रहते हैं उनकी हालत को बदल दिया है । यह चीज अच्छी तरह समझ ली जानी चाहिए कि हमारी जनसंख्या का ७५ या ७८ प्रतिशत जोकि देहातों में बसता है और जिनका कि मुख्य उद्यम कृषि है, जब तक उनकी हालत में सुधार नहीं होगा, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक हमारा जो इस देश में सोशलिस्टिक पैट्रन आफ सोसाइटी कायम करने का ध्येय है, वह पूरा नहीं होगा । हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से उनकी आमदनी बढ़े और कृषि में तरक्की के लिए आपको छोटे छोटे जो इर्रीगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए । आपको पावर देहातों में पहुंचानी चाहिए ।

आपको उनके वास्ते चीप क्रेडिट की भी व्यवस्था करनी चाहिए । किस तरीके से उनको आवश्यक सामग्री खाद वगैरह सस्ते मूल्य पर मिले इसकी ओर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है । खाद के बारे में पिछले वर्ष की जो आपकी फीगर्स हैं उनसे यह अनुमान लगता है कि हमारी खाद और फर्टिलाइजर्स की जितनी डिमांड है उसका ४५ परसेंट हम शायद पूरा कर सकेंगे । अब हम कहते हैं कि फर्टिलाइजर्स के बगैर कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ सकता है और हमारे यहां पर फर्टिलाइजर्स की कमी है । अब अगर आपको अपना उत्पादन बढ़ाना है तो हर एक प्रदेश में आपको

[श्री चांडक]

एक एक फर्टिलाइजर फैक्टरी कायम करनी चाहिए क्योंकि जब तक खाद और पानी का उत्तम प्रबन्ध न किया जायगा हमारी खाद्यान्न की पैदावार बढ़ नहीं सकती है। अब आज के हालात में किसान फर्टिलाइजर्स ले भी नहीं सकता और खरीद भी नहीं सकता। अब मैं इस सम्बन्ध में आपको बतलाना चाहता हूं कि सल्फेट औफ एमोनिया जो दूसरे देशों से २३५ रुपया पर टन आती है। वह किसान को ३८० रुपये पर टन के हिसाब से दी जाती है। यूरिया जो दूसरे देशों से ५४० रुपये पर टन आती है उसको हम किसानों को ७४० रुपये पर टन के हिसाब से देते हैं। एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जो कि दूसरे देशों से २७५ रुपये पर टन आती है उसको हम किसानों को ४५० रुपये पर टन के हिसाब से देते हैं। कैलशियम एमोनियम नाइट्रेट जो दूसरे देशों से २२५ रुपये टन आती है उसको हम किसानों को ३६० रुपय पर टन देते हैं। इन फीगर्स से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डिस्पैरिटी है और कितनी मंहगी खाद हम अपने किसानों को देते हैं। क्या हम सिंदरी फर्टिलाइजर्स में जो खाद पैदा करते हैं उसका भाव घटा नहीं सकते हैं? मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करें।

मैंने अभी कहा कि चीप क्रेडिट की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं देखता हूं कि यह मैटीरियल क्रेडिट ऐंड लौंग टर्म औपरेशन फंड जो कायम हुआ है उसमें रिजर्व बैंक अपने मुनाफे में से केवल १० करोड़ रुपया इस वर्ष देने वाला है और उस फंड में इस तरह ४० करोड़ रुपया हो जायगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि एग्रीकलचर जो कि सब से बड़ी इंडस्ट्री है और जब कि आधी से ज्यादा नेशनल इनकम खेती से मिलती है तो इस छोटे से फंड से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वह अपने मकसद में कामयाब होगा। अगर यह ६०० या ७०० करोड़ रुपया जो कि इस पी० एल० ४८० से मिलने वाला है उसको आप इस फंड में क्यों नहीं देते? आप इस फंड के दायरे को व्यापक बनायें और इसे ज्यादा मजबूत और साउंड बनायें ताकि किसानों को वास्तव में चीप क्रेडिट की सुविधा मिल सके। अब मैं आपको बतलाऊं कि यह आपका रिजर्व बैंक वैसे तो एक परसेंट या डेढ़ परसेंट पर रुपया देता है लेकिन किसानों को १० या १२ परसेंट पर रुपया मिलता है। किसानों को रुपया देने के बारे में यह इस तरह का डिस्क्रिमनेशन क्यों किया जाता है? आपको इस चीज को और अन्तर को मिटना चाहिए। यह बड़ी जरूरी बात है कि किसानों को चीप क्रेडिट मिले और उनको समय पर मिले और जरूरत के अनुसार मिले। इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

एक साहब बोल रहे थे। उन्होंने बतलाया कि तकावी की दरख्वास्तें दी जाती हैं और उसके ६ या ८ महीने के बाद कहीं जाकर उनको रुपया मिलता है। तकावी उनको मिलती है लेकिन जिस परिमाण में और जिस काम के लिए उनको तकावी चाहिए वह नहीं मिलती है और मिलती भी है तो समय पर नहीं मिलती है और ६, ६ और ८, ८ महीने में मिलती है। जब कि जरूरत उसको फौरन होती है। आपको किसानों को चीप क्रेडिट दिलवाने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

आज किसानों की क्या हालत है? ओपन मार्केट में कोई उसकी इज्जत नहीं है कोई उसकी पूछ नहीं है। सिवाये सरकारी तकावियों के बाजार में उस को पांच पैसे भी नहीं मिल सकते और इसलिये नहीं मिल सकते कि वह कई प्रकार से जकड़ दिया गया है और वह किसी प्रकार की स्वतंत्रता अनुभव नहीं करता है। उसकी कठिनाइयों को दूर करने का सब से बड़ा साधन यह है कि उस को चीप क्रेडिट उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उस को सस्ते ब्याज की दर से रुपया देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

एक छोटी सी बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम छोटे छोटे देहातों में और शहरों में बाजारों में जाते हैं, तो व्यापारियों और छोटे दुकानदारों की एक

शिकायत सुनने को मिलती है। मैं ने पिछले बजट के अवसर पर कहा था और उस से पहले मैं ने इस सम्बन्ध में एक नोट भी दिया था कि सेल्ज़ टैक्स के सम्बन्ध में लोग कहत हैं कि आप सेल्ज़ टैक्स लीजिये, लेकिन हैरासमेंट न करिये। उन का कहना है कि सब से बड़ी हैरासमेंट यह है कि एक प्रान्त में एक प्रकार का सेल्ज़ टैक्स है और दूसरे प्रान्त में दूसरे प्रकार का सेल्ज़ टैक्स ह, एक चीज़ पर एक प्रदेश में दो पैसा सेल्ज़ टैक्स है और उसी चीज़ पर दूसरे प्रदेश में चार पैसा है। इस के अतिरिक्त बार्डर एरियाज़ पर तो यह सवाल पैदा होता है कि एक चीज़ पर एक प्रदेश में सेल्ज़ टैक्स है और दूसरे प्रदेश में नहीं है। इस प्रकार के कई मसले हैं। जिस प्रकार शक्कर, चीनी, कपड़ा इत्यादि वस्तुओं पर, जो कि एसेंश्यल समझी जाती हैं, एक्साइज़ ड्यूटी लगा कर सेल्ज़ टैक्स कम कर दिया गया है, उसी प्रकार जीवन की जो अन्य आवश्यक वस्तुयें हैं, उन पर एक्साइज़ ड्यूटी लगा कर अगर सेल्ज़ टैक्स को हटा दिया जाय, तो छोटे छोटे काम करने वालों को भी सुभीता हो सकता है। कम से कम सेल्ज़ टैक्स यूनिफ़ार्म हो और सेंटर की तरफ़ से इस प्रकार का कानून हो, तो लोगों की दिक्कतें दूर हो सकती हैं।

†श्री वासप्पा (तिपतुर) : अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १६५० रुपये के अतिरिक्त कर का वितरण हमारी अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्रों में किस प्रकार किया जायेगा। एक बात बड़ी स्पष्ट है वह यह कि यदि करापवंचन को रोका जा सके और सरकारी उपक्रमों की व्यवस्था में सुधार किया जा सके, तो हमारे राजस्व में असाधारण वृद्धि हो सकती है।

सही मूल्य नीति का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इस दिशा में आत्मतु ट नहीं होना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि मूल्य स्थिर हो गये हैं। विभिन्न वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के मामले में उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति की बड़ी आलोचना होती रही है और सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्या निगम के धन के विनियोजन को सरकार को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। निगम को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या अपना काम बढ़ाने के लिए उसे दरें कम नहीं कर देनी चाहिएं। निगम को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य जीवन बीमा योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या अधिक कार्य के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने हेतु जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय मैनेजरों को काम करने की अधिक छट देना उचित न होगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कर लगाते समय कराधान के प्रभावों पर सावधानी-पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। हथकरघा उद्योग को और सहायता दी जानी चाहिए। मिट्टी के तेल की बढ़िया किस्म पर जो शुल्क लगाया गया है वह भी कम किया जाना चाहिए। काफी बोर्ड से काफी पर शुल्क लगान से पूर्व परामर्श कर लेना चाहिए। ऐसा न हो कि इस बात के कारण काफी के उत्पादन में कमी आ जाये।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर वित्त मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। देश के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से कुछ न कुछ सम्बन्ध है। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है उसकी काफी चर्चा हुई है। जो प्रगति हुई है

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सिंहासन सिंह]

वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। कम से कम रेल गाड़ियों में तो काफी दिखाई पड़ रही है। उनमें भीड़ बहुत होती है। बिजली भी कहीं कहीं चमकती दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसा दृष्टिकोण हमारा देहातों की तरफ है, उसको देख कर कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होती है। अभी जो जनगणना हुई है उसको देखने से मालूम हुआ है कि शहरों की आबादी अधिक बढ़ी है। आज देहातों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसें, देहातों के जीवन को पवित्र करें। लेकिन आज १३ बरस स्वराज्य के बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ न जा करके शहरों की तरफ लोगों की आमद है। इस प्रश्न पर हम को कुछ थोड़ा बहुत विचार करना होगा। अगर देहातों में लोगों को सुख-सुविधायें मिलतीं और वे सब मिलतीं जो शहरों में प्राप्त हैं तो आज लोग देहातों से शहरों की तरफ न दौड़ते बल्कि शहरों से देहातों की ओर जाते।

देहात के जीवन में दो प्रकार की चीजें थीं। एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपये का लेन देन करते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई और लोगों को कुछ राहत मिली। रुपये के लेन देन में पहले जो २५ प्रतिशत ब्याज लिया जाता था उसमें भी कुछ कमी हुई है। कहीं कहीं तो अब भी वह लिया जाता है लेकिन आम तौर पर उसमें कमी हुई है। सरकार चूंकि प्रापर्टी को देख करके कर्जा दे देती है, इस वास्ते उस ब्याज की नौबत नौ दस परसेंट पर आ गई है। लेकिन जब हम देहातों और शहरों की तुलना करते हैं तो उन दोनों के स्तर में महान् अन्तर पाते हैं। अभी कहा गया है कि देश की आमदनी बढ़ी है। अगर यह सही है तो वह कहां गई? इसका पता लगाने के लिये सरकार ने एक कमेटी बिठाई है जो इसकी जांच करेगी और पता लगायेगी कि वह आमदनी कहां गई। अभी एक माननीय सदस्य श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने बताया कि उन्होंने प्लानिंग मिनिस्टर से सवाल किया था कि पहली और दूसरी योजना के कार्यान्वित हो जाने के बाद किस भाग को अधिक लाभ पहुंचा है और किस भाग को कम पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसके उत्तर में बताया गया कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है और इसको देखा जा रहा है। जो उन्होंने कहा कि दूसरी योजना खत्म हो चुकी है और तीसरी शुरू हो चुकी है अभी तक सरकार इस बात से अवगत नहीं है कि देश के किस भाग को कितना मिला और किस को नहीं मिला, तो आप आगे कैसे चल सकते हैं, कैसे प्लानिंग कर सकते हैं वह सही था। तीसरी योजना में जो भाग पिछड़े हुए रह गये हैं, उनमें क्या उन्नति के कार्य करने आप जा रहे हैं और जो आगे बढ़ गये हैं, उन के लिये क्या करने जा रहे हैं, क्या देने जा रहे हैं, इसका आपको स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये। ऐसा मालूम होता है कि जहां जो कुछ भी हमारे दिमाग में आ जाता है, उसके अनुसार ही हम कार्य करना शुरू कर देते हैं, कोई नियोजित योजना हमारे सामने नहीं है।

तो मैं कह रहा था कि देहातों और शहरों के बीच आज एक प्रकार का संघर्ष है। इस संघर्ष की ओर सरकार को ध्यान देना होगा। आज इस बात का संघर्ष है कि धन किधर है। देहातों के धन की तो आपने सीमा बांध दी, जमीन की सीमा बांध दी, खेती की सीमा बांध दी, लेकिन शहरों के धन की कोई सीमा नहीं है। पूंजीपतियों के धन की कोई सीमा नहीं है। इस सदन के सामने किसी किसी भाई का प्रस्ताव आने वाला है कि आमदनी में एक और दस से अधिक फर्क नहीं होना चाहिये लेकिन हम देखते हैं कि सरविसेज़ में आज भी एक और ५० का फर्क है। लेकिन उन में तो करोड़ों गुने का फर्क है। एक ऐसे हैं जो राह के भिखारी हैं और एक व्यक्ति ऐसा है जो कि इतना धनी है कि उसके धन का वारापार नहीं है। अभी कहा गया कि जो धनी

हैं उनके बैंक हैं और उनके पास रोजगार भी है। आम जनता जो रुपया जमा करती है उसका लाभ वह उठाते हैं। तो उनके धन की कोई सीमा नहीं है। शायद अभी यह विचार हो रहा हो कि जिस तरह से देहातों में धन की सीमा बांधी है वैसी शहरों में भी बांधी जाये लेकिन अभी उस दिशा में कुछ किया नहीं गया है।

जहां तक टैक्स का सवाल है मिनिस्टर साहब ने कहा था कि टैक्स ब्राडबेस्ड होना चाहिये। चूंकि यह जनता की योजना है इसलिये इसके लिये पैसा जुटाने में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेना चाहिये और इसलिये टैक्स ब्राडबेस्ड होना चाहिये। लेकिन आपने यह नहीं देखा कि जो ऊपर का तबका है और जो अधिक फायदा उठाता है वह क्या देता है। उसके टैक्स में आपने कोई बढ़ोतरी नहीं की। न आपने एण्टरटेनमेंट टैक्स में बढ़ोतरी की, न एक्सपेंडीचर टैक्स में बढ़ोतरी की, न वैल्थ टैक्स में बढ़ोतरी की, न एस्टेट ड्यूटी में या डैथ ड्यूटी में बढ़ोतरी की। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके टैक्सों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन उनके मुकाबले में छोटे लोगों के टैक्सों में बहुत बढ़ोतरी हो गयी है।

मिट्टी के तेल के बारे में कहा गया कि हमने लाल तेल पर टैक्स कम कर दिया है। आपको मालूम होगा कि लाल तेल ढिबरियों में जलाया जाता है और सफेद तेल लालटैन में जलाया जाता है। देहात के लोग लालटेन इसलिये इस्तेमाल करते हैं कि ढिबरी से उनके छप्पर में आग लगने का अन्देशा रहता है। लेकिन जब आपने सफेद तेल पर टैक्स लगा दिया है तो उनको अब लालटैन की जगह फिर से ढिबरी इस्तेमाल करनी होगी। तो उनको पीछे आना पड़ेगा। इसके लिये हम इस बजट को प्रगति का बजट कैसे कह सकते हैं। हां अगर लालटैन से उनको बिजली मिलती तब तो हम इसको प्रगति का बजट कह सकते थे, लेकिन यहां तो उलटा हो रहा है।

आपने ये टैक्स केवल ७५ करोड़ रुपया प्राप्त करने के लिये लगाये हैं। इतना रुपया तो आप किसी भी और रास्ते से हासिल कर सकते थे। यह तो कुछ अधिक नहीं है। इतना रुपया तो आप अपने खर्च में कमी करके बचा सकते थे। आज जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं और एअर कंडीशन्ड भवन सरकार बनवा रही है उनमें से कुछ कमी करके इतना रुपया बचाया जा सकता था। दिल्ली में एक नाट्यशाला बन रही है, उसमें करोड़ों रुपया लग रहा है। उसकी अभी उतनी जरूरत नहीं थी। तो आप कई तरह से इतने रुपये की बचत कर सकते हैं लेकिन आपने की नहीं। आप देखेंगे कि हर साल जो योजना के लिये रुपया बजट में रखा जाता है वह पूरा खर्च नहीं हो पाता। कई मिनिस्ट्रीज के आंकड़े बतलाते हैं कि उनके लिये जो रुपया रखा गया था उसको वे खर्च नहीं कर पायीं। तो उसमें भी बचत हो सकती थी। पिछले बजट में भी कुछ बचत हुई है। तो हम इतना रुपया और तरह से प्राप्त कर सकते थे और इस टैक्स को लगाने की आवश्यकता न होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

दूसरे आपने डीजल पर टैक्स लगाया है। पिछले साल तो आपने यह कह कर सुपीरियर डीजल पर टैक्स लगाया कि डीजल और पैट्रोल का मुकाबला हो रहा है, लेकिन आज तो आपने हर तरह के डीजल तेल पर टैक्स लगा दिया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि केवल मोटर वाले ही डीजल को इस्तैमाल नहीं करते हैं, यह आज खेती के कामों में भी आता है। जहां बिजली नहीं हैं वहां लोग अपनी मशीनों को डीजल से चलाते हैं। इस टैक्स के कारण उनका खर्चा ड्योढ़ा हो गया है। इसके अतिरिक्त काश्तकारों को जो पानी दिया जाता है उसकी दर भी बढ़ा दी गयी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने दर बढ़ा दी है, पहले एक रुपये में १६,००० गैलन पानी मिलता था लेकिन अब पांच हजार गैलन घटा दिया है और अब रुपये में ११,००० गैलन पानी ही दिया जाता है फिर भी बड़े गर्व के साथ हमारे फूड मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हमारी जो

[श्री सिंहासन सिंह]

१२,००० करोड़ की आमदनी है उसमें से आधी यानी ६००० करोड़ की आमदनी हमें खेती के उद्योग से होती है, लेकिन मैं पूछता हूं कि सरकार इस उद्योग के लिये क्या करती है। उसने देहात के लिये क्या किया है। सरकार ने तो उनके जीवन को और महंगा कर दिया है।

मैंने एक बार सदन में सूद की दर के बारे में सवाल किया था जो कि किसानों से ली जाती है। आपने कहा था कि सूद की दर बहुत कम है। आज जो खेती का उद्योग आपको ६००० करोड़ की आमदनी दे रहा है उसको किस दर पर रुपया कर्जा मिलता है इसका भी आपको अनुमान लगाना चाहिए। कोआपरेटिव सोसाइटी भले ही १ या डेढ़ परसेंट पर देती हो लेकिन जब वह किसान के हाथ में आता है तो सात से नौ परसेंट तक हो जाता है। जो उद्योग आपको ६००० करोड़ रुपया देता है उसको सरकार की ओर से जो कर्जा दिया जाता है उस पर सात से नौ परसेंट तक ब्याज लिया जाता है, साहूकार तो अभी भी २५ और ३० परसेंट ब्याज लेते हैं। तो जो सब से बड़ी इंडस्ट्री है उसको आप इतनी बड़ी दर पर रुपया देते हैं। यह इंडस्ट्री देश को अन्न देती है, चीनी देती है, कपास देती है, इसको इतनी ऊंची दर पर रुपया दिया जाता है। लेकिन जो इंडस्ट्री कल पुर्जे बनाती है, जो आपको कपड़ा देती है उसको आप तीन परसेंट से पांच परसेंट पर रुपया उधार देते हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि अगर वह खेती करने वालों को, देहात में रहने वालों को, और कोई अधिक सुविधा न दे सकें तो कम से कम इतना तो अवश्य करें कि उनको दिये जाने वाले रुपये पर ब्याज की दर अधिक न हो। आप जो रुपया उद्योगों को देते हैं उसमें दो तरीके क्यों हों, आपको तो सब को बराबर दर पर रुपया देना चाहिए। अभी देहात वालों को यह ख्याल है कि उनको अधिक ब्याज पर रुपया दिया जाता है। वह कहते हैं कि हम भी तो सरकार को धन देते हैं। फिर कपड़ा बनाने वालों को और मशीन बनाने वालों को कम सूद पर क्यों रुपया दिया जाता है। सब के लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो रुपया सरकार की तरफ से जनता को दिया जाये, चाहे वह किसी व्यवसाय को दिया जाये, उसकी एक दर होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जनता में आपकी योजनाओं के लिए उत्साह नहीं पैदा हो सकता। आप कहते हैं कि यह योजना जनता की है और जनता को सहयोग करना चाहिए। जनता सहयोग करना चाहती है लेकिन जब देखती है कि देहात की जनता के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता तो जनता घबरा उठती है।

आप देहातों में भी छोटे छोटे रोजगार ले जाना चाहते हैं। देहातों में उद्योग लगाने के लिए लोगों को कर्जा चाहिए, लेकिन कर्जा लेने में देहात वालों को बड़ी दिक्कत आती है। उनको अपनी जमानत की तसदीक कराने में महीनों लग जाते हैं और तसदीक कराने में उनको जो रुपया मिलना होता है उसका कम से कम दस प्रतिशत खर्च हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग गलत तसदीक करा के रुपया ले लेते हैं। और उद्योग में नहीं लगाते और जो सही मानों में उद्योग में रुपया लगाना चाहता है उसको रुपया नहीं मिल पाता। आज हमारे देश में बहुत से आदमी हैं जिनके पास कोई घर नहीं है, जमीन नहीं है जिसके ऊपर वे कर्ज ले सकें। उनके लिए क्या व्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बारे में व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे। सरकार की ओर से कहा जाता है कि कोआपरेटिव बनाओ और उसके लिए सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन कोआपरेटिव मूवमेंट का यह दुर्भाग्य है कि आज लोगों में यह प्रवृत्ति नहीं है, जिससे कोआपरेशन को प्रोत्साहन मिले और उसकी उन्नति हो। लोगों में इसके अनुकूल प्रवृत्ति तब पैदा होगी, जब मौजूदा को-आपरेटिव कानून में संशोधन किया जायेगा। यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज तक किसी भी राज्य ने १९१२ के कानून में संशोधन नहीं किया है वह कानून तो इसलिये बनाया गया था कि को-आपरेटिव

की प्रगति न हो और आज उसी कानून के अधीन सरकार को-आपरेटिव बनाना चाहती है और उसको प्रोत्साहन देना चाहती है। इस कानून के मुताबिक जब कोई को-आपरेटिव बनती है, तो नतीजा यह होता है कि वह अफसरों की सम्पत्ति बन जाती है और उस पर अफसर ही हावी हो जाते हैं। अभी माननीय सदस्य, श्री सुमत प्रसाद जैन, ने बताया कि उनके यहां जो खंडसारी को-आपरेटिव फैक्ट्री है, जिस पर सरकारी अधिकारियों का कंट्रोल है, वह तो घाटे पर चलती है और उसके मुकाबले में प्राइवेट फैक्ट्री को तीस, चालीस हजार रुपये का मुनाफा होता है। कोई वजह नहीं है कि को-आपरेटिव फैक्ट्री को घाटा हो। मैं समझता हूं कि इसका कारण यह है कि को-आपरेटिव फैक्ट्रियों पर सरकारी अधिकारियों का बहुत अधिक कंट्रोल होता है और उनमें जिन लोगों का पैसा लगता है, वे सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते। आवश्यकता इस बात की है कि जिस प्रकार कोई फर्म बनती है और कोई भी आदमी चार आने देकर फर्म बना लेते हैं, उसी प्रकार को-आपरेटिव बनाने का अधिकार भी होना चाहिए। लेकिन पुराने नियमों के अधीन ऐसा नहीं हो सकता है। पहले तो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और उसमें काफी दिक्कत पेश आती है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो तुरन्त सुपरवाइजर भी नियुक्त हो जाते हैं। काम हो न हो, लेकिन पूरी संस्था पर उनका कंट्रोल हो जाता है और इस प्रकार संस्था की प्रगति में बड़ी रुकावट आती है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

अब मैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडलूम इंडस्ट्री की तरफ कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस विषय में कानूनगो रिपोर्ट निकली थी। यह तथ्य है कि जितना कपड़ा पावरलूम पर एक आदमी तैयार करता है, उतना कपड़ा हैंडलूम पर बीस आदमी तैयार करते हैं। अब हमको इस बात का फैसला करना है कि वह काम हम एक आदमी के द्वारा करवायें, या बीस आदमियों के द्वारा करवा कर उनकी रोजी की व्यवस्था करें। हमें यह देखना चाहिए कि पावरलूम्ज़ कितने आदमियों को काम दे रहे हैं और हैंडलूम इंडस्ट्री कितने आदमियों को काम दे रही है और इसको दृष्टि में रख कर हर प्रकार से हैंडलूम को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह ठीक है कि उसके पास पुरानी मशीनें हैं, नयी नहीं हैं, लेकिन उनसे भी हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। आज श्री अशोक मेहता ने दलील दी कि यूरोप के नये नये आविष्कारों और नवीनतम यंत्रों का मुकाबला न किया जाये, बल्कि उनके पुराने यंत्रों से ही हमको काफी सहायता मिल सकती है। माननीय मंत्री की कांस्टिटयूएन्सी, सूरत, में करघा उद्योग ने मिलों के द्वारा बेकार करार दे कर फेंके गये पावरलूम्ज से बहुत फायदा उठाया और वहां पर १८ हजार पावरलूसम काम कर रहे हैं।

सरकार हैंडलूम को प्रोत्साहन देना चाहती है और उसको सुविधायें दे रही है, लेकिन फिर भी उसका पर्याप्त विकास नहीं हो रहा है। इसमें दोष किसको दिया जाये? माननीय मंत्री को तो दोष नहीं दिया जा सकता है। अपने आचरण को ही दोष देना है। डेढ़ आने की जो छूट मिली हुई है, वह स्वयं काम करने वाले जुलाहे तक नहीं पहुंच पाती है। कोई दूसरा ही उसको ले लेता है। उन लोगों को कुछ राहत दी जानी चाहिए। सरकार जितना अधिक से अधिक रुपया इस उद्योग को दे सके और जितनी भी सुविधाएं दे सके, उतनी ही उसकी प्रगति होगी। मिल वाले हल्ला करते हैं कि हैंडलूम न बढ़े। वे शिकायत करते हैं कि हैंडलूम को यह सहायता दी जा रही है, वह सुविधा दी जा रही है, उसको सबसिड़ी दी जा रही है। लेकिन वे अपना ख्याल नहीं करते कि करोड़ों रुपये का टैरिफ और टैक्स लगा कर मिलें कायम हुई और अब भी वे चाहते हैं कि उनको बढ़ाया जाये। हैंडलूम का जो मेमोरेंडम आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मिल

[श्री सिंहासन सिंह]

वालों को ज्यादा कपड़ा न पैदा करने दिया जाये, बल्कि हमको ज्यादा कपड़ा पैदा करने का मौका दिया जाये और मिल वाले कर भी नहीं सकते हैं और अगर हमको अवसर दिया जायेगा, तो अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा ।

इस सम्बन्ध में हमको यह स्मरण रखना चाहिए कि देश की आबादी ३६ करोड़ से ४३ करोड़ कुछ लाख तक पहुंच गई है। उस आबादी को काम देने के लिये हाथ-करघे और हाथ के औजार ही उपयुक्त हैं । । मशीनों से इस देश के रोजगार की समस्या हल नहीं हो सकती है । बापू का कहना था कि हमारे यहां दो तरह की इंडस्ट्रीज हैं—एक पैदा करने वाली और दूसरी उपभोक्ता वस्तुओं की । जो इंडस्ट्रीज पैदा करने वाली हैं, जिनसे मशीन तैयार की जाती है, उनके लिये तो बड़े-बड़े कारखाने स्थापित किये जायें, लेकिन जहां तक लोगों की रात-दिन की जरूरत की चीजों, जैसे कपड़ा, चीनी, अन्न, फल वगैरह, का प्रश्न है, उनके लिये बड़े-बड़े कारखानों की जरूरत नहीं है । उसके लिये हम छोटे स्तर पर काम कर सकते हैं, छोटे-छोटे उद्योग धंधे चला सकते हैं और उनमें अधिक से अधिक आदमियों को काम दे सकते हैं । अगर सरकार उनकी तरफ ध्यान दे, तो ज्यादा अच्छा होगा । आज हमारे देश में कितने ग्रेजुएट नौजवान बेकार हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे देश के बेकार घूमते फिरते हैं । उनमें जलन है, तपन है, लेकिन वे किसी कारण से मौन हैं । पता नहीं कि वे कब तक मौन धारण रखेंगे । आज वे बेकार हैं और दर-दर घूम रहे हैं ।

सर्विस रूल्ज में एक फार्म बनाया हुआ है जिसके आखिर में लिखा हुआ है कि किसी एम० पी० ,एम० एल० ए० या गजैटिड आफिसर से इस आशय की तस्दीक कराई जाये कि मैं अमुक व्यक्ति को इतने वर्षों से जानता हूं, और आवेदन पत्र की सभी बातें ठीक हैं । । मेरा कहना यह है कि यह फार्म शायद पुराने ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है, आज वह क्लाज निरर्थक है और उसको निकाल दिया जाना चाहिए । इसका परिणाम यह है कि देहात के रहने वाले इस प्रकार की तस्दीक प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उनकी दरख्वास्तें नहीं पहुंच पाती हैं । शहर वालों के लिये तो विशेष कठिनाई नहीं है । सब को ओपन कम्पीटीशन में, खुले मुकाबले में हिस्सा लेने का मौका देना चाहिए । आज स्थिति यह है कि यह तस्दीक कराने के लिये बहुत से आदमियो को मारे मारे फिरना पड़ता है । मैजिस्ट्रेट तो तस्दीक करते नहीं हैं । यह प्रिज्यूम किया जाता है कि एम० पी०ज़ और एम० एल० एज़ सब को जानते हैं और उन्हें ही सबको तस्दीक करनी पड़ती है । वे करें तो बुरा और न करें, तो बुरा । मैं समझता हूं कि कोई उस क्लाज़ को पढ़ता भी नहीं होगा । इस क्लाज़ की वजह से लोगों को झूठ बोलने पर मजबूर होना पड़ता है । अगर इस क्लाज़ को निकाल दिया जाये, तो बहुतों को राहत मिलेगी और वे माननीय मंत्री को आशीर्वाद देंगे कि हमको यह आराम मिला ।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : श्री हरिश्चन्द्र मायुर कह रहे थे कि मद्य निषेध करने में देश को ५० करोड़ रुपया खर्च करना होगा । हम आज शराब से अथवा नमक कर को पुनः चालू करके राजस्व प्राप्त करने की जो बातें करते हैं वे गलत हैं । आखिर राजस्व भी तो इसलिये ही लिया जाता है कि सरकार इसे प्राप्त कर इसका उपयोग सामूहिक सुख की वृद्धि करने की दिशा में करे । लोगों के कल्याण के लिये मद्य निषेध बड़ी आवश्यक है । इसको सफल बनाने का एक मात्र उपाय उसे देश भर में लागू करना है । यह सोचना बड़ी भारी भूल है कि पूर्ण मद्य निषेध हो जाने पर हमारा राजस्व कम हो जायेगा । हमें यह बात नहीं भूल जानी चाहिए कि शराब पीने की आदत से हमारे देशवासियों को कितनी भारी हानि हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार हमें देश में पुनः नमक कर लागू करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक मुख्य राजनीतिक कार्यक्रम रहा है। इसी प्रकार मैं इस बात पर भी जोर देना चाहती हूं कि खादी को जो सरकारी सहायता दी जा रही है वह जारी रखी जानी चाहिए। स्मरण रहे कि यह सरकारी सहायता एक खुली सरकारी सहायता है ; जब कि अन्य उद्योगों के मामले में यह सस्ती बिजली तथा अन्य सुविधाओं के रूप में है।

मेरा यह भी निवेदन है कि वित्त मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राशियां व्यपगत न होने पायें और शीघ्रता से उनका उपयोग किया जाय। साथ ही हमें यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि आयोजना की सफलता की कसौटी यह नहीं है कि उस पर कितना धन खर्च किया गया है। इसकी कसौटी यह है कि विभिन्न योजनाओं में हमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है। विभिन्न योजनाओं के लिए प्राथमिकता का निर्णय करते हुए वित्त मंत्रालय को काफी जागरूक रहना चाहिए।

एक बात और जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि हम देश से हैजे के रोग को समाप्त करने में असफल रहे हैं। इस पर हमें काफी खेद है। करों की वसूली के बारे में, मेरा निवेदन है, कि अधिक सावधानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। करापवंचन को रोकने के लिए जोरदार प्रयत्न किये जाने चाहिए। यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि जिन समाज कल्याण संस्थाओं ने पलाई सेंट्रल बैंक जैसे बैंकों में अपना धन जमा करा रखा है, उन्हें उनका पूरा धन वापिस दिलाया जा सके।

सरकार को इस बात पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि करों को एकत्रित करने के मामले में गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता हम कहां तक कर सकते हैं। वित्त मंत्री महोदय को इस बात पर काफी ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों से मैं मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का का समर्थन करती हूं।

श्री आसर (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, एक महीने पहले रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के पांच बैंकों के व्यवहार स्थगन की आज्ञा दी थी और उस आज्ञा के कारण उन बैंकों का व्यवहार स्थगन हो गया। लेकिन जब बैंकों का व्यवहार स्थगन किया है तो अन्य बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अब आप इन छोटे बैंकों के व्यवहार स्थगन की आज्ञा देते हैं तो जो छोटे से डिपाजिटर होते हैं उनको पता नहीं लगता कि उनका डिपाजिट कब मिलने वाला है और इस कारण उनको बड़ी परेशानी होती है। बैंक का व्यवहार स्थगित करने पर उन डिपाजिटर्स को यह नहीं मालूम होता है कि उनके डिपाजिट निकालने की क्या व्यवस्था की गयी है। इससे उनको बड़ी परेशानी होती है। हमारे पास बहुत से स्थानों से पत्र आए हैं कि इन बैंकों के व्यवहार के स्थगित होन के छोटे डिपाजिटर्स को बड़ी परेशानी हो रही है। तो इस बारे में इनकी व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि ये छोटे बैंक छोटे उद्योग धंदेवाला को सहायता देते हैं। बड़े बैंक छोटे उद्योगों की डिमांड पर उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि छोटे उद्योग होते हैं, छोटे उद्योगों की छोटे बक बन्द होने से कठिनाई हो जाती है, तो इन उद्योगों को सहायता देने के लिए विचार करना आवश्यक है। आज महाराष्ट्र में दो चार महीनों में ६-७ बैंक बन्द हो गए हैं और उसका परिणाम यह हुआ है कि वहां का व्यवहार चलन बन्द हो रहा है और वहां के मार्केट में बड़ी परेशानी हो रही है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

[श्री आसर]

एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब आप इन छोट बैंकों को विलीन करेंगे तो जो उनके कर्मचारी हैं उनकी क्या स्थिति होगी, उनको सरविस में लिया जाएगा या नहीं और उनकी सरविस कंटीन्यू होगी या नहीं। इसके बारे में उनको बड़ी परेशानी है। इस बारे में मैं मंत्री जी का जवाब चाहूंगा।

लक्ष्मी बैंक, न्यू सिटीजन बैंक और बैंक आफ नागपुर का व्यवहार स्थगित किया गया है। लक्ष्मी बैंक और अन्य बैंकों के डिपाजिटर्स को पता नहीं कि उनका डिपाजिट कब मिलेगा। तो उनको उनका डिपाजिट जल्द से जल्द मिल जाए इस बारे में ध्यान दिया जाए।

प्राइस पालिसी के बारे में हम टोटल फेल्योर रहे हैं जैसा कि सब लोगों ने बताया है। आपके प्लान शुरू होने के बाद से होलसेल प्राइस में २५ पर सैंट वृद्धि हो गयी है। आल इंडिया वर्किंग क्लास कंज्यूमर्स इंडेक्स जो सन् १९४९ में था उससे आज २५ परसेंट बड़ा है। इसका कारण यह है कि हमने पिछले साढ़े चार वर्षों में ४८२५ करोड़ का इम्पोर्ट किया है लेकिन उसके बदले में केवल २७२८ करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। सैकंड फाइव इयर प्लान में हमने १०४१ करोड़ रुपये का टैक्स लगाया। उसके साथ हमारा पब्लिक एक्सपैंडीचर भी काफी बढ़ा है। सन् १९५१–५२ में केन्द्र और राज्य सरकारों का टोटल एक्सपैंडीचर ९९८ करोड़ रुपये था जब कि सन् १९६०–६१ में वह २५८७ करोड़ रुपय हो गया है। एक्सपेंडीचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

हमने स्मौल सेविंग्स के वास्ते ५०० करोड़ रुपया इकट्ठा करने का लक्ष्य रक्खा था लेकिन मुझे पता लगा है कि हम अब तक केवल ३९० करोड़ रुपये इकट्ठे कर सके हैं। इसके बारे में हमें जितनी प्रगति करनी चाहिए थी उतनी प्रगति हम नहीं कर सके हैं। इस सब घाटे को पूरा करने के लिए हमने १२०० करोड़ रुपये की डैफिसिट फाइनैंनसिंग की है। हमारी प्राइस पालिसी की वजह से मंहगाई बढ़ती जा रही है और इस मंहगाई के कारण गरीब और मध्यम वर्ग बहुत परेशान हो रहा है। हमारी प्राइस पालिसी फेलयोर साबित हुई है। अब मिडिल क्लास जिसकी कि मासिक आमदनी फिक्सेड है उस पर इस मंहगाई के बढ़ने का बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस दृष्टि से हमें यह प्रयत्न करना आवश्यक है कि यह मंहगाई न बढ़े और आज सामान्य मनुष्य का जीवन जो अस्त-व्यस्त हो गया है उसको ठीक करने का प्रयत्न करें।

हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ विचार करना आवश्यक है। उसके अन्तर्गत हम डाइरैक्ट और इनडाइरैक्ट टैक्स लगाते हैं। इस साल के बजट को देखने से मालूम होता है कि हमारी नीति इनडाइरक्ट टैक्सेज लगाने की ओर बढ़ती जा रही है। सन् १९५०–५१ में केन्द्रीय सरकार का टोटल रेवेन्यू ४०४ करोड़ रुपये का था। उसमें डाइरैक्ट टैक्सेशन १७९.५८ करोड़ का था। उसका प्रपोर्शन ४४ परसैंट था जब कि इनडाइरैक्ट टैक्सेज का ५६ परसैंट था। सन् १९५५–५६ में टोटल टैक्स रेवन्यू ४८५ करोड़ रुपये का हुआ। उसमें डाइरैक्ट टैक्सेशन १७३ करोड़ रुपये का हुआ और हमने देखा कि उसका प्रपोर्शन ४४ परसेंट से कम होकर ३५.७ परसेंट रह गया जब कि इनडाइरैक्ट टैक्सैशन हमने ५६ परसेंट से ६४ परसेंट कर दिया। इसी तरह हम देखते हैं कि सन् १९६०–६१ में टोटल टैक्स रेवेन्यू ८४८ करोड़ रुपये का था। उसमें २७७ करोड़ रुपया डाइरैक्ट टैक्सेशन का हुआ और प्रपोर्शन घट कर ३२.७ परसेंट रह गया जब कि इनडाइरैक्ट टैक्सेशन का प्रपोर्शन ५७.६ परसेंट से बढ़ कर ६७.३ परसेंट हो गया। वैसे ही इस साल के बजट में हम ने देखा कि कुल ९१३ करोड़ रुपय का टैक्स लगाया। उसमें डाइरैक्ट टैक्सेशन २८५.६ करोड़ का है और उसका परसेंटेज प्रपोर्शन ३१.२ है। इनडाइरैक्ट टैक्सेशन से ६२८ करोड़ रुपया था और जिसका प्रपोर्शन ६८.७ परसेंट है। इन सब आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी नीति डाइरैक्ट टैक्सेशन की ओर न बढ़ कर इनडाइरैक्ट टैक्सेशन की ओर बढ़ती जा रही है।

मेरा निवेदन है कि यह नीति अच्छी नहीं है। इनडाइरैक्ट टैक्सेज का असर हमारी गरीब और सामान्य जनता पर पड़ता है और आज वह इनके भार से पीड़ित हैं। मेरी समझ में उचित यह था कि सरकार इनडाइरैक्ट टैक्सेज के बदले डाइरैक्ट टैक्सेज लगाने के बारे में सोचती। आज इनडाइरैक्ट टैक्सेज की वजह से हमारी गरीब जनता त्राहि त्राहि कर रही है। आज हमारी ४० करोड़ की आबादी में केवल दस लाख लोग ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स और डाइरैक्ट टैक्स देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह १० लाख की संख्या काफी है? अब ४० करोड़ में से १० लाख व्यक्ति ही टैक्स देते हैं। यह संख्या बढ़नी आवश्यक है और उसके लिए यही उपाय हो सकता है कि हमारी नीति बजाय इनडाइरैक्ट टैक्सेशन के डाइरैक्ट टैक्सेशन की होनी चाहिए। डाइरैक्ट टैक्सेज लगा कर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा हासिल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दें।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बहुत चर्चा हुई है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमें १७०० करोड़ रुपये टैक्स लगा कर वसूल करने हैं लेकिन हम देखते हैं कि इस तृतीय योजना के प्रथम वर्ष में हमने केवल ६० करोड़ रुपये का ही टैक्स लगाया है। अब पता नहीं कि हमने इन पांच वर्षों में १७०० करोड़ रुपये वसूल करने का क्या अनुपात रखा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले साल में केवल ६० करोड़ रुपये के ही टैक्स लगाये गये हैं। क्या टैक्स इस साल इसलिए कम लगाए हैं कि अगले साल चुनाव होने वाला है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस १७०० करोड़ रुपये को वसूल करने के लिए उन्होंने क्या अनुपात रखा है? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका जवाब दें। हम देखते हैं कि यह ६० करोड़ रुपये का टैक्स लगाने से देश में एक हलचल मच गयी है तो जब जनता का आर्थिक स्तर उन्नत करने के हेतु हम १७०० करोड़ रुपये का टैक्स लगायेंगे तो क्या स्थिति होगी? अब इसका कुछ संकेत और सबूत हाल में दिल्ली के उपचुनाव में मिल चुका है जिसमें कि कांग्रेसी उम्मीदवार पराजित हुआ। हमने देखा कि हमने जो नये टैक्सेज लगाये थे उनको लेकर विरोधी दल वालों ने जनता में कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार किया और परिणाम यह हुआ कि लोक सभा की सीट दिल्ली के हाल के उपचुनाव में कांग्रस हार गई और जनसंघ का उम्मीदवार जीत गया।

पंचवर्षीय योजना से फायदा धनिकों को और खास कर उद्योगपतियों को ज्यादा हुआ। देहाती क्षेत्रों में प्लांस से कोई फायदा मिला ऐसा महसूस नहीं होता है। हमारे मित्रों ने भी इसको बतलाया कि बेकारी, अर्ध बेकारी और छपी बेकारी से देहाती अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है। पिछले दो सालों में इसकी ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया। शहरों में होने वाले बेकारों के और उनका रजिस्ट्रेशन और नौकरी के वास्ते तो कुछ प्रयत्न हो भी रहे हैं मगर देहातों में तो उनकी गणना भी अभी तक नहीं हुई है।

तीसरे प्लान में भी इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाना बहुत आवश्यक है। धनराशि का लक्ष्य भी निश्चित नहीं किया है और गणना भी करने की कोशिश नहीं की गई है। हमारी योजना काफी बड़ी है लेकिन हमने जो यह योजना बनाई है वह धन-प्रधान योजना है जब कि हमारे देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए श्रम-प्रधान योजना बनानी चाहिए थी। हमारे देश के हालात को देखते हुए श्रम प्रधान योजना ही लाभदायक साबित होंगी। मैं चाहता हूं कि इस दृष्टि से इस पर विचार किया जाये।

कृषि पर निर्भर होने वालों की संख्या बढ़ रही है। मेरी समझ में केवल कृषि पर निर्भर होना उचित न होगा। कृषि पर निर्भर होने वालों का परिणाम कम होना चाहिए और कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, छोटे उद्योग आदि में धन विस्तार करने से कृषि पर भार कम पड़ सकता है।

[श्री आसर]

लेकिन पिछली दोनों योजनाओं में इस दृष्टि से ज्यादा काम हुआ नहीं है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है । परिणाम इसका यही रहेगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बावजूद भी देहाती क्षेत्र का आर्थिक स्तर सुधरेगा नहीं और वह उन्नत नहीं होगा । हमें देहातों में छोटे छोटे कुटीर और लघु उद्योग खोलने के बारे में आवश्यक कदम उठाना चाहिए ।

पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने में सरकार विफल रही है । जिस उद्देश्य से भारत सेवक समाज की स्थापना की गई है उसको पूरा करने में वह असमर्थ रहा है । उसका स्वरूप सर्वदलीय न रह कर, एक दलीय बन गया है । हाल में दिल्ली में हुए उपचुनाव में भारत सेवक समाज के लोगों ने कांग्रेसी उम्मीदवार के पक्ष में खुला प्रचार ही नहीं किया बल्कि दूसरों पर इसके लिए दबाव भी डाला । सरकारी कर्मचारियों की बस्ती में जो कम्युनिटी हाल बनाए गए हैं वे बनाये तो गए हैं कर्मचारियों के लिये लेकिन उन पर भारत सेवक समाज ने कब्जा कर रखा है । हाल में सभा करने के लिए भारत सेवक समाज वहां से रुपये वसूल करता है जिसका कि कोई हिसाब किताब नहीं रक्खा जाता है । भारत सेवक समाज को अब तक सरकार की तरफ से प्रायः १ करोड़ रुपया मिला है । वह रुपया किस तरह से खर्च हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ।

एक बात की ओर मैं और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह दिल्ली को ए० क्लास सिटी घोषित करने के बारे में है। अभी कुछ दिन पहले और यहां हाउस में इस बारे में एक प्रश्न पूछा गया था तो उत्तर में मंत्री महोदय ने बतलाया था कि सरकार दिल्ली को ए० क्लास डिक्लेयर करने के बारे में विचार कर रही है । मेरा कहना है कि दिल्ली को ए० क्लास घोषित करने के बारे में देरी नहीं करनी चाहिए। आज दिल्ली की आबादी २६ लाख हो गई है और यहां का कास्ट आफ लिविंग सब से ज्यादा है बम्बई और कलकत्ते से भी ज्यादा है । मैं चाहता हूं कि दिल्ली को ए० क्लास बनाने की घोषणा करने में सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इस बारे में निर्णय घोषित कर दिया जाय ।

दिल्ली में तो लो हाउसिंग ग्रुप को मकान बनाने के लिए सरकार जो कर्जा देती है उस पर कम्पाउन्ड इंटरेस्ट वसूल किया जाता है ? यह सरासर अन्याय है । दिल्ली केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है। यहां कोई थर्ड पार्टी नहीं है । फिर कम्पाउंड इन्ट्रेस्ट वसूल करने का क्या अर्थ है ? सरकार गरीबों को सहायता देना चाहती है, या मुनाफा कमाना चाहती है ? आश्चर्य की बात यह है कि कर्ज की डीड में यह बताया नहीं जाता कि ब्याज की दर कम्पाउंड होगी, हम कम्पाउंड इन्ट्रेस्ट लेने वाले हैं। मैं वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि इस बारे में तुरन्त कार्यवाही की जाये ।

लाइफ इन्शोरेंस कार्पोरेशन ने काफी प्रगति की है और उसके लिये वह बधाई का पात्र है । लेकिन उसका काम बढ़ाने के लिये जो फील्ड आफिसर्ज जिम्मेदार हैं, उन के साथ न्याय नहीं किया गया है और अन्य कर्मचारियों की तरह उन्हें बोनस नहीं दिया गया । उन्हें जो कुछ दिया गया है, वह ओवर टाइम है, बोनस नहीं है ।

मुझे बताया गया है कि एल० आई० सी० में १२ करोड़ रुपया ऐसा पड़ा है, जिसका कोई हिसाब नहीं है । रुपया जमा हो गया है, लेकिन वह बीमा कराने वालों के खातों में जमा नहीं किया गया है ।

दिल्ली में रुपया जमा कराने की पद्धति ठीक नहीं है। एक ही स्थान पर लोगों को जाना पड़ता है, जहां वे घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। इसलिये ज्यादा ब्रांच आफ़िसेज़ होना जरूरी है। पालिसीज़ के सरेंडर और लैप्स का परिणाम बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत चिन्ता का विषय है। इस विषय में भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

सरकार को अफीम पैदा करने वाले किसानों की कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिये। सरकार जिस कीमत पर किसानों से अफीम खरीदती है और जिस पर बेचती है, उस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसानों को दी जाने वाली कीमत बढ़नी चाहिए। इस वर्ष अधिक वर्षा से अफ़ीम की फ़सल को क्षति पहुंची है। उनको सहायता दी जाये और अगले वर्ष के लिये उन के खेती के रकबे में कमी न की जाये।

श्री लच्छीराम (हमीरपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछले दस बारह वर्षों में जो कार्य किये हैं, वे वास्तव में प्रशंसनीय हैं, क्योंकि सरकार की जो आर्थिक स्थिति है, उस को देखते हुए उस ने वास्तव में बड़े लम्बे चौड़े कार्य किये हैं। देश की स्थिति को सम्भालने के लिये हमारी सरकार ने जो बड़े बड़े कारखाने लगाये, पानी और बिजली की व्यवस्था के लिये जो बड़े बड़े बांध बनाये, शिक्षा के क्षेत्र में भी जो कार्य किये, खेती बाड़ी को आगे बढ़ाने के लिये भी जो काम किये, उन सब को देख कर बड़ी खुशी होती है लेकिन हमारे गांवों में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है, जिस पर हमारी दस बारह साल की आजादी का कोई खास प्रभाव नहीं हुआ है और वह वर्ग है खेतिहर मजदूर। खेतिहर मजदूरों की संख्या लगभग ५ करोड़ बताई जाती है। १९५० में एक जांच कमेटी नियुक्त हुई थी, जिसकी रिपोर्ट में यह बतलाया गया था कि खेतिहर मजदूरों की प्रति व्यक्ति आमदनी १०४ रुपया सालाना है और प्रति परिवार ४४७ रुपये, लेकिन उनका सालाना खर्च प्रति परिवार ४६२ रुपये के करीब बताया गया है। उन पर जो कर्ज़ का बोझा है, उस के कारण लगभग ४४½ प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो कर्ज़दार हैं। जो रिपोर्ट १९५६ में प्रकाशित हुई, उस में जो आंकड़े दिये गये हैं, वे और भी दुःखद हैं। उन में प्रति व्यक्ति आमदनी घट कर लगभग ९६ रुपये रह गई है और सालाना आमदनी भी घट कर ४३७ रुपये प्रति परिवार रह गई है। इस के साथ ही उन के खर्चे का बोझा भी बढ़ा है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि उनका सालाना खर्च प्रति परिवार ६१७ रुपये हो गया है। इस तरह से उन लोगों की हालत काफ़ी बिगड़ रही है, जब कि हमारे देश में जो दूसरे प्रकार के मजदूर हैं, जो कारखानों में लगे हुए हैं, उनकी हालत में बराबर सुधार हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि उनकी ओर ध्यान न दिया जाये, लेकिन जो पांच करोड़ भाई गांवों में रहते हैं, जिनका काम बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी खेती का सब से बड़ा काम जिन के कंधों पर है, उनके लिये कुछ न हो यह दुःख की बात है। मैं यह मानता हूं कि सरकार ने उस ओर कुछ काम किये। उनको परती ज़मीन दिलाने के लिये कुछ व्यवस्था की गई। भूदान के द्वारा कुछ ज़मीन उन को देने का निश्चय किया गया, लेकिन यह भी सही है कि वह ज़मीन जिन लोगों के द्वारा बांटी गई, वे बदनाम किस्म के व्यक्ति थे। ग्रामपंचायतों के सभापतियों के हाथों में ज़मीन बांटने का काम दिया गया, जो अधिकतर पुराने ज़मींदार थे। उन्होंने उस ज़मीन को उन लोगों के हाथों में नहीं जाने दिया। श्री श्रीकांत ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जमीन बांटने की व्यवस्था सभापतियों के हाथों में होने के कारण उस में गड़ बड़ हो गई और मैं सिफ़ारिश करता हूं कि उन के द्वारा वह ज़मीन न बांटी जाये। इसलिये जहां तक ज़मीन बांटे जाने का प्रश्न है, वह बात इस के लिये कोई खास महत्व की नहीं रही।

[श्री लच्छी राम]

उन लोगों के लिए दूसरा काम यह किया गया कि यहां से प्रदेश सरकारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाने के लिए आदेश दिये गये और कहीं कहीं वे कानून बने, लेकिन वे सब कानून दिखावा मात्र रह गये। वे थोड़े से बड़े बड़े फार्मों और सरकारी फार्मों पर लागू हुए और उन लोगों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपने सीलिंग जमीन पर लगाने का प्रस्ताव किया था। आपने कहा था कि प्रान्तीय सरकारें इस के बारे में कानून बनायें ताकि सीमा निर्धारित हो सके। परन्तु इस में भी काफी बिलम्ब हुआ है और इस बिलम्ब के कारण जो जमीन बची भी है, मैं समझता हूं कि उसका अच्छा भाग भूमिहीनों को मिलने वाला नहीं है। मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बजट बनाते समय वह इन पिछड़े हुए तथा अभागे लोगों के लिए बड़ी राशि रखें ताकि उनकी हालत में कुछ सुधार हो सके।

हमारी केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत एक पर्यटक विभाग है जो बाहर से आने वाले यात्रियों को यहां के ऐतिहासिक स्थान दिखलाने इत्यादि का काम करता है। उस के बारे में मुझे मालूम हुआ है कि जो गाइड लोग हैं जो उन को ऐतिहासिक स्थान दिखाने के लिये ले जाते हैं, वे कोशिश यह करते हैं कि ऐतिहासिक स्थान देखने में उन का समय कम लगे और खरीदारी इत्यादि में वे ज्यादा रुचि दिखायें। बाहर से आने वाला मुसाफिर जब कोई चीज खरीदता है तो उस की कीमत उसको बड़ी लम्बी चौड़ी बताई जाती है और हमारे जो गाइड लोग होते हैं वे सब कीमत की स्वीकृति दे देते हैं और कहते हैं यह मुनासिब मूल्य है। लेकिन बाद में जब उस यात्री को मालूम होता है कि उस से ज्यादा कीमत दिलाई गई है तो उस को हमारे देश के प्रति कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, अच्छी भावना नहीं बनती है। सुनने में आया है कि गाइड लोगों और ड्राइवर लोगों की इन में कुछ सांठ-गांठ सी होती है जिसकी वजह से यह सब कुछ होता है। यह सही है कि बाहर से आए हुए लोग जो सामान खरीदते हैं, उससे हमें फारेन एक्सचेंज मिलता है लेकिन जो यह बदनामी होती है, उससे बचा जाना चाहिये, वह अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस विभाग का ध्यान इस ओर भी जाये।

अब मैं इनकम-टैक्स विभाग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस विभाग में कुछ पुरानी विचारधारा के अधिकारीगण हैं जो अंग्रेजों के जमाने में धन इकट्ठा करने के लिये बड़ी बड़ी सख्तियां किया करते थे, जनता को परेशान किया करते थे। उन की आज भी वैसी ही मनोवृत्ति है। जितना अधिक रुपया वे इकट्ठा करके दिखाते थे, उतने ही मालिक लोग उन से खुश होते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब अगर हमें जनता से पैसा लेना है तो उस को परेशान कर के नहीं बल्कि उस को प्रसन्न करके लेना होगा।

आपने जो इनकम टैक्स की सीमा निर्धारित की है, उस का नतीजा यह हुआ है कि छोटे छोटे दूकानदार भी उस सीमा के अन्तर्गत आ गये हैं। अनेक दूकानदार ऐसे हैं जो अनपढ़ होने की वजह से हिसाब किताब नहीं रख सकते हैं। इस काम को करने के लिये उन को मुनीम रखना पड़ता है और उन को काफी पैसा देना पड़ता। इस काम के लिये अगर वे मुनीम रखते हैं तो एक तिहाई पैसा उन्हें उस को देना पड़ता जाता है। चूंकि वे हिसाब किताब नहीं रख पाते हैं इस वास्ते इनकम टैक्स आफिसर उन को काफी रगड़ते हैं जिससे उन में बड़ा असन्तोष पाया जाता है। उन की हैसियत से अधिक टैक्स उन को अदा करने पर मजबूर किया जाता है। इन छोटे छोटे दूकानदारों को राहत पहुंचाने का आपको कोई न कोई तरीका ढूंढना चाहिये। मेरा सुझाव है कि तीन हजार से पांच हजार तक आमदनी वाले लोगों को अगर किसी तरह का लाइसेंस ले दिया जाय और यह निश्चित कर दिया जाय कि तीन हजार या चार हजार या पांच हजार आमदनी वालों को बिना हिसाब किताब रखे इतना इनकम टैक्स देना होगा तो जो हिसाब किताब रखने की कठिनाई है, वह दूर हो सकेगी और उनको राहत मिल सकेगी। अगर यह चीज नहीं हो सकती है तो कोई और उपाय आप सोच सकते हैं

जिससे हिसाब किताब रखने पर उनको मजबूर न किया जाय। आज इनकम टैक्स आफिसर उन पर चौबीसों घंटे धौंस जमाये रखते हैं, उनसे उनकी छुट्टी पाना मुश्किल हो जाता है और यह जो चीज है, यह नहीं होनी चाहिये।

अब मैं पिछड़े हुए क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पिछली बार हमारे नन्दा जी ने यह आश्वासन दिया था कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिये कुछ विशेष कार्य किया जाएगा। मैं स्वयं एक पिछड़े हुए क्षेत्र से आता हूं। बुन्देलखंड का क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और हमेशा से ही उपेक्षित रहा है। उस की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह क्षेत्र नदियों, नालों और पहाड़ों से भरा पूरा है। लेकिन दुःख की बात है कि उस क्षेत्र में नदियों पर कोई पुल नहीं, सड़कों का अभाव है, रेलवे लाइन इत्यादि नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं इनकी ओर आपका ध्यान जाये। पिछड़े हुए क्षेत्रों के सम्बध में विकास कार्य करने के लिये बार बार आपसे अनुरोध किये जाने पर भी, कोई ऐसे ठोस विकास कार्य नहीं किये गये हैं जिनके बारे में हम अपने क्षेत्रों में जाकर यह गर्व के साथ कह सकें कि हमारी सरकार ने हमारे लिये यह यह किया है और यह करने जा रही है। अभी हाल ही में सुनने को मिला है कि माताटीला बांध से बड़ी मात्रा में बिजली बनने जा रही है। यह भी प्रान्तीय सरकार से सुनने को मिला है कि सरकार के द्वारा वहां एक बिजली का सामान तैयार करने का कारखाना लगाया जाने वाला है और इस के बारे में चर्चा चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आम तौर पर पिछड़ हुए क्षेत्रों के साथ होता है कहीं यह कारखाना भी वहां न लगा करके कहीं किसी दूसरी जगह न लगा दिया जाय। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस ओर प्रान्तीय सरकार का ध्यान आकर्षित करें और उस से कहें कि बिजली का सामान तैयार करने का कारखाना वहीं लगे।

जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि दस बारह साल से यह हरिजनोत्थान का काम बड़ जोरशोर से चला है। यह आवश्यक था कि हरिजनोत्थान के लिये जो काम किये गये हैं, उन का प्रचार हो, जो कानून बनाये गये हैं, उनका प्रचार हो। सरकारी तौर पर प्रचार कार्य हुआ है और इस के साथ ही साथ कुछ गैर सरकारी संस्थाओं को भी सहायता दे करके प्रचार कार्य करवाया गया है। लेकिन मैंने देखा कि कुछ गैर सरकारी संस्थाये जो इस कार्य को करने के लिये सरकार से पैसा लेती हैं, उस का वह ठीक उपयोग नहीं करती हैं और इस के नतीजे के तौर पर सरकारी की बदनामी हुई है। मैं समझता हूं कि इन पिछले दस बारह सालों में हमारे बनाये हुए कानूनों का काफी प्रचार हुआ है और जो उन्नति के काम किये गये हैं, उन का भी काफी प्रचार हुआ है। अब मैं समझता हूं कि प्रचार कार्य के लिये गैर सरकारी संस्थाओं को पैसा न देकर के उसी पैसे का इस्तमाल अगर इनको आगे बढ़ाने के लिये, इन को उद्योग-धंधे सिखाने के लिये, ऐसे कामों के लिय जिनसे इन की हालत सुधरे, शिक्षा इनको मिले, किया जाय तो अच्छा होगा। इस तरह के काम करना उन की उन्नति में सहायक होगा।

एक अन्तिम बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। प्रान्तीय सरकार ने जो सेल्ज टैक्स इत्यादि लगाये हैं, उन में काफी ऐसी गड़बड़ियां होती हैं जिनसे हमारी सरकार की बदनामी होती है और उस को बदनाम होना पड़ता है। मिसाल के तौर पर यू० पी० गवर्नमेंट ने गल्ले को तोलने वालों, वजनकश लोगों पर सेल्ज टैक्स लगाया है और एक रुपया सकड़ा लेने का फैसला किया है। वजनकश जो बाहर से किसान गाड़ी लेकर आते हैं, उससे और खरीदार से दोनों से मिल कर के लगभग २० आना सैकड़ा लेते हैं और प्रान्तीय सरकार ने उन पर एक रुपया सैकड़ा टैक्स बांध रखा है। आप सोचें कि बीस आना तो उसे मिलता है करीब-करीब और एक रुपया उससे वसूल कर लिया जाता है, ऐसी हालत में वह क्या कर सकता है। ऐसी हालत में या तो वह गलत काम करेगा, चोरी करेगा या फिर अपनी दूकान पर बैठ करके सरकार को कोसेगा, हम सब को गालियां देगा। यह अच्छा तरीका

[श्री लच्छीराम]

नहीं है। मैं समझता हूं कि वजनकश लोगों को तोलने वाले लोगों को इस तरह से गलत काम करने से रोकने के लिय यह जरूरी है कि टैक्स बांधने के तरीके में सुधार किया जाये और मैं आशा करता हूं कि इस ओर आपका ध्यान जायेगा।

श्री अशण्णा (आदिलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जो समय आपने मुझे दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आजादी के बाद से दो योजनायें बनी हैं और कार्यान्वित हुई हैं और अब तीसरी योजना की रूपरेखा हमारे सामने है। जितनी अनाज की उत्पति होनी चाहिये, उतनी उत्पति अभी तक नहीं हो पाई है। यह बहुत अफसोस की बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जिन-जिन क्षेत्रों में जितनी-जितनी प्रगति होनी चाहिये, उतनी नहीं हुई है और इसके अपने कुछ कारण हैं। हमारा देश बहुत ही गरीब है और इसके रिसोर्सिस बहुत कम हैं। जितने रिसोर्सिस हैं भी, उनका भी हम पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाये हैं। जितनी भी वर्षा हमारे देश में होती है, उसकी एक-एक बूंद बांध करके रखी नहीं जा सकी है। आज फर्टिलाइजर्ज और सीड्स किसानों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं दफ्तरों के और कचहरियों के। हमारी जितनी जरूरियात हैं उन को मीट करने के लिये हमारे पास उतना पैसा नहीं है जिसके कारण हमारे देश के नेताओं को और खासकर वित्त मंत्री जी को देश-विदेश का दौरा करना पड़ता है और एक्सटर्नल असिस्टेंस की मांग करनी पड़ती है। जो भी एक्सटर्नल असिस्टेंस हमको मिल रही है वह भी हमारी प्रगति में सहायक सिद्ध होगी। आज बाहर से हमें जो पसा मिल रहा है, उसकी जमानत हमारी डेमोक्रसी है। जिस डमोक्रटिक फौर्म को हमने अपनाया है, वही इस की जामिन है। सभी देश डेमोक्रसी को डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो दूसरे देशों का दौरा किया है और उसके फलस्वरूप जो हम को काफी पसा मिल रहा है, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

अभी जो तीसरी योजना शुरू होने वाली है उसमें हम अपना उत्पादन ३१ परसेंट से ३८ परसेंट तक बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आज प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये जिस सर प्रकार से काम होना चाहिय वह नहीं हो रहा है। आज पंचायत समिति से लेकर पार्लियामेंट तक इसके लिये काम हो रहा है। किसी को नेताओं की नीयत पर किसी किस्म का शुबहा नहीं है, लेकिन जिस तेजी से प्रगति होनी चाहिये वह नहीं हो रही है।

उत्पादन बढ़ाने के लिये लैंड रिफार्म की सख्त जरूरत है। कुछ प्रान्तों में लैंड रिफार्म का काम हुआ है। मेरे प्रान्त में टिनेंसी रिफार्म एक्ट का निफाज हुआ था लेकिन किसी कानूनी बाधा के कारण आज वह एक्ट चलन में नहीं है। हैदराबाद टिनेंसी एक्ट के तहत जो काम होने वाले थे उनका क्या हाल होगा आज इस बारे में परेशानी है।

साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में वेस्ट लैंड काफी पड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि जुलाई में एक एक्सपर्ट कमेटी इस मसले पर विचार करने के लिये बिठायी गयी थी। आन्ध्र प्रदेश और बंगाल और कुछ दूसरे प्रान्तों से प्रोपोजल आ गये हैं, और कई प्रान्तों से नहीं आये हैं। मैं आपके द्वारा केन्द्रीय सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जो वेस्ट लैंड पड़े हुए हैं उनसे पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिये। आज दस-दस बारह-बारह साल से कुछ लैंडलस काश्तकार इस तरह की जमीनों पर काश्त करते आ रहे हैं लेकिन आज तक उनके नाम पट्टा नहीं हुआ है। वह कभी पांच एकड़ की बात सुनते हैं कभी सात एकड़ की बात सुनते हैं लेकिन सीधे तौर पर प्रान्तीय सरकार यह नहीं कहती कि हम ज्वाइंट फार्मिंग कराना चाहते हैं इसलिये इन्डिवीजुअल्स को पट्टा नहीं करते। यह बात साफ होनी चाहिये क्योंकि काश्तकारों की अजीब हालत हो रही है और वे पूरी तरह से मेहनत नहीं कर पाते।

साथ ही साथ मैं यह अर्ज करता हूं कि मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में कंडम डैम टूट चुका है, दो ढाई साल से उस पर काम हो रहा है लेकिन अभी तक वह बन नहीं पाया, जिस तेजी से उस पर काम होना चाहिये वह नहीं हो रहा है, इरीगेशन देश को अन्न के मामले में सेल्फ सफीशेंट बनाने में बड़ा फैक्टर है साथ ही साथ कम्पलिकेशन्स का भी बड़ा महत्व है । मेरी कांस्टिट्यूएन्सी आन्ध्र से महाराष्ट्र को मिलाने वाली हाई वे पर है । लेकिन उस सड़क पर पान गंगा का पुल टूट गया है । उसको बनाने के लिय केन्द्रीय सरकार पूरी तवज्जह नहीं दे रही है । मेरी प्रार्थना है कि उस की तामीर पर फौरी तवज्जह दी जाये ।

डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्सों के जरिये और एक्सटरनल असिस्टेंस के जरिये जो देश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं । साथ ही साथ जो नेशनल सेविंग स्कीम है उसके बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं ।

आज जो भारत का नवनिर्माण हो रहा है उसमें टैक्स पेयर हाथ बंटा रहा है । हिन्दुस्तान नें बसने वाला कोई नागरिक टैक्स के खिलाफ नहीं ह । वह चाहता है कि कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करे । मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का गरीब आदमी भी कुछ हाथ बंटाना चाहता है । जो आपकी नेशनल सेविंग स्कीम है उसके बारे में समझता हूं कि उसको अगर पंचायतों के हाथ में दे दिया जाये तो बहुत तरक्की हो सकती है । जैसे आन्ध्र में डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है और पंचायत समितियां और परिषदें बन रही हैं । अगर आप इस स्कीम को रिआरगेनाइज करके इन पंचायतों और परिषदों को दे दें तो मैं समझता हूं कि आपको करोड़ों रुपया मिल जाएगा । आज लोग पैसा देने के लिए मुंतजिर हैं । आपको काफी पैसा मिलेगा ।

साथ ही साथ मैं एक बात गोल्ड बांड्स के बारे में कहना चाहता हूं । इसमें शायद आपको कुछ प्रेक्टिकल बाधाएं हैं, ऐसा एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट से मालूम पड़ता है । मगर जब से श्री मुरारजी देसाई ने फाइनेंस मंत्रालय को संभाला है तब से लोगों में काफी विश्वास पैदा हो गया है । अगर अब आप मांगेंगे तो आपको काफी सोना मिलेगा । अगर आप दस बारह साल के गोल्ड बांड इश्यू करें और लोगों को कुछ इंटरेस्ट दें तो आपको बहुत सोना मिल जाएगा जो कि हिन्दुस्तान में मुंजमिद पड़ा हुआ है, और उससे देश की प्रगति में काफी मदद मिलेगी ।

मैं और ज्यादा न कहते हुए अध्यक्ष महोदय ने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दस साल से देश के अन्दर बहुत तरक्की हुई है । इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता । आप किसी चीज को देख लीजिए, चाहे जो सरकारी मकान बने हैं उनको देख लीजिए, या जो सरकारी कारखाने बने हैं उनको देख लीजिए, या सड़कों को देख लीजिए या रेलवे को देख लीजिए, चाहे शिक्षा या दूसरे महकमों को देख लीजिये, सब में तरक्की हुई है ।

जहां इस देश के अन्दर जो कम्पनियां थीं, चाहे वे प्राइवेट थीं या पब्लिक थीं या गवर्नमेंट की थीं, उनका पेडअप कैपिटल सन् १९४८–४९ में ५२६ करोड़ रुपया था, वह सन् १९५९–६० में १५९३ करोड़ तक हो गया । इसी तरह से जो गवर्नमेंट की कम्पनियां हैं उनका सन् १९५५–५६ में पेडअप कैपिटल जो ६६ करोड़ था वह सन् १९५९–६०

[श्री० रणवीर सिंह]

में ४६८ करोड़ हो गया और आज वह कोई ६०५ या ६०७ करोड़ के करीब हो गया है। इसी तरह से जहां रेलवे में सन् १९५०–५१ में ८२७ करोड़ का सरमाया लगा हुआ था वहां सन् १९६०–६१ के अन्दर उनमें १५५९ करोड़ का सरमाया लगा हुआ है। तो कोई चीज आप देख लीजिए वह इन दस बारह सालों में तकरीबन दुगुनी हो गई है।

जहां तक नहर का सवाल है, अंग्रेजी राज के दौरान में नहरों के ऊपर अन्दाजन १६० करोड़ रुपया लगा था। लेकिन पिछले १०–१२ सालों में न जाने देश में कितने प्रोजेक्ट बने। अकेले भाखरा नंगल बांध के ऊपर १५४ करोड़ रुपया लगा हुआ है, और मेरे अपने प्रदेश के अन्दर इन १०–१२ सालों के अन्दर इतना रुपया लगा है जितना कि अंग्रेजों के जमाने में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान जब एक थे तो सारे देश पर डेढ़ सौ सालों में नहीं लगा था। तो अगर कोई कहे कि देश के अन्दर तरक्की नहीं हुई है तो यह सही बात नहीं है।

अभी मुझसे पहले माथुर साहब ने जिक्र किया था कि जिन भाइयों की तनख्वाहें सौ रुपए से लेकर ४०० रुपए तक के बीच में हैं उन सरकारी नौकरों को घाटा हुआ है। जो उनका इंडेक्स आफ लिविंग है उसको देखने से मालूम होता है कि उनको इन दस बारह सालों में नुक्सान हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है। आज अन्दाजा लगाइये कि सन् १९५१ के अन्दर हमारे देश के अन्दर कोई ५.९ लाख के करीब सरकारी कर्मचारी थे और अब ७.४ लाख सरकारी कर्मचारी हैं। एक तरह से ड्योढ़े के करीब हो गए हैं इन ६–७ सालों के अन्दर और ये सबके सब उन्हीं के भाई भतीजे हैं जो कि पहले से सरकारी नौकर थे। तो इसका फायदा तो उन्हीं को पहुंचा है। और अगर सरकारी नौकरों की तनख्वाह का हिसाब लगाया जाए तो आपको मालूम होगा कि आठ-दस साल पहले के मुकाबले में अब उनकी तनख्वाह का बिल तकरीबन तिगुणा होता है।

जो लोग फैक्टरियों में काम करते थे उनकी तादाद थी २९.१ लाख के करीब और वह अब जाकर ३४.१ लाख के करीब हो गयी है। इस तरीके से आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियों में वृद्धि हुई है और दूसरे जो पढ़े-लिखे भाई हैं उनकी नौकरियों की तादाद बढ़ी है और उससे पढ़े-लिखे लोगों को ही फायदा हुआ है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय मुझे याद है कि एक व्यक्ति जो कि चपड़ासी था, पटवारी था या छोटे दरजे का सरकारी नौकर था, उनकी तनख्वाहें आज पहले के मुकाबले में तीन गुनी हो गई हैं। अब इसके लिए उन्होंने रुपये की कीमत ४ आने बताई है...

वित्त मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२१	१६५३	श्री प्रभातकार	असैनिक व्यय में वृद्धि	राशि घटा कर १ रुपय कर दी जाय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२१	१६५४	श्री प्रभातकार	मूल्य नीति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
२१	१२०६	श्री मो० ब० ठाकुर	मुद्रास्फीति को रोकने में असफलता	१०० रुपये
२१	१२१०	श्री मो० ब० ठाकुर	सोना तथा हीरों के तस्कर व्यापार को रोकने में असफलता	१०० रुपये
२१	१२११	श्री मो० ब० ठाकुर	विश्व मंडी में रुपये की कीमत बनाये रखने में असफलता	१०० रुपये
२१	१२१२	श्री मो० ब० ठाकुर	कृषि तथा अकृषि आवश्यक वस्तुओं में समुचित सन्तुलन रखने में असमर्थता	१०० रुपये
२१	१२१३	श्री मो० ब० ठाकुर	भारतीय करंसी नोटों की तस्करता को रोकने में असफलता	१०० रुपये
२१	१२१४	श्री मो० ब० ठाकुर	लोगों की क्षमता के अनुसार कराधान करने में असफलता	१०० रुपये
२१	१२१५	श्री मो० ब० ठाकुर	लोगों को बैंकों तथा डाकखानों के बचत खातों में रुपया जमा कराने के लिए आकर्षित करने के हेतु ब्याज दर बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२१	१२१६	श्री मो० ब० ठाकुर	तीसरी योजना के लिए अपेक्षित धन विदेशों से ऋण के रूप में प्राप्त करने में असफलता	१०० रुपये
२१	१२३२	श्री मो० ब० ठाकुर	निर्वाह व्यय को बढ़ने से रोकने में असफलता	१०० रुपये
२१	१५२१	श्री कोडियान	बैंकिंग उद्योग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२१	१६४०	श्री ले० अचौ सिंह	निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६४१	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में भारतीय स्टाप अधिनियम का प्रशासन ।	१०० रुपये
२१	१६४२	श्री ले० अचौ सिंह	शहरी और देहाती क्षेत्रों में उत्पादिकता और आय में समानता ।	१०० रुपये
२१	१६४३	श्री ले० अचौ सिंह	उच्च वर्गों अथवा मध्य वर्गों की आय की वृद्धि होने पर भी बचत का अभाव ।	१०० रुपये
२१	१६४५	श्री ले० अचौ सिंह	दूसरी योजना में व्यय का गिर जाना ।	१०० रुपये
२१	१६४६	श्री ले० अचौ सिंह	पी० एल० ४८० के अन्तर्गत विशष विकास निधि का कार्य ।	१०० रुपये
२१	१६४७	श्री ले० अचौ सिंह	जीवन बीमा निगम के विरुद्ध दावों और शिकायतों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६४८	श्री ले० अचौ सिंह	कर नीति के नवीकरण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६४९	श्री ले० अचौ सिंह	कीमतों को बढ़ने से रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६५०	श्री ले० अचौ सिंह	जीवन बीमा निगम के प्रशासन को सुधारने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६५१	श्री ले० अचौ सिंह	निर्यात के लिए गुंजा पौदे की फसल को जारी रखने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६५५	श्री प्रभात कार	जीवन बीमा निगम का कार्य ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२१	१६५६	श्री प्रभात कार	क्षेत्र अधिकारियों सम्बन्धी बीमा निगम की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६५७	श्री प्रभात कार	बीमा निगम की विनियोजन नीति ।	१०० रुपये
२१	१६५८	श्री प्रभात कार	क्षेत्र अधिकारियों को लाभांश दिया जाना ।	१०० रुपये
२१	१६५९	श्री प्रभात कार	क्षेत्र अधिकारियों की वेतन वृद्धि ।	१०० रुपये
२१	१६६०	श्री प्रभात कार	दीवालिया बैंकों के कार्य को समाप्त करने में देरी ।	१०० रुपये
२१	१६६१	श्री प्रभात कार	गलत काम करने वाले बैंक निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६६२	श्री प्रभात कार	वित्त निगम का कार्य	१०० रुपये
२१	१६६३	श्री प्रभातकार	औद्योगिक वित्त निगम का कार्य	१०० रुपये
२१	१६६४	श्री प्रभात कार	नियोजित अर्थ व्यवस्था में आय व्ययक सिद्धांत ।	१०० रुपये
२१	१६६५	श्री प्रभात कार	राज्यों और केन्द्र के आय व्ययक में समन्वय की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६६६	श्री कोडियान	बैंकों में जमा करने की बीमा योजना चालू करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६६७	श्री कोडियान	रक्षित बैंक की वित्तीय नीति ।	१०० रुपये
२१	१६६८	श्री कोडियान	कृषि ऋण की व्यवस्था करने में रक्षित बैंक का हाथ ।	१०० रुपये
२१	१६६९	श्री कोडियान	बैंकिंग समवाय अधिनियम का प्रशासन ।	१०० रुपये
२१	१६७०	श्री कोडियान	भारत के राज्य बैंक का काम	१०० रुपये
२१	१६७१	श्री कोडियान	छोटे बैंकों को मिलाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२१	१६७२	श्री कोडियान . .	डिपोजिट बीमा योजना को लागू करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६७३	श्री कोडियान . .	टैक्स इकट्ठा करने की प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६७४	श्री कोडियान .	मूल्य नियंत्रण करने में असफलता	१०० रुपये
२१	१६७५	श्री कोडियान . .	अप्रत्यक्षकर नीति . .	१०० रुपये
२१	१६७६	श्री कोडियान . .	बकाया कर की वसूल करने में असफलता ।	१०० रुपये
२१	१६७७	श्री कोडियान . .	बैंकों में बोनस शेयरों के जारी करने की प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६७८	श्री कोडियान	अप्रत्यक्षकर नीति . .	१०० रुपये
२१	१६७९	श्री कोडियान	पलाई बैंक की असफलता के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता ।	१०० रुपये
२१	१६८३	श्री कोडियान .	केरल में छोटे बैंकों को मिलाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३३	१६४४	श्री ले० अचौ सिंह	तीसरी योजना में केन्द्रीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिये अपर्याप्त व्यवस्था ।	१०० रुपये
१२०	१६५२	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आसाम वित्तीय निगम की कार्यवाहियों को बढ़ाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

डिग्री कालेज आदि के अध्यापकों का वेतनक्रम

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** टैक्नीकल संस्थाओं के अध्यापकों के वेतनक्रम के बारे में १ अप्रैल, १९६१ को अतारांकित प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर के कारण ही कुछ बातों को स्पष्ट करने के लिये यह आध घंटे की चर्चा शुरू की गई है।

†मूल अंग्रेजी में

टैक्नीकल संस्थाओं में अध्यापन कार्य करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति पाने की ओर सरकार का ध्यान बहुत दिनों से लगा हुआ है। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् ने प्रविधिक संस्थाओं के शिक्षकों के लिये कुछ वेतनक्रमों की सिफारिश की है। केन्द्रीय सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है किन्तु खेद की बात है कि राज्य सरकारों ने ये वेतनक्रम लागू नहीं किये हैं। आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। कोथागुड्म स्थित माइनिंग इन्स्टीट्यूट के कर्मचारियों के वेतनक्रम पुराने ही हैं।

योजना आयोग द्वारा प्रविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो अध्ययन दल नियुक्त किया गया था उसने इस बात पर जोर दिया है कि परिषद् द्वारा जिन वेतनक्रमों की सिफारिश की गई है उन्हें लागू किया जाना चाहिये।

हमारे देश में प्रविधिक कर्मचारियों की बहुत आवश्यकता है और इनका अभाव होने के कारण हम अपने कई विकास कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं। यह आवश्यक है कि प्रविधिक शिक्षा का समुचित विकास व विस्तार हो जिससे कि हमारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये हमारे पास पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारी हों।

प्रविधिक कर्मचारियों को गैर-सरकारी क्षेत्र में काफी अच्छा वेतन दिया जाता है जिसके कारण प्रविधिक शिक्षा संस्थाओं में आने के लिये वे तैयार नहीं होते। शिक्षक को कुछ सुविधाएं देना और उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करना आवश्यक है।

सरकार को यह देखना चाहिये कि जिन वेतनक्रमों की सिफारिश की गई है वे तुरंत लागू किये जायें। चूंकि केन्द्र ने अतिरिक्त व्यय देना मंजूर कर लिया है तो राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रविधिक संस्थाओं में कितने विदेशी काम कर रहे हैं और उन्हें क्या वेतन दिया जा रहा है।

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने प्रविधिक संस्थाओं और पालीटेक्निक संस्थाओं की आवश्यकताओं का कोई सर्वेक्षण किया है। तीसरे क्या सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिये कोई कदम उठाया है?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि सभी देशों में प्रविधिक कर्मचारियों और वैज्ञानिकों का वेतन प्रशासकीय कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक होता है।

क्या यह सच नहीं है कि जिन राज्यों ने वेतन क्रम लागू कर दिये हैं उनमें भी, विशेषकर राजस्थान में, उपयुक्त कर्मचारी नहीं मिलते हैं।

खनन, इंजीनियरिंग और भूतत्व विभाग में हमारे पास कितने कर्मचारी कम हैं।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर): क्या यह सच नहीं है कि आंध्र प्रदेश में वेतनक्रमों को लागू नहीं किया है। दूसरे क्या यह सच नहीं है कि प्रविधीक कर्मचारियों को प्रशासकीय कर्मचारियों से अधिक वेतन मिलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

आधे घंटे की चर्चा

†श्री बासप्पा (तिपतुर): क्या सरकार प्रविधिक कालेजों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिये कोई कदम उठा रही है। दूसरे क्या यह सच है कि इन संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापक इसलिये इन संस्थाओं को छोड़ रहे हैं कि उन्हें यहां बहुत कम वेतन मिल रहा है?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर): अध्यापकों के वेतन तथा उनके स्तर के बारे में जो रुचि सभा म दिखाई गई है उसका मैं स्वागत करता हूं। जहां तक शिक्षकों के वेतन का सम्बन्ध है सरकार ने उन्हें उचित वेतन देने की पूरी कोशिश की है। इस बात से किसी का मतभेद नहीं हो सकता कि शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाय। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इन अध्याप कों के वेतन अन्य व्यवसाय वालों के वेतनों से किसी भी दशा में कम नहीं होने चाहियें बल्कि अधिक ही होने चाहियें।

श्री त० ब० विट्ठल राव ने जो बात उठाई है वह गलत है उसमें तथ्य नहीं हैं। हमने आन्ध्र प्रदेश की सभी प्रविधिक संस्थाओं में नये वेतनक्रम २३ फरवरी १९६० से लागू कर दिये हैं। १९६०-६१ में आंध्र प्रदेश सरकार को केन्द्र द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं के लिये कुल ७.९३ लाख रुपया दिया गया है।

सात राज्यों ने योजना क्रियान्वित करदी, है तथा अन्य राज्यों ने उसे शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सहायता को सहायता और परामर्श ही दे सकती है। इस सम्बन्ध में राज्यो के समक्ष अपनी अपनी कठिनाइयां हैं। केन्द्रीय सरकार उन पर कोई बात थोप नहीं सकती। हम उनको इस बात के लिये मजबूर नहीं कर सकते कि वे अपने यहां इन ग्रेडों को दे हीं, इतना बता देना चाहता हूं कि सभी राज्य यह चाहते हैं कि इन संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाय और शिक्षा की स्थिति ठीक की जाय।

हमारी शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के वेतनक्रम भिन्न भिन्न हैं। किन्तु उन्हें अच्छा वेतन दिया जाता है। लेकिन उनकी संख्या कितनी है यह मालूम नहीं हो सका है। अब जो वेतनक्रम लागू किये गये हैं वे देश भर में किसी भी अन्य सेवा के वेतनक्रमों से कम नहीं हैं। अगर देश की आर्थिक दृष्टि पर विचार किया जाय तो आजकल जो वेतनक्रम हम दे रहे हैं वह ठीक ही हैं।

बहुत सी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बहुत से व्यक्ति बाहर भेजे गये हैं। मेरा विचार है कि टी० सी० एम० योजना के अधीन हमने लगभग १०० व्यक्ति बाहर भेजे हैं? हमने भारत में ही प्रशिक्षण की एक योजना शुरू की है। भारत के होनहार विद्यार्थी यहां प्रशिक्षण पायेंगे और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें ४१० रुपये प्रतिमास वेतन मिलने लगेगा।

प्रशिक्षण संस्थाओं की आवश्यकताओं का बराबर सर्वेक्षण किया जा रहा है। दो साल पहले एक सर्वेक्षण किया गया था जिससे यह पता चला है कि प्रविधिक कर्मचारियों का अभाव ४० प्रतिशत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसमें सन्देह नहीं है कि प्रविधिक कर्मचारियों का वेतन अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा कम नहीं होना चाहिये। अधिक वेतन और सेवा की अच्छी शर्तों के फलस्वरूप हमारे नवयुवक प्रविधिक संस्थाओं में आ रहे हैं। आशा है कि तीसरी योजना की समाप्ति तक हमारे यहां प्रविधिक कर्मचारियों का अभाव न रहेगा।

किसी भी देश की सभी संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा का स्तर एकसा नहीं होता किन्तु हम इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि जहां तक संभव है शिक्षा का स्तर एक जैसा कर दिया जाये।

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने, अध्यापकों का वेतन-क्रम अच्छा बनाने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव यहां दिये हैं उन पर विचार किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री माथुर ने ठीक ही कहा है कि यदि शिक्षण सस्थाओं की दशा सुधर जाती है तो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में जाने के बजाय अच्छे और योग्य व्यक्ति शिक्षण संस्थाओं की ओर काम करने के लिये आयेंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : अगर दशा ऐसी ही रही तो शिक्षण संस्थाओं की ओर लोग नहीं आ सकेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा कल के ११ बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १९ अप्रैल, १९६१/२९ चैत्र १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

{ मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६१ / २८ चैत्र, १८८३ (शक) }

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . .		५४९९—५५२५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५७७	भारत के सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून में अग्निकाण्ड .	५४९९–५५००
१५७८	शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और युवक कल्याण सम्बन्धी समन्वय समिति	५५००—०२
१५७९	लौह अयस्क . .	५५०२—०४
१५८०	खेतरी में तांबा गलाने का संयंत्र	५५०४—०६
१५८२	बेघर लोगों की जनगणना	५५०६
१५८३	पाकिस्तान से प्राकृतिक गैस	५५०७—०९
१५८४	कच्चे तेल का शोधन	५५०९–१०
१५८५	युद्ध के खतरे के लिए जहाजों का बीमा .	५५१०–११
१५८७	अभिलेख विधान सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट	५५११–१२
१५८८	इस्पात संयंत्रों में विदेशी विशेषज्ञ	५५१२—१४
१५८९	टोकियो में विश्व संगीत सम्मेलन	५५१४–१५
१५९१	प्रधान मंत्री की यात्रा के लिए विमान . .	५५१५—१७
१५९३	भारत सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्र दलों के कर्मचारियों को चोटें	५५१७–१८
१५९४	भाखड़ा बिजलीघर परियोजना और नंगल उर्वरक कारखाने के लिए साजसामान .	५५१८–१९
१५९५	मयूरभंज राज्य बैंक का विलय .	५५१९–२०
१५९९	रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्रों में रस्सों के मार्ग	५५२०
१६००	जोश मलीहाबादी .	५५२१–२२
१६०१	ए एन--१२ यूक्रेन परिवहन विमान	५५२३
१६०२	बरौनी का तेल शोधक कारखाना	५५२३—२५

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	५५२५—७१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५८१	लद्दाख क्षेत्र में सुहागा के निक्षेप.	५५२५—२६
१५८६	मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स .	५५२६
१५९०	मद्रास में इस्पात कारखाना . . .	५५२६
१५९२	पुर्तगाली सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण	५५२६—२७
१५९६	संघ राज्य-क्षेत्रों में साक्षरता	५५२७
१५९७	रद्दी लोहा	५५२७—२८
१५९८	नन्दा देवी को अभियान	५५२८
१६०३	पीपल्ज फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को .	५५२८—२९
१६०४	नागालैंड और आसाम के बीच सीमा-विवाद	५५२९
१६०५	हायर सैकेंडरी स्कूल .	५५२९
१६०६	भूतपूर्व सैनिक .	५५२९
१६०७	छतर मंजिल, लखनऊ	५५३०
१६०८	दिल्ली में पाठ्य पुस्तकें	५५३०
१६०९	घड़ियों का तस्कर व्यापार	५५३०
१६१०	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम .	५५३१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३४२१	दिल्ली में कर की वसूली . .	५५३१
३४२२	पंजाब में अध्यापिकाओं के लिये मकान	५५३२
३४२३	भूतपूर्व सैनिक	५५३२
३४२४	राजस्थान को कच्चे लोहे का आवंटन . .	५५३३
३४२५	महाराष्ट्र को लोहे की चादरों का संभरण.	५५३३
३४२६	महाराष्ट्र में योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां	५५३३—३४
३४२७	आंध्र प्रदेश में बाढ़ से स्मारकों को क्षति . . .	५५३५
३४२८	रुपये का मूल्य	५५३५
३४२९	सस्थामकोल्टा झील (केरल) का प्राणिकीय सर्वेक्षण	५५३५—३६
३४३०	डलहौजी छावनी बोर्ड . .	५५३६
३४३१	दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन-क्रम	५५३६—३७
३४३२	जम्मू तथा काश्मीर में प्राथमिक शिक्षा . . .	५५३७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३४३३	भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान	५५३७–३८
३४३४	गवर्नमेंट हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज, गुलबर्गा	५५३८
३४३५	एक यूनानी यात्री द्वारा सोने का तस्कर व्यापार	५५३८
३४३६	उड़ीसा में बहरे और गूंगे तथा अंधे बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सहायता	५५३८–३९
३४३७	नये संगठनों का भारतीय भाषाओं में नामकरण	५५३९
३४३८	उड़ीसा के लिए स्थल सेना की बटालियन	५५३९–४०
३४३९	फैरो-मैंगनीज का उत्पादन	५५४०
३४४०	कोयला धोने के कारखाने	५५४०–४१
३४४१	दिल्ली में शहरी बुनियादी स्कूल	५५४१
३४४२	हीरों का उत्पादन	५५४१–४२
३४४३	जनगणना	५५४२
३४४४	राज्यों के लिए लोहे का कोटा	५५४२–४३
३४४५	भावनाथ में सूर्य मन्दिर	५५४३
३४४६	पंजाब में व्यायाम-संगठन	५५४३–४४
३४४७	दिल्ली नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्वागत	५५४४
३४४८	श्रीनगर के निकट खुदाई	५५४४
३४४९	खड़गपुर के निकट भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना	५५४५
३४५०	लोहा और इस्पात उत्पादों के स्टाकिस्ट	५५४५–४६
३४५१	चण्डीगढ़ में वायु सेना का हवाई अड्डा	५५४६
३४५२	पंजाब में सैनिक स्कूल	५५४६
३४५३	वायु सर्वेक्षण और प्रशिक्षण निदेशालय	५५४६–४७
३४५४	उड़ीसा के गांवों में जल संभरण	५५४७
३४५५	त्रिपुरा के मुसलमानों को नोटिस जारी किया जाना	५५४७–४८
३४५६	पदाधिकारियों के व्यवहार सम्बन्धी समाचार	५५४८
३४५७	पंजाब में विद्यार्थी केन्द्र	५५४८
३४५८	आसवान बांध के स्थान पर खुदाई	५५४८
३४५९	उड़ीसा वेतन समिति	५५४८–४९
३४६०	संघीय राज्य-क्षेत्रों में मेले	५५४९
३४६१	भारतीय बाल कल्याण परिषद्	५५४९–५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३४६२	उड़ीसा में नये प्राथमिक शिक्षक	५५५०
३४६३	कलकत्ता पुलिस द्वारा मृत व्यक्तियों की पहचान का नया तरीका	५५५०
३४६४	रेशम पर उत्पादन शुल्क	५५५०–५१
३४६५	हिमाचल प्रदेश में लोक-निर्माण विभाग के ट्रक की दुर्घटना	५५५१
३४६६	विदेशियों का अधिनियम	५५५१–५२
३४६७	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शिक्षक	५५५२
३४६८	मालवन में सिन्धु दुर्ग का किला	५५५२
३४६९	स्टेनलेस स्टील	५५५२–५३
३४७०	गौहाटी तेल शोधक कारखाना	५५५३
३४७१	गुलमर्ग में शीतकालीन खेलकूद केन्द्र	५५५३
३४७२	दिल्ली में मद्यनिषेध	५५५३–५४
३४७३	मद्रास में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कृषि-बस्तियां	५५५४
३४७४	नेवेली लिग्नाइट निगम में इंजीनियर और टेक्नीशियन	५५५४–५५
३४७५	मद्रास राज्य में निर्धिसूचित आदिम जातियां	५५५५
३४७६	दक्षिण भारत में अनुसूचित जातियों के लिए पानी की सुविधायें	५५५५–५६
३४७७	रुड़की विश्वविद्यालय में अफ्रीकी एशियाई जलस्रोत विकास प्रशिक्षण केन्द्र	५५५६
३४७८	सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी	५५५७
३४७९	कच्चे लोहे का निर्यात	५५५७
३४८०	साहित्य अकादमी	५५५७–५८
३४८१	आवास विभाग का विस्तार	५५५९
३४८२	दिल्ली में साइकिलों का चालान	५५५९
३४८३	सरकारी कर्मचारियों के कार्यकाल का विस्तार	५५६०
३४८४	तीसरी योजना के लिए भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इंडिया) की परियोजनायें	५५६०
३४८५	भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इंडिया) द्वारा सर्वेक्षण कार्य का सुधार	५५६०–६१
३४८६	हाथी बरकला एस्टेट, देहरादून में क्वार्टर	५५६१
३४८७	सर्वेक्षण कार्य के लिये क्षेत्र कार्य दल	५५६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३४८८	भारत सर्वेक्षण विभाग के आकस्मिक संस्थापन के लिये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	५५६१
३४८९	हाथी बरकला डिपो आफिस, देहरादून, में कर्मचारी	५५६२
३४९०	भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा क्षेत्र कार्य निरीक्षण	५५६२
३४९१	१९६२ के सामान्य निर्वाचनों के लिए प्रबन्ध	५५६२
३४९३	कावेरी के बेसिन में तेल की खोज	५५६२–६३
३४९४	कावेरी बेसिन में तेल की खोज के सम्बन्ध में रिपोर्ट	५५६३
३४९५	अश्लील साहित्य का परिचालन	५५६३
३४९६	विकास ऋण निधि से ऋण	५५६३–६४
३४९७	मद्रास में त्रिवर्षी डिग्री कालेज	५५६४
३४९८	मद्रास राज्य के नगरपालिका के मेहतरों को सुविधायें	५५६४
३४९९	प्रतिरक्षा मंत्रालय के पदाधिकारियों का स्थायीकरण	५५६५
३५००	कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा की ओर से सहायता	५५६५–६६
३५०१	भिलाई इस्पात कारखाना	५५६६
३५०२	लड़कियों के होस्टल	५५६६–६७
३५०४	लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा	५५६७
३५०५	उड़ीसा में गतीश्वर मन्दिर	५५६७–६८
३५०६	उड़ीसा में मंतीश्वर मन्दिर	५५६८
३५०७	भारतीय अनैतिक सेवा के पेंशन पाने वाले अफसर	५५६८
३५०८	भारतीय अनैतिक सेवा के पदाधिकारी	५५६८
३५०९	हिन्दू विवाह अधिनियम	५५६९
३५१०	आसाम के लिये इस्पात	५५६९–७०
३५११	हिमालय के क्षेत्र का वानस्पतिक सर्वेक्षण	५५७०
३५१२	हिमाचल प्रदेश में शराब की दुकानें	५५७०
३५१३	राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में डाके	५५७१

सभा पटल पर रक्खे गये पत्र ५५७१–७२

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर की वार्षिक

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

विषय **पृष्ठ**

रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त निगम के कार्य के बारे में सरकार की समीक्षा ।

(२) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या १—६१ की एक प्रति ।

(३) हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ की धारा ८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २७ सितम्बर, १९५६ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० २२(५)/५५—एल० एस० जी जिसमें दिल्ली हिन्दू विवाह पंजीयन नियम, १९५६ दिये हुए हैं ।

(दो) दिनांक १६ मार्च, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित दिल्ली हिन्दू विवाह पंजीयन नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाले अधिसूचना संख्या एफ० २०(५)/६०—जुडिशियल ।

अनुदानों की मांगें . . ५५७२—५६२४

(एक) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। तथा मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

(दो) वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा . . . . ५६२४—२७

श्री त० ब० विट्ठलराव ने डिग्री कालेजों आदि के अध्यापकों के वेतन-क्रमों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या २६३७ के १ अप्रैल, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठायी ।

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

बुधवार, १९ अप्रैल, १९६१/२९ चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान तथा अणुशक्ति विभाग, संसद् कार्य विभाग, लोक-सभा, राज्य-सभा और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

———

GMGIPND—528 (Ai) LSD—19-6-61—1 ч ф

श्री लच्छी राम ५६१५–१८

श्री अशण्णा ५६१८–१९

चौ० रणबीर सिंह ५६१९–२०

डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रमों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ५६२४–२७

श्री त० ब० विट्ठल राव ५६२४–२५

श्री दी० चं० शर्मा ५६२५

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ५६२५

डा० मेलकोटे ५६२५

श्री बासप्पा ५६२६

श्री हुमायूं कबिर ५६२६–२७

दैनिक संक्षेपिका ५६२८–३३

PLS 41. LIV. 47. 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।